खण्ड-296, अंक-6
बुधवार, 23 चैत्र, शक संवत् 1894
(12 अप्रैल, 1972 ई0)

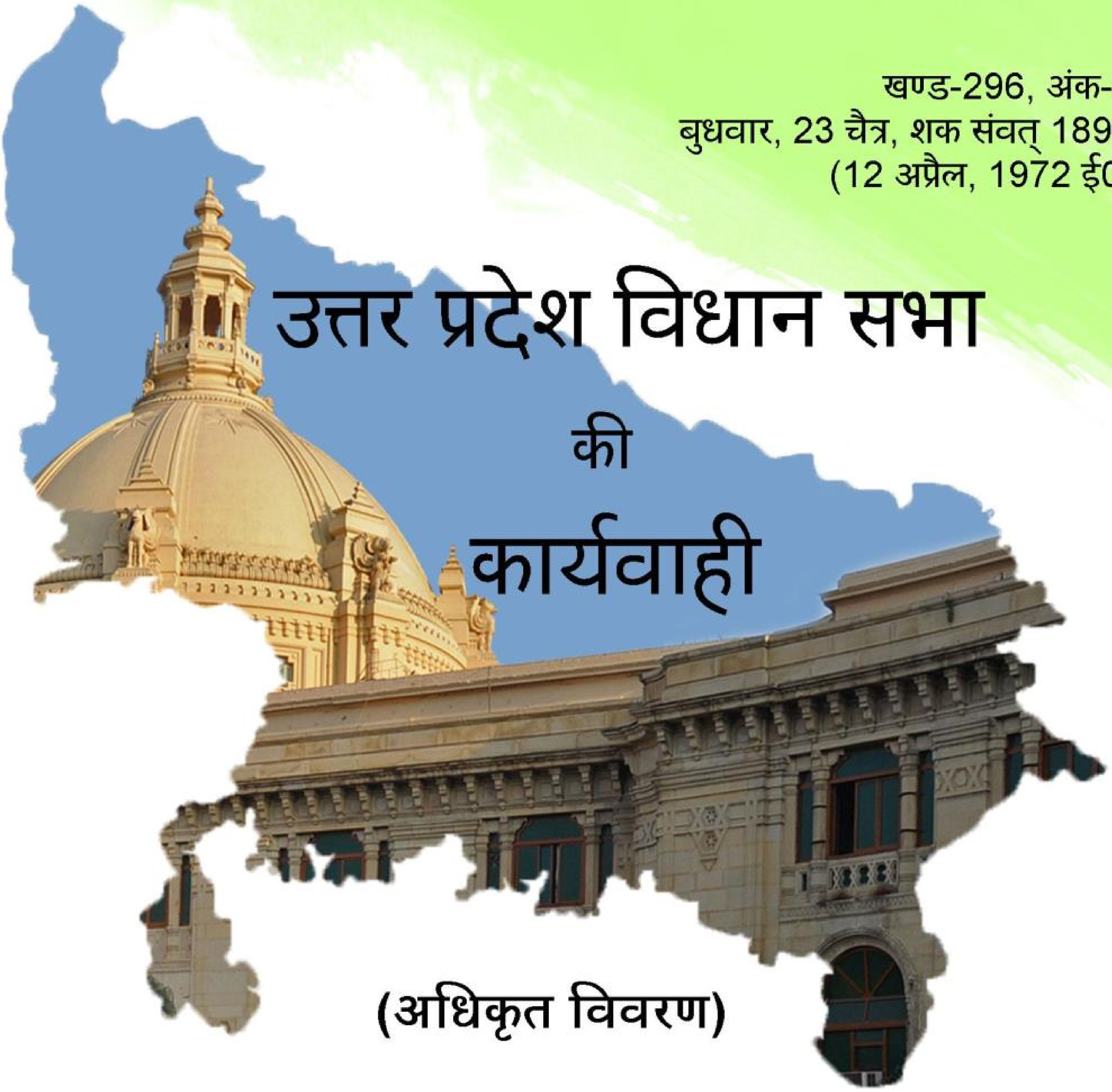

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 296 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
1973

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	563–567
प्रश्नोत्तर	567–598
इलैक्ट्रिसिटी (सप्लाई) (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1972 (सदन के पटल पर रखा गया)	598
उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (संशोधन) विधेयक, 1972 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	598
उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (संशोधन) विधेयक, 1972 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	599
उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ (संशोधन) विधेयक, 1972 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	599
जिला बुलन्दशहर में राजबाहा जेवर माट ब्रांच डिवीजन मथुरा नहर विभाग की लापरवाही से टूटने के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थित की गई) ..	599
जिला शाहजहांपुर में जैतीपुर से जल्लापार तक सड़क बनाने और बहगुल नदी पर पुल बनाने के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थित की गयी)	599
जिला पूर्ति अधिकारी, मैनपुरी के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना (विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट)	599–600
आबकारी मन्त्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना (निर्णय स्थगित)	600
उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय प्रबन्धक बोर्ड के लिए दो सदस्यों के निर्वाचन कार्यक्रम के सम्बन्ध में सूचना	600–601
श्री उपाध्यक्ष द्वारा श्री बंशीधर पाण्डेय को इंगित करने से सम्बद्ध घटना के सम्बन्ध में समिति की नियुक्ति	601–607
बैसाखी तथा बारावफात को सदन की बैठक न करने की प्रार्थना ..	607–609
बुलन्दशहर जनपद में चेचक के प्रकोप से मृत्यु होने के सम्बन्ध में वक्तव्य ..	609–611
बलिया नगरपालिका क्षेत्र में शहरी क्षेत्र जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि-सुधार अधिनियम, 1956 लागू करने के सम्बन्ध में वक्तव्य	611–615
कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें	615–616
1972-73 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या 1—वृहत जोतकर, अनुदान संख्या 2—भू-राजस्व तथा अनुदान संख्या 38—दुर्भिक्ष सहायता ... (विवाद जारी)	616–638

विषय	पृष्ठ-संख्या
सदन के आगामी कार्यक्रम में परिवर्तन करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव ... (स्वीकृत)	638
1972-73 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या 1—वृहत जोतकर, अनुदान संख्या 2—भू-राजस्व तथा अनुदान संख्या 38—दुर्भिक्ष सहायता ... (विवाद जारी)	639–649
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	649
1972-73 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या 1—वृहत जोतकर, अनुदान संख्या 2—भू-राजस्व तथा अनुदान संख्या 38—दुर्भिक्ष सहायता ... (स्वीकृत)	649–657
नत्थियां	658–669

संसदीय प्रलेख सूचना

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, 12 अप्रैल, 1972

विधान सभा की बैठक, सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में, अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—374

अजबसिंह, श्री
अजीजुर्रहमान, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अनन्तराम जायसवाल, श्री
अब्दुल गफ्फार हाशमी, श्री
अब्दुल सलाम शाह, श्री
अभिमन्यु प्रसाद पाण्डेय, श्री
अमर नाथ दूबे, श्री
अवधेश कुमार, श्री
अवधेश प्रताप मल्ल, श्री
श्री अशफाक अहमद, श्री
अशरफ अली खां, कुंवर
अहमदलूत खां, श्री
अहमदुल्ला खां, श्री
आबिद अली, श्री
आशाराम, श्री
आशा सिंह, श्रीमती
इन्द्रजीत, श्री
इन्द्रमणि, श्री
इन्द्रलाल, श्री
इम्तियाज हुसैन, श्री
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री
उदयनाथ, श्री
उदित नारायण शर्मा, श्री
उपेन्द्रनाथ दीक्षित, श्री
उमाकान्त बाजपेयी, श्री (उर्फ भैया जी)
उमानाथ सिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
ऋषिपाल सिंह, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओम प्रकाश सिंह, श्री
कन्हैया लाल, श्री
कन्हैया लाल बाल्मीकि, श्री
कन्हैया लाल सोनकर, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कलारानी मिश्र, श्रीमती
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्याण सिंह, श्री
काजी जलील अब्बासी, श्री
काजी मसूद, श्री
किशन लाल, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम ऐजाज रसूल)
कृपा दयाल, श्री
कृष्णकान्त अवस्थी, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज)
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णस्वरूप वैश्य, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदार नाथ, श्री
केशव चन्द्र सिंह, श्री
केशव राम, श्री (जिला बरेली)
केशोराम, श्री (जिला बदायूं)
के० एस० मोहरिया, श्री
गंगा प्रसाद, श्री (जिला एटा)
गंगा प्रसाद, श्री (जिला गोंडा)
गंगा सिंह यादव, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती

गिरजा शंकर तिवारी, श्री
गुलाब सिंह, श्री
गोपाल दत्त ओझा, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्द सिंह नेगी, श्री
गोस्वामी राधाकृष्ण, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चंचल सिंह गिल, सरदार
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रनारायण सिंह, श्री
चन्द्रपाल आजाद, श्री
चन्द्र प्रताप नारायण सिंह, कुंवर
चन्द्र भान शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रमणि कान्त सिंह 'जूदेव,' श्री
चन्द्र मोहन सिंह नेगी, श्री
चरण सिंह, श्री
चित्तर सिंह, राजा
चिरंजीलाल, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छांगुर राम, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जंगबहादुर यादव, श्री
जंगबहादुर सिंह, श्री
जगदीश गांधी, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश्वर दयाल, डाक्टर (उर्फ डा० मन्ना)
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ खन्ना, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगरनाथ, श्री
जगवीर सिंह, श्री
जयनारायण सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जितेन्द्रपाल सिंह, श्री
जे० एन० सिन्हा, श्री
ज्वाला प्रसाद कुरील, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
डूंगर सिंह विष्ट, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तेजनारायण त्रिवेदी, श्री
तेजपाल सिंह, 'कृष्ण' श्री
तेज बहादुर, श्री
तेजभान सिंह, कुंवर
त्रिलोकचन्द्र, श्री
त्रिवेणी राय, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री
दल सिंगार यादव, श्री
दीपनारायण बन, श्री
दुर्जन, श्री
दुलारे लाल, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र सिंह, कुंवर
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नगीना सिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नरेन्द्रसिंह भण्डारी, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नसीमुद्दीन सिद्दीकी, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नित्यानन्द स्वामी, श्री
निर्भयनारायण सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)
निहाला सिंह, श्री
नेतराम सिंह, श्री
नैनसिंह, श्री
नैपाल सिंह, श्री
नौनिहाल सिंह, श्री
पन्नालाल गुप्त, श्री
परमाईलाल, श्री
पूरनचन्द, श्री
प्यारी देवी गुप्ता, श्रीमती
प्यारेलाल, श्री
प्रतापनारायण द्विवेदी, श्री
प्रभाकर त्रिपाठी, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेमचन्द्र शर्मा, श्री
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री
बंशगोपाल शुक्ल, श्री
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बदनसिंह यादव,

बद्री प्रसाद, श्री
बनारसीराम, श्री
बब्बन सिंह, श्री
बलराम सिंह यादव, श्री
बलवीर सिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री (जिला जालौन)
बसन्तलाल, श्री (जिला लखनऊ)
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बांकेलाल, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बिहारीलाल, श्री
बैजनाथ, श्री (जिला वाराणसी)
ब्रजराज सिंह, श्री
भगवत दयाल सिलोइया, डाक्टर
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री
भगवती सिंह, श्री
भगवती सिंह बिशारद, श्री
भगेलू सिंह, श्री
भगौती प्रसाद, श्री
भानुप्रताप सिंह, श्री (जिला बस्ती)
भाभी यादव, श्री
भारतसिंह चौहान, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
मंगल उपाध्याय, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मदन मोहन मिश्र, श्री
मनफूल सिंह, श्री
मनोहर लाल, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसाली देवी, श्रीमती
महमूद अली खां, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महराम सिंह, श्री
महातम प्रसाद तिवारी, श्री
महावीर सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
महावीर सिंह चौहान, श्री (जिला अलीगढ़)
महीरजध्वज सिंह, श्री (उर्फ बाबू भैया)
महीलाल, श्री
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला मुरादाबाद)
माखन लाल, श्री
माता प्रसाद, श्री
मानवती देवी, श्रीमती
मुमताज मोहम्मद खां, श्री
मुल्तान सिंह, श्री
मुस्तफा कामिल सिद्दकी, श्री
मैनेजर सिंह, श्री
मोतीलाल देहलवी, श्री
मोतीलाल यादव, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल कपूर, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहम्मद असरार अहमद, श्री
यादवेन्द्र दत्त दुबे, श्री
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला कानपुर)
रघुनाथ सिंह वर्मा, श्री
रघुवीर सिंह यादव, श्री
रणंजय सिंह, राजा
रमापति त्रिपाठी, श्री
राजनाथ सिंह, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजबहादुर चन्द, श्री
राजबिहारीसिंह, श्री
राजमंगल पाण्डेय, श्री
राजितराम पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र किशोरी, श्रीमती
राजेन्द्र कुमार शर्मा, श्री
राजेन्द्र प्रताप सिंह, श्री
राजेश्वर सिंह, श्री
राम अवध, श्री
रामकरन यादव, श्री (जिला गाजीपुर)
रामकरन सिंह, श्री (जिला गोरखपुर)
राम किंकर, श्री
रामकिशोर शुक्ल, श्री
रामकुंवर सिंह, श्री
रामकुमार दीक्षित, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण द्विवेदी, श्री
रामगोपाल सण्ड, श्री
रामचरण त्रिपाठी, श्री (जिला इलाहाबाद)
राम चरण सिंह, श्री (जिला आगरा)
राम जियावन, श्री
रामजी लाल सहायक, डाक्टर
राम दुलारे, श्री
राम दुलारे मिश्र, श्री
रामदेव, श्री
रामधारी शास्त्री, श्री
राम नगीना मिश्र, श्री
राम निहोर, श्री
राम निहोर राय, श्री

रामपति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपाल सिंह, श्री
राम पाल सिंह यादव, चौधरी
रामपूजन पटेल, श्री
राम प्यारे, श्री
रामप्यारे शुक्ल, श्री
राम प्रसाद, श्री
राम प्रसाद देशमुख, श्री
राम बचन, श्री (जिला (आजमगढ़ (रानी की सराय)
रामवचन यादव, श्री (जिला आजमगढ़, फूलपुर)
रामविलास पाण्डेय, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरतन पांडेय, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन सिंह, श्री
राम लगन दूबे, श्री
रामलाल चतुर्वेदी, श्री
राम लाल भाई, श्री
राम लाल राही, श्री
रामशिरोमणि दुबे, श्री
रामसागर, श्री
रामसिंह, श्री
राम सिंह खन्ना, श्री
राम सूरत सिंह, श्री
राम सेवक, श्री
रामहर्ष मिश्र, श्री
रितुराज सिंह, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रूपनाथ सिंह यादव, श्री
रूपराम, श्री
लक्ष्मण स्वरूप, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मी शंकर यादव, श्री
लालन शर्मा, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालसा, श्री
लालसा प्रसाद, श्री
लालू राम, श्री
लोकपति, श्री
वशिष्ठ नारायण शर्मा, श्री
बासुदेव सिंह वैद्य, श्री

विक्रम सिंह, श्री
विजय कुमार त्रिपाठी, राजा
विजयपाल सिंह, श्री (जिला गोंडा)
विजय पाल सिंह, श्री (जिला बुलन्दशहर)
विजयबहादुर सिंह, श्री
विजयशंकर सिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विशम्भर सिंह यादव, श्री
विश्रामदास, श्री
विश्वनाथ कपूर, श्री
वीर बहादुर सिंह, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
शंकर प्रसाद जायसवाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शचीन्द्र नाथ बख्शी, श्री
शफीक अहमद खां, श्री
शमीम आलम, श्री
शम्भूनाथ चौधरी, श्री
शम्भूनारायण सिंह, श्री
शान्ती चरण पिंडारा, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिव कुमार, श्री (जिला शाहजहांपुर)
शिव कुमार पांडेय, श्री (जिला सुल्तानपुर)
शिव कैलाश, श्री
शिवदास, श्री
शिवपाल सिंह, श्री
शिवप्रसाद पांडिया, श्री
शिवबचन, श्री
शिव महेन्द्र सिंह, कुंवर (उर्फ शेरसिंह)
शिवराज सिंह, श्री
शिवलाल, श्री
शिवबक्ष सिंह राठौर, श्री
शिवशंकर, श्री
शिवशंकर सिंह, श्री
शिव सम्पत्ति शर्मा, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शीतला प्रसाद सिंह, श्री
सुकरू लाल, श्री
शेर अली खां, श्री
शेर सिंह दानू, श्री
शेष नारायण शुक्ल, श्री
शौनाथ सिंह चौधरी, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्यामलाल कनौजिया, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्याम लाल रावत, श्री
श्याम सुन्दर लाल गुप्त, श्री (उर्फ छन्नू बाबू)
श्रीकृष्ण बाजपेयी, श्री
श्रीनिवास प्रसाद सिंह, राजा
श्रीराम सिंह, श्री
सन्तोष कुमारी, श्रीमती
सईद मुर्तजा, श्री
सच्चिदानन्द, श्री
सजीवन लाल, श्री
सन्तू राम, श्री
सरदार सिंह, श्री
सरस्वती टम्टा, श्रीमती
सर्वसुख सिंह, श्री
सिया दुलारी, श्रीमती
सियाराम, श्री
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुखपाल पांडेय, श्री
सुखलाल कोरी, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरेन्द्र बिक्रम, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूबेदार सिंह, श्री
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री
सेवाराम, श्री
सैयद मुर्तजा अली खां, नवाब
सोहन लाल धुसिया, श्री
सौभाग्यवती, श्रीमती
हंसराज, श्री (उर्फ हंसा)
हबीब अहमद, श्री
हबीबुर्रहमान, श्री
हमीदा हबीबुल्ला, बेगम
हरनारायण, श्री
हरवंश प्रसाद, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरिप्रसाद शाही, डाक्टर
हरिवंश सहाय, श्री
हरिहर बख्श सिंह, राजा
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरीसिंह विष्ट, श्री
हलीमुद्दीन राहत मौलाई, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हीरा सिंह बोरा, श्री
हुकुम सिंह, श्री (जिला आगरा, पश्चिम)
हुकुम सिंह परिहार, श्री (जिला आगरा फतेहाबाद)
होतीलाल अग्रवाल, श्री

नोट:—पंचायत राज मन्त्री, श्री बलदेव सिंह आर्य, भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

बुधवार, 12 अप्रैल, 1972

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

उत्तर प्रदेशीय चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी महासंघ की बैठक

** 1—श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि दिनांक 26 मार्च, 1972 को लखनऊ में उत्तर प्रदेशीय चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी महासंघ की बैठक हुई और उन्होंने प्रस्ताव पारित कर सरकार द्वारा दी गई अन्तरिम सहायता की निन्दा की है तथा दिनांक 28 मार्च से अप्रैल, 23 1972 तक एक व्यापक आन्दोलन का निश्चय किया है ? यदि हां, तो सरकार ने क्या कार्यवाही इस विषय में की ?

नियोजन उपमन्त्री (श्री कृष्णचन्द्र शर्मा)—

शासन को 29 मार्च को एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें किसी तिथि का उल्लेख नहीं किया गया है। उसमें केवल सरकार द्वारा दी गई अन्तरिम सहायता पर असन्तोष व्यक्त

करते हुए उस पर पुनः विचार करने का अनुरोध किया है। वेतन आयोग को निर्देश देने की प्रार्थना की है कि वह अविलम्ब अपनी रिपोर्ट शासन को प्रस्तुत करे तथा यह भी कहा है कि इन मांगों की ओर शासन का ध्यान दिलाने के लिए महासंघ ने प्रदर्शन, धरना मशाल-जलूस आदि कार्यक्रम का निर्णय लिया है। वेतन आयोग को अपनी संस्तुतियां शीघ्र देने के लिये कहा जा चुका है।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

क्या सरकार सिद्धान्त रूप से इस बात को स्वीकार करती है कि जो अल्प वेतन भोगी कर्मचारी हैं उनको अन्तरिम सहायता अधिक मिलनी चाहिये ?

मुख्य मन्त्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)--

हमने अन्तरिम सहायता वह दे दी जो भारत सरकार ने मंजूर की है और उसी के अनुरूप पैरिटी हमने यहां कर दी। जो पहला इंस्टालमेंट दिया था उसकी भी पैरिटी कर दी और दूसरे वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार भी दे दी जो भारत सरकार ने दी है।

श्री गोविन्दसिंह नेगी (जिला टिहरी गढ़वाल)--

5 रुपया अन्तरिम सहायता चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को तथा 35 रुपये उनको जिनको हजार रुपये से ज्यादा वेतन मिलता है दी गई है। तो क्या यह उनकी घोषित समाजवादी नीति के अनुकूल दी गई है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

यह प्रश्न नहीं उठता। मैंने केवल यह कहा कि हमने यह नीति अपनाई है कि भारत सरकार ने जो अन्तरिम सहायता दी है उसके अनुरूप अपने यहां के कर्मचारियों को पैरिटी दे दी जाय और वही हमने कर दिया है।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

जो आपने दिया है उसके लिये मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या प्रदेश की सरकार इस सिद्धान्त को स्वीकार करती है कि जो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं उनको अधिक राहत दी जाय ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

अन्तरिम सहायता अधिक देने का प्रश्न नहीं उठता है। भारत सरकार के साथ पैरिटी कर दी। बाकी जितने मसले हैं वे वेतन आयोग के सामने हैं और जब उनकी सिफारिश आयेगी तब उस पर सरकार विचार करेगी।

श्री इन्द्रमणि (जिला टिहरी गढ़वाल)--

जब अन्तरिम सहायता भारत सरकार के मुताबिक दे दिया गया है तो क्या सरकार अपने कर्मचारियों को महंगाई भत्ता तथा वेतनमान भी उनके समान ही देगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

यह प्रश्न वेतन आयोग के सामने है।

श्री रामगोपाल संड (जिला इलाहाबाद)--

क्या वेतन आयोग के समक्ष यह प्रश्न विचाराधीन है कि अल्पवेतन भोगी कर्मचारियों को वही वेतनमान दिया जाय जो केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को मिलता है ? क्या वेतन आयोग की रिपोर्ट आने के पहले कुछ और अन्तरिम सहायता देने पर सरकार विचार करेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

जी नहीं ।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

प्रत्येक सरकार की नीति होती है तो क्या सरकार ने वेतन आयोग के सामने अपनी नीति को स्पष्ट कर दिया है कि वह अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और वेतनमान को केन्द्रीय कर्मचारियों के समान करने को तैयार है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

वेतन आयोग के सामने कर्मचारियों के प्रतिनिधि अपनी मांगें रख ही रहे हैं। लेकिन हमने इस बीच यह किया है कि जो अन्तरिम सहायता भारत सरकार ने दी थी उसी के मुताबिक हमने पैरिटी कर दी जो पहले नहीं दी गयी थी।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)--

भारत सरकार के अनुरूप जो अन्तरिम सहायता देने का निर्णय किया गया है वह कब से लागू होगा ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

मेरा ख्याल है कि 1 अप्रैल से लागू होगा ।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

24 अप्रैल से चतुर्थ श्रेणी के 5 लाख कर्मचारियों का आन्दोलन प्रारम्भ हो रहा है ऐसी उनको सूचना मिली है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

जो सूचना मिली है वह पढ़ कर सुना दी गयी है।

केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा मन्त्रि-परिषद् के मन्त्रियों के विरुद्ध आरोपों की जांच

**2--श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया), श्री त्रिलोक चन्द (जिला बुलन्दशहर), श्री रामबचन यादव (जिला आजमगढ़), श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर) तथा श्री सच्चिदानन्द (जिला लखनऊ)--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने राज्य में वर्तमान सरकार के मन्त्रि-परिषद् के विभिन्न स्तर के कुछ मन्त्रियों के विरुद्ध गम्भीर आरोपों की जांच शुरू की है और इस ब्यूरो ने प्रदेश सरकार को ऐसे मन्त्रियों को उनके पदों से हटाने की राय दी है ? यदि हां, तो ऐसे मन्त्री कौन-कौन हैं और उनको उनके पदों से हटाने के सम्बन्ध में सरकार ने क्या निर्णय लिये हैं ?

श्री कृष्ण चन्द्र शर्मा--

हमारे पास इस प्रकार की जांच के विषय में कोई सूचना नहीं है। शेष प्रश्न नहीं उठते ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी--

क्या माननीय मुख्य मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इस प्रकार की जो खबरें प्रशासन से सम्बन्धित होती हैं और अखबारों में निकलती हैं उनकी कटिंग मन्त्रियों के पास जाती हैं, उन पर जांच सरकार द्वारा की जाती है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

किसी कटिंग का मुझे पता नहीं है परन्तु बहुत-सी खबरें अखबारों में निकलती हैं और उन सब पर जांच करना सरकार के लिए मुमकिन नहीं है ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी--

अगर माननीय मुख्य मन्त्री जी को अभी यह जानकारी नहीं है और अब जानकारी हो गयी है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने कुछ मन्त्रियों के विरुद्ध जांच शुरू की है और उन्हें हटाने की राय दी है तो अब वे इस पर विचार करेंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

अगर मगर का प्रश्न नहीं उठता। जब सूचना आ जायेगी तब देखा जायगा।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि अखबारों की कटिंग्स को तो छोड़ दीजिये किन्तु क्या सरकार को और मुख्य मन्त्री जी को मन्त्रि-परिषद् के सदस्यों के भ्रष्टाचार की शिकायतें मिली हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

जी नहीं ।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)--

माननीय मुख्य मन्त्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि मेरे पास कोई सूचना नहीं आयी है तो क्या उत्तर प्रदेश शासन के पास भी कोई सूचना आयी ?

श्री अध्यक्ष--

जब मुख्य मन्त्री कहते हैं तो वे गवर्नमेंट की तरफ से ही कहते हैं।

हरदोई-उन्नाव मार्ग पर चलने वाली प्राइवेट बसें

**3--श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)--

क्या सरकार को जानकारी है कि हरदोई-उन्नाव मार्ग पर चलने वाली प्राइवेट बसें दिनांक 3 अप्रैल, 1972 से पूर्ण हड़ताल पर हैं और सारा यातायात ठप होने से जनता को भीषण कष्ट का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो उन बस मालिकों की मांगें क्या हैं ?

परिवहन उप मंत्री (श्री आबिद अली)--

प्रश्नगत मार्ग पर चलने वाली प्राइवेट बसें केवल दिनांक 3-4-72 को हड़ताल पर रहीं। हड़ताल का कारण एक प्राइवेट बस के परिचालक और चालक तथा यात्रियों के 30-3-72 को झगड़ा की एक घटना बताई जाती है। इस घटना की रिपोर्ट हरदोई जिले के मल्लावां थाना में दर्ज की गयी है और पुलिस द्वारा जांच की जा रही है। बस मालिकों की मांग है कि इस घटना की निष्पक्ष जांच हो। उस तिथि में जनता को असुविधा न हो इस दृष्टि से उत्तर प्रदेश राजकीय रोडवेज लखनऊ द्वारा हरदोई से उन्नाव की ओर 3 बसें व उन्नाव से हरदोई की ओर 5 बसें चलाई गईं ।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)--

श्रीमन् ,मैं यह जानना चाहता हूं कि जिस झगड़े से बस वालों ने हड़ताल की उस सिलसिले में सरकार को जानकारी कब हुई और उसके सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

परिवहन मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव)—

मान्यवर, इसकी सूचना सरकार को 3-4-72 को 10 बजे मालूम हुई कि आपरेटर्स हड़ताल करने जा रहे हैं। उसके बाद तुरन्त ही आर० टी० ओ० और जनरल मैनेजर को कांटैक्ट किया गया। उनको डारेक्शंस दी गयी कि अगर स्ट्राइक होती है तो वहां पर तुरन्त प्रबन्ध किया जाय।

श्री रामबिलास पांडेय (जिला आजमगढ़)—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि आपरेटर्स की मांगें क्या थीं ?

श्री बलराम सिंह यादव—

उनकी मांगें यह थी कि उनके साथ जो दुर्घटना हुई है इसके सम्बन्ध में निष्पक्ष जांच करा ली जाय।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

उस रिपोर्ट को पढ़ कर सुनायेंगे जो थाने में दर्ज की गयी है ?

श्री बलराम सिंह यादव—

रिपोर्ट तो मेरे पास इस मौके पर नहीं है।

श्री हरिनाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि कांटैक्ट करके उनको यह आदेश दिये गये कि वहां पर बसेज चलाई जायं, तो आप को जानकारी यह है कि बसेज चल रही हैं ?

श्री बलराम सिंह यादव—

स्ट्राइक की वजह से प्राइवेट बसेज बन्द हो गयी थीं, लेकिन रोडवेज की बसेज की व्यवस्था कर दी गयी थी।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

मंत्री जी के पास रिपोर्ट तो उपलब्ध नहीं है, यद्यपि इस पर भी व्यवस्था आपको देनी चाहिए कि एक प्रश्न से संबंधित जो फाइल हों वह पूरी होनी चाहिए, लेकिन यह चीज अगर नहीं है तो उसका सारांश बता दें जो कि आपरेटर्स ने रिपोर्ट की है ?

श्री बलराम सिंह यादव—

रिपोर्ट तो नहीं है, मगर आपरेटर्स की तरफ से एक लीफलेट डिस्ट्रिब्यूट किया गया था, उसके जो कंटेंट्स हैं वह संभवत: रिपोर्ट से मिलते-जुलते होंगे। मैं उसको पढ़ कर सुना रहा हूं—

"आप जनता को जानकर बड़ा दु:ख होगा कि एक ओर तो जनता के प्रतिनिधि उसकी भलाई के काम करने का बीड़ा उठाये हुए हैं, वहीं दूसरी ओर उनके भाई बसों के गरीब ड्राइवरों एवं कंडक्टरों पर अत्याचार करते हैं। ताजी घटना के अनुसार 30 मार्च, 72 को बस नं० 593 यू० एस० जेड० के ड्राइवर विजयी सिंह तथा कंडक्टर पी मो० गयास खां को केवल किराया मांगने पर श्री धर्मज्ञ शर्मा तथा उनके 10-12 नौकरों द्वारा माधौगंज बस स्टैंड पर लात, घूंसों से काफी मारा पीटा गया, बस के शीशे तोड़ दिये गये तथा आमदनी छीन ली गई। घटना की रिपोर्ट मल्लावां पुलिस में लिखाई गई, जिस पर जनहित में तात्कालिक कार्यवाही होनी चाहिए थी, पर अभी तक पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही न करने के कारण जहां जनता में क्षोभ उत्पन्न है वहीं इस लाइन के समस्त ड्राइवर और कंडक्टर अपने को सर्वथा असुरक्षित अनुभव करते हैं तथा जान माल का भय हर समय के लिये उत्पन्न हो गया है। इससे पूर्व भी इस प्रकार की मनमानी, निरंकुशता तथा दुर्व्यवहार की घटनाएं हो चुकी हैं जिन पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

[श्री बलराम सिंह यादव]

अतः जब तक इस घटना की पूरी जांच नहीं की जाती, हम ड्राइवर, कंडक्टर अपने को असुरक्षित समझते हुए बसों को चलाने से मजबूर हैं और इस अत्याचार के विरुद्ध अनिश्चित काल के लिए आम हड़ताल का ऐलान 3 अप्रैल, 72 से किया जाता है।"

श्री शम्भूनाथ चौधरी---

जिस आदमी ने मारा क्या वह एक कांग्रेसी विधायक का भाई था इसीलिए अब तक कोई कार्यवाही उनके खिलाफ नहीं हो रही है ?

श्री बलराम सिंह यादव---

ऐसी बात नहीं है रिपोर्ट लाज कर ली गयी है और वहां की पुलिस उसकी जांच कर रही है।

श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)---

क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि किसी की गिरफ्तारी आज को तारीख तक हुई या नहीं ? और अगर नहीं तो, उसका क्या कारण है ?

श्री बलराम सिंह यादव---

अभी सबेरे टेलीफोन से बात हुई थी वहां के एस० पी० से, एस० पी० ने कहा है कि चूंकि मामला एग्जेजरेटेड मालूम होता है इसलिए अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं की गयी है, पुलिस उसकी जांच कर रही है।

गाजीपुर में गंगा नदी पर पुल

** 4---श्री राजनाथ सिंह (जिला गाजीपुर)---

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपा कर बतलायेंगे कि उन्होंने 31 जनवरी, 1972 को गाजीपुर की सार्वजनिक सभा में गाजीपुर में गंगा नदी पर पुल बनाने के बारे में घोषणा की थी ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक प्रगति न होने के क्या कारण हैं ?

सूचना उपमंत्री (श्री गुलाब सिंह)---

जी हां, मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की थी। इसके लिये केन्द्रीय सरकार को वित्तीय सहायता देने के लिये लिखा जा रहा है।

श्री राजनाथ सिंह---

क्या मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि गाजीपुर में गंगा पुल के संबंध में केन्द्रीय सरकार को और क्या लिखा गया है और इस दिशा में प्रदेशीय सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री (श्री राजबिहारी सिंह)---

31 जुलाई को मुख्य मंत्री गाजीपुर गये हुए थे। गाजीपुर के लोगों ने मांग की थी कि पुल बनाया जाय। मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया कि पुल बनाया जायगा। उसकी आवश्यकता के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को लिखा गया है और प्रान्तीय सरकार भी उसको वरीयता देना चाहती है, जैसा कि मुख्य मंत्री जी ने कल बताया कि बिजनौर, गाजीपुर और डलमऊ-तीन पुलों को वरीयता देने जा रहे हैं। और हमें केन्द्रीय सरकार से पैसा मिले। अपने विभाग द्वारा सर्वेक्षण कराया जा रहा है जिससे पूरा तखमीना लगाया जा सके और जगह पक्की की जा सके।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)---

मान्यवर, सार्वजनिक मंत्री ने जो उत्तर दिया ह, वित्त मंत्री जी न अपनी स्पीच में कहा है ब्रज कारपोरेशन के माध्यम से गाजीपुर में गंगा के ऊपर पुल बनेगा तो केन्द्रीय सरकार को लिखने का प्रश्न नहीं उठता और मुख्य मंत्री जी की घोषणा हुई है कि कारपोरेशन द्वारा गंगा नदी पर पुल का निर्माण होगा। अतः सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा जिन पुलों का निर्माण कराया जा रहा है उनमें इसको भी शामिल कर लिया जायेगा ?

श्री राज बिहारी सिंह---

मान्यवर, जहां तक इस साल पुल बनने का सवाल है तो चतुर्थ योजना म निगम नहीं बनेगा। जितने पुल बनाये जायंगे वे विभाग द्वारा ही बनाये जायंगे, क्योंकि इस पुल को वरीयता दी जा रही है इसलिये सवक्षण का कार्य करा रहे हैं।

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)---

अभी मंत्री जी ने कहा कि चतुर्थ योजना में यह नहीं बनेगा। तो मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि इसके शुरूआत में मिर्जापुर में पुल मंजूर हुआ है वह कब तक बन कर तैयार होगा ?

श्री राजबिहारी सिंह---

ठीक तारीख तो नहीं दी जा सकती है लेकिन काम शुरू हो गया है।

श्री रामकुमार शास्त्री---

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि गाजीपुर में जो पुल बनाया जायेगा उसका सर्वेक्षण कराया जा रहा है तो उस पर कितनी लागत का तखमीना है ?

श्री राजबिहारी सिंह---

श्रीमन्, सर्वेक्षण के बाद ही तखमीना बनाया जा सकता है इससे पहल नहीं।

श्री कृष्णानन्द राय---

अभी सार्वजनिक निर्माण मंत्री ने कहा कि चतुर्थ योजना म कारपोरेशन कोई पुल नहीं बनायेगा और वित्त मंत्री जी की स्पीच से पता चलता है कि इस साल या अगले साल इसका कार्य आरम्भ होने वाला है तो क्या मुख्य मंत्री जी इसको स्पष्ट करेंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---

इसमें भ्रम कहीं दिखाई नहीं देता है। आपके जिले का पुल बनना ह। भारत सरकार से मांग रहा हूं अगर वहां से पैसा मिल गया तो बनेगा नहीं तो कारपोरेशन बनायेगा। जैसा भी होगा आपको पुल प्रदान कर देंगे।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29 (4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न।]

*1---श्री सुरेन्द्र विक्रम---

[6 ठे बुधवार के लिये स्थगित।]

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38 (2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न।]

नैनीताल जिले की कोसी व करकट नाले से ग्रामों की भूमि-कटाव से बचाने की योजना

*1—श्री इन्द्र लाल (जिला नैनीताल)—

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तराई सिंचाई खण्ड, नैनीताल के अधिशासी अभियन्ता द्वारा माह अगस्त सन् 1971 में जिला नैनीताल, तहसील, कालाढूंगी के अन्तर्गत कोसी व करकट नाले से क्रमशः खुशहाल पुर, सन्तोषपुर मदनपुर, किशनपुर छोई तथा बैलपड़ाव में रतनपुर, हिम्मतपुर ग्रामों को भूमि-कटाव से बचाने सम्बन्धी जो सूचना मुख्य अभियन्ता सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश को दी गई थी ? उस सम्बन्ध में अब तक क्या कदम उठाये गये ?

सिंचाई उप-मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)—

कोसी नदी से खुशहालपुर, सन्तोषपुर, मदनपुर, किशनपुर छोई ग्रामों में भूमि-कटाव बचाने हेतु योजना तैयार करने के लिये सर्वेक्षण हो चुका है। करकट नाले से बैलपड़ाव में रतनपुर, हिम्मतपुर ग्रामों में कटाव रोकने के लिये योजना विस्तृत सर्वेक्षण के उपरान्त बनाई जा सकेगी।

श्री इन्द्रलाल—

क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि जिन ग्रामों का सर्वेक्षण हो चुका है ? उनको बाढ़ से बचाने के लिये कुल कितने की योजना बनी है और कब से काम प्रारम्भ होगा ?

श्री बीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, इनका सर्वेक्षण हो चुका है और करने के आदेश भी दिये जा चुके हैं। योजना तो बहुत बड़ी थी लेकिन पी० ए० सी० नहीं मानी। दूसरी योजना लगभग पचास हजार रुपये की दे दी गयी है।

श्री इन्द्र लाल—

क्या माननीय मंत्री जी इस प्रश्न को सूचना मान कर ग्राम रतनपुर क्षेत्र के करकट नालेके बारे में वहां के अभियन्ता ने जो मुख्य अभियन्ता को पत्र भेजा था उसमें यह कहा गया था कि यह काम शीघ्र हो जाना चाहिये ? इस बात को देखते हुए क्या इस काम को तुरन्त प्रारम्भ किया जायगा ?

सिंचाई मंत्री (श्री रामलखन)—

इसका सर्वेक्षण हो रहा है। बरसात से पहले काम खत्म करने की कोशिश की जायगी।

सिंचाई विभाग के सहायक कृषि इन्जीनियर तथा ए० एम० ई० का कैडर मर्ज (सन्निद्ध) किया जाना

*2—श्री सुखपाल पांडेय (जिला बस्ती) तथा श्री राम करन सिंह (जिला गोरखपुर)—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई विभाग में सहायक कृषि इंजीनियर तथा ए० एम० ई० का कैडर मर्ज (सन्निद्ध) हो गया है ? यदि हां, तो कब से और क्या अधिकारियों की इन्टर-सीनियारिटी तय कर दी गई है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री सुखपाल पांडेय---

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि सहायक कृषि इंजीनियर ए० एम० आई० ई० कैडर में मर्ज हो गया है फिर अधिकारियों की सीनियारिटी फिक्स करने का प्रश्न क्यों नहीं उठता है ?

श्री रामलखन---

जवाब दिया गया कि मर्ज नहीं हुआ।

श्री सुखपाल पांडेय---

क्या इस सम्बन्ध में किसी विधायक का पत्र सरकार को मिला है कि वह मर्ज हो चुका है, इसलिये सीनियारिटी तय की जाय ?

श्री वीर बहादुर सिंह---

इसके लिये सूचना की आवश्यकता है।

प्रारम्भिक सिंचाई योजनाओं में प्रगति

*3---श्री शिवानन्द नौटियाल (जिला गढ़वाल)---

क्या सिंचाई मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि सिंचाई विभाग के अन्तर्गत 1968-69, 1969-70 1970-71 में कुल कितनी सिंचाई की योजनायें शुरू की गई हैं और अब तक उनकी क्या प्रगति है ?

श्री वीर बहादुर सिंह---

वर्ष 1968-69 में एक वृहत् व चार माध्यमिक प्रायोजनायें, अल्मोड़ा, नैनीताल, पौड़ी तथा टेहरी-गढ़वाल में पहाड़ी नहरों, 88 डाल सिंचाई प्रायोजनाओं तथा तीन नलकूप प्रायोजनाओं पर कार्य आरम्भ किया गया। वर्ष 1969-70 में 2 माध्यमिक सिंचाई, 85 डाल सिंचाई तथा तीन नलकूप प्रायोजनाओं पर कार्य शुरू किया गया। वर्ष 1970-71 में एक माध्यमिक सिंचाई, 12 राजकीय लघु सिंचाई, 35 डाल सिंचाई नहरों तथा एक नलकूप प्रायोजना पर कार्य आरम्भ किया गया था।

वर्ष 1968-69 में ली गई प्रायोजनाओं में से चार माध्यमिक प्रायोजनाए मुख्य रूप से पूर्ण हो चुकी हैं और उनसे सिंचाई के लिये जल उपलब्ध कराया जा रहा है। 74 डाल सिंचाई प्रायोजनाएं भी पूर्ण हो चुकी हैं।

वर्ष 1969-70 में आरम्भ की गई प्रायोजनाओं में से 25 डाल सिंचाई प्रायोजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं। वर्ष 1970-71 में आरम्भ की गई प्रायोजनाओं में से एक डाल सिंचाई प्रायोजना पूर्ण हो गई है। शेष प्रायोजनाओं पर कार्य प्रगति पर है।

वर्ष 1968-69 से 1970-71 तक की अवधि में ली गई नलकूप प्रायोजनाओं के अन्तर्गत 31-1-72 तक 1024 नलकूपों का निर्माण हुआ।

श्री शिवानन्द नौटियाल---

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जिला गढ़वाल में पैठाणी और पित्रसेन नामक दो योजनायें पूर्ण हो चुकी हैं उनमें पानी पहुंचा या नहीं ?

श्री वीर बहादुर सिंह---

इसके लिये सूचना की जरूरत है।

श्री गोविन्दसिंह नेगी—

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि वर्ष 1968-69 में जो योजनायें प्रारम्भ कर दी गयी थीं वे अभी तक पूरी क्यों नहीं हुई हैं ?

श्री बीर बहादुर सिंह—

बहुत सी योजनायें पूरी हो चुकी हैं और बहुत सी चालू हैं।

श्री इन्द्रमणि—

क्या सिंचाई मंत्री जी इस बात की जांच करान की कृपा करेंगे कि पर्वतीय जिलों में जितनी भी योजनायें तीन पंचवर्षीय योजनाओं में चालू की गयीं, उनमें से कितनी में पानी आता है और कितनी में नहीं आता ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

इसकी जांच कराली जायगी।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

जितनी ये योजनायें शुरू की गयी थीं, उनके पूरे होने के अलग-अलग तिथि क्या थी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

योजनाओं की अलग-अलग तिथियां होती हैं और हर एक का टार्गेट होता है और उसके ही अनुसार काम किया जाता है।

कुंवर चन्द्र प्रताप नारायण सिंह (जिला देवरिया)—

जो गंडक योजना चालू हुई वह कब तक तैयार हो जायगी ?

श्री अध्यक्ष—

यह पहले की योजना है।

श्री मैनेजर सिंह—

मंत्री जी ने उत्तर दिया कि जो योजनायें शुरू हुईं वे समय से पूरी नहीं हुई है, इस बात को देखते हुए कि योजना के अपनी निर्धारित अवधि में पूरी न होने के कारण उसकी लागत का व्यय बढ़ जाता है तो शासन ऐसे व्यय को कम करने के लिये क्या कार्यवाही करने जा रहा है कि योजनायें निर्धारित समय में पूरी हो जायं ?

श्री राम लखन—

इसका बराबर प्रयास किया जाता है कि योजनायें निर्धारित अवधि में ही पूरी हो जायं लेकिन जहां कोई कठिनाई कंट्रोल के बाहर होती है उनका कार्यकाल बढ़ जाता है।

*4—श्री शिवानन्द नौटियाल—

[स्थगित]

अलीगढ़ रीजन के यातायात विभागीय परिचालकों तथा चालकों की सवाएं समाप्त किया जाना एवं परिचालकों के विरुद्ध गबन की रिपोर्ट

*5—श्री कल्याणसिंह (जिला अलीगढ़) (अनुपस्थित)—

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतलायेंगे कि 1 जुलाई, 1971 से 31 दिसम्बर, 1971 तक की अवधि में असिस्टेंट जनरल मैनेजर, राजकीय यातायात विभाग, अलीगढ़ क्षेत्र, अलीगढ़ ने

अलीगढ़ रीजन के किन-किन परिचालकों और चालकों की सेवा को किन कारणों से समाप्त कर दिया है ? क्या यह भी सच है कि उपरोक्त सेवा निरस्त कर्मचारियों के स्थान पर नई नियुक्तियां की गई हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री बलरामसिंह यादव--

कथित अवधि में अलीगढ़ क्षेत्र के 17 परिचालकों और 12 चालकों की सेवायें समाप्त की गई थीं।

17 परिचालकों की सेवायें बिना टिकट यात्री ले जाने के कारण समाप्त की गईं।

12 चालकों में से 3 की सेवायें बिना टिकट यात्री ले जाने, एक चालक की सेवा कनिष्ठ स्टेशन इंचार्ज के साथ मारपीट करने तथा शेष 8 चालकों की सेवायें बसों द्वारा दुर्घटना में दोषी पाये जाने के कारण समाप्त की गईं। इनके स्थान पर नई नियुक्तियां की गईं जो बस संचालन के लिये आवश्यक थीं।

*6--श्री कल्याणसिंह (अनुपस्थित)--

क्या परिवहन मंत्री कृपया यह भी बतायेंगे कि असिस्टेंट जनरल मैनेजर, अलीगढ़ रीजन, अलीगढ़ के उक्त रीजन के किस-किस परिचालक के विरुद्ध माह जनवरी, 1971 के वे बिल्स के आधार पर माह दिसम्बर, 1971 कितनी-कितनी धनराशि के गबन की रिपोर्ट जनरल मैनेजर को की थी ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री बलरामसिंह यादव--

उत्तर प्रदेश राजकीय रोडवेज अलीगढ़ के सहायक प्रधान प्रबन्धक अलीगढ़ ने दिनांक 26 जनवरी, 1971 के वे बिल के आधार पर श्री रतन चन्द्र परिचालक के विरुद्ध रु० 4,930.39 पैसे के गबन की रिपोर्ट प्रधान प्रबन्धक, अलीगढ़ को दिनांक 3 दिसम्बर, 1971 को प्रेषित की। यह मामला पूर्ण जांच के लिये लेखा अधिकारी, अलीगढ़ को दिया गया है। जांच अभी पूर्ण नहीं हुई है।

ग्राम इसौली, जिला सुल्तानपुर में गोमती नदी पर पुल का निर्माण

*7--श्री मोहनलाल कपूर (जिला मेरठ)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला सुल्तानपुर के तहसील मुसाफिरखाना के ग्राम इसौली के पास गोमती नदी पर पुल बनाने की सरकार के पास कोई योजना है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त पुल के निर्माण पर विचार करेगी ?

श्री गुलाबसिंह--

जी नहीं।

अभी इस पुल के निर्माण की कोई आवश्यकता नहीं प्रतीत होती।

श्री मोहन लाल कपूर--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जब कि वहां के लोगों को बहुत कठिनाई है और वहां की जनता मांग कर रही है तो आप के सामने इस पुल के बनवाने में क्या कठिनाई है ?

श्री राजबिहारी सिंह--

जनता की कोई मांग अभी वहां से नहीं आयी है।

चौकाघाट पुल निर्माण में हुई श्री सुरेश मिस्त्री की मृत्यु की जांच

*8—श्री अनन्तराम जायसवाल—

क्या सरकार बतायेगी कि क्या यह सही है कि प्रश्नकर्ता की चिट्ठी के साथ सुरेश मिस्त्री की चौकाघाट पुल निर्माण करते हुए हुई मृत्यु की जांच कराने और हर्जाना दिलाने के विषय पर डा0 श्री राम प्रकाश, मंत्री, उत्तर प्रदेश पी0 डब्लू0 डी0 कर्मचारी फेडरेशन, मुगलसराय, वाराणसी का प्रार्थना-पत्र दिनांक 17 फरवरी, 1972 शासन को 21 फरवरी, 1972 को प्राप्त हुआ। यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई ?

श्री गुलाबसिंह—

जी हां। मामला जिलाधिकारी, वाराणसी के बिचाराधीन है।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

यह सुरेश मिस्त्री की मृत्यु किस तारीख को हुई थी ?

श्री राजबिहारी सिंह—

15-12-1971 को।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

जिलाधीश के सामने किस प्रकार की कार्यवाही बिचाराधीन है और वह किस स्टेज पर है ?

श्री राजबिहारी सिंह—

ऐसा नियम है कि जिन लोगों की मृत्यु काम करते समय हो जाती है उस की सूचना जिलाधिकारी को कम्पेनसेशन ऐक्ट के अनुसार दी जाती है और वह मुआवजा तय करते हैं लेकिन यह भी जरूरी होता है कि जिस की मृत्यु होती है उसके घर वालों की ओर से भी जिलाधिकारी को मुआवजे का प्रार्थना-पत्र दिया जाय। जहां तक हमारी जानकारी है विभाग ने तो लिखा है लेकिन व्यक्तिगत प्रार्थना-पत्र नहीं पहुंचा है, ऐसा मुझे बताया गया है।

श्री अनन्त राम जायसवाल—

यह ध्यान में रखते हुये कि जिलाधिकारी बहुत ही व्यस्त अधिकारी हैं क्या शासन की ओर से आदेश जायगा कि मृत्यु के कारण को इन्वेस्टीगेट करके जल्द मुआवजा दिया जाय ?

श्री राज बिहारी सिंह—

प्रश्नकर्ता सदस्य ने पत्र लिखा था मुझे और उस के बाद हम 2 बार जिलाधीश को रिमाइन्ड कर चुके हैं।

श्री चन्द्रभान शर्मा—

ऐसे केसेज में जिलाधिकारी मुआवजा तय करने की अथारिटी तय करते हैं तो क्या यह मुमकिन है कि यह तहकीकात उन से न करा के किसी और अधिकारी से करायी जाय ताकि वह प्रिजुडिस न हों ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

राजकीय चिकित्सालय कोटद्वारा गढ़वाल के भवन को खतरनाक प्रमाणित किया जाना

*9—श्री चन्द्रमोहन सिंह नेगी (जिला गढ़वाल)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड, सार्वजनिक निर्माण विभाग, पौड़ी ने राजकीय चिकित्सालय, कोटद्वार, गढ़वाल के भवन को खतरनाक प्रमाणित किया है ? यदि हां, तो कब ?

श्री गुलाब सिंह—

जी हां, जिलाधिकारी के पास इस आशय का पत्र 6-11-70 को आया।

श्री चन्द्रमोहन सिंह नेगी—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सन् 1970 में इंजीनियर द्वारा इस भवन को खतरनाक घोषित कर दिए जाने के बाद भी इस बिल्डिंग में अस्पताल चल रहा है और न उसकी मरम्मत हुयी है और न दुबारा भवन बनाने की कोशिश की गयी है ?

श्री राज बिहारी सिंह—

असल में अस्पताल स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत आता है उसी विभाग की प्रापर्टी है। उसको बनवाने या मरम्मत की जिम्मेदारी उसी की रहती है। सरकारी बिल्डिंग की दखरख करके हमने रिपोर्ट दे दी कि अस्पताल की हालत ठीक नहीं है। स्वास्थ्य विभाग उस पर क्या निर्णय लेता है यह उसका काम है। वर्ष 1972-73 में 20 हजार रुपया उसकी मरम्मत के लिए मांगा है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

श्रीमन्, सरकार का सामूहिक उत्तरदायित्व है अतः क्या एक माननीय मंत्री यह कह सकते हैं कि इसका सम्बन्ध उनके विभाग से नहीं है, दूसरे विभाग से है। क्या आप इस प्रकार का उत्तर दिलवायेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

यदि इस प्रश्न का सम्बन्ध स्वास्थ्य विभाग से है तो उनसे पूछ लेना चाहिए था और माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री को उत्तर देना चाहिए।

श्री राज बिहारी सिंह—

बता तो दिया कि इस साल 20 हजार रुपये का प्राविधान किया गया है।

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी—

श्रीमन्, मैंने यह प्रश्न स्वास्थ्य मंत्री से पूछा था, पता नहीं यह किस प्रकार से सार्वजनिक निर्माण विभाग के पास चला आया। गढ़वाल मंडल में कोटद्वार सब से बड़ा नगर है और इस शहर में सबसे बड़ा अस्पताल यह है जिसकी हालत खस्ता है, डाक्टर के रहने का मकान भी ठीक नहीं है। नारायण दत्त तिवारी जी ने भी इस अस्पताल को देखा है। क्या माननीय मुख्य मंत्री जी या मंत्री जी इस बात का आश्वासन देंगे कि गढ़वाल मंडल में सब से बड़ा नगर कोटद्वारा है जिसमें यह अस्पताल है उसके भवन बनाने पर विचार करेंगे ?

श्री राज बिहारी सिंह—

यह जांच पड़ताल के बाद ही मालूम हुआ कि 20 हजार रूपये की मरम्मत के बाद ठीक हो जायगा। अगर ठीक न हुआ तो फिर प्रश्न उठ सकता है।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

भवन के खतरनाक हालत में होने की जब यह सूचना 70 में ही मिल गयी तो शासन ने अब तक उस पर क्या कार्यवाही निर्माण की दिशा में की और अगर नहीं की है तो विलम्ब से आदेश जारी करने के क्या कारण हैं ?

श्री राज बिहारी सिंह--

रिपोर्ट मिली 1969 में 454 रुपया खर्च किया गया। फिर उसके बाद 3 हजार रुपया और 1972-73 में 20 हजार रुपया खर्च करने की बात है।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह रुपया कब मंजूर हुआ और किन कारणों से काम आरम्भ नहीं हुआ ?

श्री राजबिहारी सिंह--

जिस विभाग की इमारत होती है अगर वह लिखता है तो सार्वजनिक निर्माण विभाग जिम्मेदार होता है।

श्री गोविन्दसिंह नेगी--

श्रीमन्, पिछले 2 सालों से इस अस्पताल के भवन की खतरनाक हालत है लेकिन आज भी इसमें मरीज रह रहे हैं तो इस बात को देखते हुए कि बरसात आने वाली है, तो उसके पहले अस्पताल के लिए एक नया भवन बन जायगा, यह आश्वासन मंत्री जी देंगे ?

श्री राजबिहारी सिंह--

यह असंभव बात है कि बरसात से पहले नया भवन बन जायगा।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि यह रुपया कब मंजूर हुआ, और कब आपके यहां से सैंक्शन हुयी। इसमें क्या सचिव जिम्मेदार है,या विभाग का कोई अधिकारी जिम्मेदार है, जिसके कारण यह काम आरम्भ नहीं हुआ है ?

श्री राज बिहारी सिंह--

सन् 1972-73 के लिये बीस हजार रुपया रक्खे गये हैं।

वर्तमान उप परिवहन आयुक्त "टेकनिकल" के पद पर नियुक्ति

*10--श्री अनन्तराम जायसवाल--

क्या परिवहन मंत्री बतायेंगे कि वर्तमान उप परिवहन आयुक्त "टैक्निकल" को सरकार व लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित शर्त कि यह पद इंजीनियर ग्रेजुएट को ही मिलना चाहिये को तोड़कर इन्हें इस पद पर आरूढ़ किया गया, यदि हां, तो क्यों ?

श्री आबिद अली--

जी नहीं। शेष प्रश्न नहीं उठता।

श्री अनन्त राम जायसवाल--

क्या शासन और आयोग के द्वारा कोई इसमें शर्त लगाई गई है ?

श्री बलराम सिंह यादव--

जी हां, शर्त लगाई गई है।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

क्या शासन के सम्मुख ऐसी पत्रावली विचाराधीन है जिसमें वह व्यक्ति शर्त में नहीं आता ?

श्री बलराम सिंह यादव--

ऐसी बात नहीं है।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

क्या मंत्री जी इस सदन को आश्वासन देंगे कि उन शर्तों को तोड़ कर किसी की नियुक्ति नहीं की जायेगी ?

श्री बलराम सिंह यादव--

इसके लिये कुछ नहीं कहा जा सकता। पर ध्यान में रखते हुए वैसे ही कार्यवाही की जायेगी।

12 अप्रैल, 1972 ई० के लिए निर्धारित
तारांकित प्रश्न

कमाकोट--बमेड़ी, जिला पौड़ी गढ़वाल का मोटर रोड का निर्माण

*1--श्री शिवानन्द नौटियाल--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जिला पौड़ी-गढ़वाल में कमाकोट--बमेड़ी मोटर रोड के निर्माण के लिये क्या निर्णय किया गया है और कब से उस मोटर मार्ग का निर्माण कार्य आरम्भ हो जायगा तथा कुल कितना धन इस मार्ग पर व्यय होगा ?

श्री गुलाबसिंह--

इस मार्ग के निर्माण का इस वक्त कोई प्रस्ताव नहीं है।

श्री शिवानन्द नौटियाल--

क्या माननीय मन्त्री जी जनता की विशेष मांग को ध्यान में रखते हुए यह आश्वासन देंगे कि इस मार्ग को बनाने के लिये शीघ्र आवश्यक कदम उठायेंगे ?

श्री राज बिहारी सिंह--

माननीय सदस्यों को मालूम है कि इस पर्वतीय क्षेत्र में एक विकास परिषद् बनाई है उन सड़कों और पुलों के बारे में वरीयता जो दिया करते हैं। वह जिस पर वरीयता देती है शासन उसको बनाता है। इस सड़क के बारे में कोई निर्देश नहीं है इसलिये शासन इस पर विचार नहीं कर सकता है।

सहायक कृषि अभियन्ता एवं स्थायी असिस्टेन्ट मैकेनिकल इन्जीनियर का स्थायीकरण

*2--श्री सुखपाल पांडेय तथा श्री राम करन सिंह--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि कृषि कैडर के कितने सहायक कृषि अभियन्ता हैं जो सहायक अभियन्ता के पद पर गत 10 वर्ष से कार्य कर रहे हैं परन्तु अभी तक स्थाई नहीं किये गए और कितने ऐसे असिस्टेन्ट मैकेनिकल इंजीनियर हैं जिनकी सर्विस 10 वर्ष से कम है परन्तु वह स्थाई कर दिये गये हैं? यदि ऐसा है, तो उसके क्या कारण हैं और कब तक इसे सुधार लिया जायगा ?

श्री बीरबहादुर सिंह---

कृषि संवर्ग के केवल 4 सहायक कृषि अभियन्ता हैं जो सहायक अभियन्ता के पद पर 10 वर्ष से अधिक से कार्य कर रहे हैं किन्तु अभी स्थायी नहीं किये गये हैं। कोई भी ऐसे सहायक यांत्रिक अभियन्ता नहीं हैं जिनकी सेवा आज 10 वर्ष से कम है और स्थायी कर दिये गये हैं।

सहायक कृषि अभियन्ता के संवर्ग में स्थायी पदों की कमी के कारण अभी इनका स्थायीकरण नहीं किया जा सका है। इनके स्थायीकरण का प्रश्न शासन के विचाराधीन है किन्तु अभी कोई निश्चित समय बताना सम्भव नहीं है।

श्री सुखपाल पांडेय---

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि इन सहायक कृषि अभियन्ताओं के स्थायी पदों की कमी कितनी है और कितने दिनों से है ?

श्री रामलखन---

जब से कृषि विभाग से आये हुए हैं तब से यह कमी पड़ी हुई है।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

कृषि अभियन्ता से सहायक इंजीनियर बनाने के कोई नियम हैं या वैसे ही सब मामला चलता है ?

श्री रामलखन---

कृषि विभाग से स्थानान्तरित होकर ये अभियन्ता आये हैं। उनको स्थायी करने का मामला उसी विभाग से हो रहा है।

श्री सुखपाल पांडेय---

इनको जो स्थायी करने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है वह कितने दिनों से है और उसके कब तक पूरा होने की सम्भावना है ?

श्री रामलखन---

बहुत काफी अर्से से विचाराधीन है और वह जल्दी ही पूरा कर लिया जायेगा।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

क्या सरकार की यह घोषित नीति नहीं है कि तीन साल के अन्दर कोई भी अस्थायी कर्मचारी हो तो उसको स्थायी कर दिया जाता है ? तो इस मामले के अन्दर दस-दस साल पुरान व्यक्ति क्यों हैं जिनको स्थायी नहीं किया गया है ?

श्री रामलखन---

इस नीति की घोषणा अभी हाल ही में की गई है उस पर भी विचार किया जायगा। वैसे नियमावली भी बनी हुई है।

पर्वतीय विकास बोर्ड द्वारा प्रस्तावित गढ़वाल जिलें की सड़कें

*3---श्री शिवानन्द नौटियाल---

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि पर्वतीय विकास बोर्ड की ओर से प्रस्तावित कर्णप्रयाग-नोटी-किरसाल, गिदौखाल पैठानी-चिपलघाट सड़क की अबतक क्या प्रगति है और गढ़वाल मण्डल के लिये पर्वतीय विकास बोर्ड ने जिन सड़कों की संस्तुति भेजी थी उन पर क्या प्रगति हुई है ?

श्री गुलाब सिंह--

सूचना एकत्रित की जा रही है।

श्री शिवानन्द नौटियाल--

मान्यवर, यह प्रश्न 21-2-72 को दिया गया था और सरकार के पास 6-3-72 भेजा गया और जैसा मन्त्री महोदय ने पहले प्रश्न के उत्तर में कहा कि पर्वतीय विकास परिषद् की ओर से आने वाले वे सभी प्रस्ताव पहले उन पर वरीयता दी जाती है, तो यह जो प्रश्नगत सड़क है उसके विषय में सन् 1970-71 में हिल बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट में सबसे पहले वरीयता दी है। तो क्या कारण है कि उस पर विलम्ब हुआ जिससे यह उत्तर दिया जा रहा है कि सूचना एकत्र की जा रही है ?

श्री राजबिहारी सिंह--

सूचना एकत्र किये जाने का कारण यह है कि उसका कुछ इलाका सीमान्त विभाग में आता है। सीमान्त विभाग को इसके विषय में लिखा गया था, लेकिन पूरी सूचना प्राप्त नहीं हो सकी है। अतः सदन को पूरी सूचना दी जा सके, इसलिये ऐसा कहा गया।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

इस बात को देखते हुए कि पहाड़ी अंचलों की सूचना म गाने में इतनी देरी होती है, तो क्या माननीय मन्त्री जी इस बात पर विचार करेंगे कि पर्वतीय जिलों का अलग राज्य बना दिया जाय?

श्री राजबिहारीसिंह--

यह माननीय सदस्य का ऐसा ख्याल है। सरकार मानने वाली नहीं है।

श्री चन्द्रमोहन सिंह नेगी--

सन् 1971-72 में जो पर्वतीय विकास परिषद् ने सड़कें स्वीकृत कर दी थीं, तो क्या उन पर अभी तक एडमिनिस्ट्रेटिव सेंक्शन या फाइनेन्शियल सेंक्शन प्राप्त नहीं हुई हैं ?

श्री राजबिहारीसिंह--

यह प्रश्न दूसरा है। इसमें सूचना की जरूरत है।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

क्या माननीय मन्त्री जी यह बतायेंगे कि पर्वतीय बोर्ड ने शासन को संस्तुति दी होगी, तो उस संस्तुति की जानकारी शासन को होगी, तो उसमें सूचना एकत्र करने में इतना विलम्ब क्यों ?

श्री राजबिहारी सिंह--

जैसा मैंने पहले कहा मान्यवर, उसका कुछ इलाका सीमान्त विभाग में पड़ता है, उसका काम गोपनीय विभाग करता है। चूंकि सदन को पूरी सूचना दी जा सके, अतः कहा गया है कि सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

मान्यवर, मैं माननीय मुख्य मन्त्री से एक नीति सम्बन्धी बात पूछना चाहता हूं कि जो पिछड़े हुए क्षेत्र हैं, जहां पर्वतीय विकास परिषद् बना हुआ है, इसकी जो संस्तुतियां हैं, उनको वरीयता मिलेगी कि नहीं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

एक सवाल यह उठ सकता है कि पर्वतीय विकास परिषद् में देहरादून को रखा जाय कि नहीं ? रह गई वरीयता की बात, वह दी जायगी उनकी संस्तुतियों पर।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

माननीय मुख्य मन्त्री जी से अनुरोध है कि कम से कम देहरादून को बचा लें ।

श्री मैनेजर सिंह--

जैसा कि माननीय मन्त्री जी ने कहा कि सूचना एकत्र की जा रही है तो सार्वजनिक निर्माण विभाग के जो विभागाध्यक्ष हैं और जो मुख्यालय है जहां एक से एक बड़ी-बड़ी तनख्वाह पाने वाले अधिकारी रखे गये हैं, तो क्या उनको पता नहीं कि जिले में सड़कों या भवनों के निर्माण की प्रगति क्या है ?

श्री राजबिहारी सिंह--

यह जो सवाल है, वह सच्चाई से बहुत दूर है ।

*4--श्री सुखपाल पांडेय तथा श्री रामकरनसिंह--

[निरस्त]

*5--श्री नित्यानन्द स्वामी--

[5वें गुरुवार में प्र० सं० 20 पर स्थानान्तरित]

एस० एन० बी० द्वारा प्रस्तावित गाजीपुर जिले की सड़क

*6--श्री मुमताज मुहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर) (अनुपस्थित)--

क्या सा० नि० मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि वर्ष 1970-71 में जिला गाजीपुर में गाजीपुर-बुजुर्ग-सीरपुर मार्ग को पक्का कराने के लिये एस०एन०वी० में प्रस्तावित किया गया था? यदि हां, तो उसे क्यों काट दिया गया ? क्या उस पर पुनः विचार करके उसको चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में पक्का कराने की कृपा करेंगे ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

जी नहीं । शेष भाग का प्रश्न नहीं उठता ।

*7--श्री इन्द्रमणि--

[6ठें बुधवार के लिये स्थगित]

"टिहरी बांध परियोजना" में प्रस्तावित मुआवजा एवं पुनर्वास

*8--श्री गोविन्द सिंह नेगी--

क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि "टिहरी बांध परियोजना" में प्रस्तावित विस्थापित ग्रामवासियों के मुआवजे के लिये कितने रुपये की धनराशि का प्राविधान है और विस्थापित ग्रामवासियों के पुनर्वास के लिये शासन ने क्या व्यवस्था की है?

श्री वीरबहादुर सिंह--

प्रथम भाग--

5,60,20,000 रु० का प्राविधान है ।

द्वितीय भाग--

विस्थापित ग्रामवासियों के पुनर्वास का प्रश्न अभी शासन के विचाराधीन है ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि "टेहरी बांध परियोजना" के सम्बन्ध में कितने ग्रामवासियों को विस्थापित करने का अनुमान है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, इस योजना से 22 पूरे गांव तथा 70 गांव आंशिक रूप से डूबेंगे और टेहरी नगर भी डूबेगा ।

श्री इन्द्रमणि--

मान्यवर, जिस दिन आप टिहरी गये थे उस समय केन्द्र के मन्त्री भी वहां गये हुयेथे । आपने वहां पर घोषणा की थी कि टेहरी गढ़वाल से जितने लोग विस्थापित होंगे जिनकी जमीन डूबेगी उनको जमीन दी जायेगी और जिनके मकान डूबेंगे उनको मकान दिया जायगा । इन लोगों को हरद्वार ऋषिकेश और देहरादून के बीच में बसाया जायगा । क्या वह इस प्रकार से विस्थापितों को बसाने का कार्य करेंगे ?

श्री रामलखन--

जो लोग विस्थापित होंगे उनको बसाने की पूरी व्यवस्था की जायेगी । जिनकी मकान या जमीन का नुक्सान होगा उन लोगों के लिये पुनर्वास की पूरी व्यवस्था की जायगी ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

क्या उनके पुनर्वास की व्यवस्था पर विचार हो रहा है ? मैं मन्त्री जी से यह पूछना चाहता कि यह विचार किस स्तर पर चल रहा है सचिवालय स्तर पर अथवा मंत्रिमण्डल स्तर पर ?

श्री रामलखन--

इस पर विचार करने के लिये एक समिति है जो इस पर विचार कर रही है ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

जो विस्थापितों के पुनर्वास की मूल योजना है उसका विरोध वन विभाग कर रहा है और इस योजना को टाल दिया गया है ?

श्री रामलखन--

अभी तक उसकी सूचना प्राप्त नहीं हुई है ।

श्री मैनेजर सिंह--

क्या मन्त्री जी इसको बतलाने की कृपा करेंगे कि इसके लिये एक समिति है ? क्या उस समिति में क्षेत्रीय विधायक को भी शामिल करने का विचार आप करेंगे ?

श्री रामलखन--

आप लोगों के जो सुझाव होंगे उन सभी पर विचार किया जायंगा । आप सुझाव दे सकते हैं ।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

मान्यवर, इसमें 5 करोड़ रुपयों की धनराशि रखी गई है । इसका आधार क्या है ?

श्री वीरबहादुर सिंह--

मान्यवर, इसको जो बनाया गया है 4 हजार एकड़ कल्टीवेटेड लैंड 4700 रु० एकड़ के हिसाब से 1 करोड़ 88 लाख रुपया हुआ । अनकल्टीवेटेड लैंड 4 हजार एकड़ है] 3000 रु० एकड़ के हिसाब से 1 करोड़ 20 लाख रुपया हुआ । फारेस्ट की लैंड 3600 एकड़ है जिसका 1 करोड़ 26 लाख रुपया और करीब 10 लाख वर्ग फीट मकानों का हैं जिनका 80 लाख रुपया होता है ।

श्री गोविन्दसिंह नेगी--

मान्यवर, क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि टेहरी नगर भी सब मर्ज हो जायगा । क्या कोई नया नगर बसाने की भी योजना है और उसका निर्माण-कार्य कब से आरम्भ हो जायगा?

श्री राम लखन--

इन सारे पहलुओं पर वह कमेटी विचार कर रही है। उसकी रिपोर्ट आने के बाद ही सारी योजना का कार्य आरम्भ कर दिया जायगा।

*9--चौधरी रामपाल सिंह यादव--

[6ठे बुधवार के लिये स्थगित]

*10--श्री अनन्तराम जायसवाल--

[6ठे बुधवार के लिये स्थगित]

*11-12--श्री रियासत हुसैन--

[6ठे बुधवार के लिये स्थगित]

*13-14--श्री शम्भूनाथ चौधरी--

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया।]

*15--श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य--

[6ठे बुधवार के लिये स्थगित]

फर्रुखाबाद रोडवेज डिपो की भेजी गई बस गाड़ियां

*16--श्री महरामसिंह (जिला फर्रुखाबाद)--

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि अक्तूबर, 1971 से फरवरी, 1972 के बीच फर्रुखाबाद रोडवेज डिपो के लिये कुछ नई बस गाड़ियां भेजी गई थीं परन्तु अधिकारियों ने उनमें से कुछ वापस कर दी हैं जबकि कई स्थानों पर बसों की कमी के कारण यात्रियों को कठिनाई है और बस चलाने की मांगें चल रही हैं? यदि हां, तो क्यों?

श्री आबिद अली--

माह अक्तूबर, 1971 से फरवरी, 1972 के बीच फर्रुखाबाद रोडवेज डिपो के लिये केवल 2 नई सिटी बस की गाड़ियां भेजी गई थी और उनमें से कोई गाड़ी वापस नहीं मंगाई गई।

फर्रुखाबाद डिपो में बसों की कोई कमी नहीं है। अतएव यात्रियों को कठिनाई उठाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है।

श्री महरम सिंह--

माननीय मन्त्री जी ने यह जवाब दिया कि दो गाड़ी भेजी गई थीं और वह वापस नहीं की गई हैं और वहां पर यात्रियों को कोई कठिनाई नहीं है। मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि जब उन के सामने और बसें चलाने का प्रश्न विचाराधीन है और जनता ने उनसे मांग की है तो किस आधार पर बसें पर्याप्त हैं?

श्री बलराम सिंह यादव--

जनता की ओर से सरकार के पास कोई मांग नहीं है किसी एक खास रोड पर माननीय सदस्य ने अवश्य बसें चलाने की मांग की है।

फर्रुखाबाद जिले में सिटी बस सेवा की मांग

श्री महराम सिंह--

*17--क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि फर्रुखाबाद जिले में किन-किन स्थानों के लिये सिटी बस चलाने की मांग है और उन स्थानों पर बसें न चलान क क्या-क्या कारण हैं?

श्री आबिद अली--

फर्रुखाबाद जिले के निम्नलिखित मार्गों पर सिटी बस सेवा की मांग है--

1--फतेहगढ़-राजेपुर

2--फतेहगढ़-अमृतपुर

3--कमालगंज-आर० पी० इंटर कालेज

इन मार्गों पर बस न चलाये जाने के कारण निम्नलिखित हैं--

1--फतेहगढ़-राजेपुर--

यह मार्ग 15 किलोमीटर लम्बा है। इस पर दिनांक 26-3-71 से 5-6-71 तक प्रयोगात्मक रूप से सिटी बस सेवा चलाई गई थी जो असंतोषजनक आय होने के कारण बन्द कर दी गई।

2--फतेहगढ़-अमृतपुर

उपरोक्त सेवा को अमृतपुर तक बढ़ाने के लिये अगस्त, 1971 में मांग प्राप्त हुई थी। चूंकि वह सेवा हानि होने के कारण 6-6-71 से बन्द कर दी गई थी। अतः उसे अमृतपुर तक बढ़ाने का कोई प्रश्न नहीं उठता।

3--कमालगंज-आर० पी० इण्टर कालेज--

फर्रुखाबाद-कमालगंज मार्ग पर चलने वाली सिटी बस सेवा जनता की मांग पर आर० पी० इण्टर कालेज तक कमालगंज से एक किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, 5-3-70 से बढ़ा दी गई थी। इस सेवा के संचालन की प्रशासकीय कठिनाईयों के कारण इस सेवा को 31-3-71 से बन्द करना पड़ा और यह सेवा अब पहले ही की भांति फर्रुखाबाद से कमालगंज तक चल रही है।

श्री महराम सिंह--

माननीय मन्त्री जी ने जो जवाब दिया कि राजेपुर-फतेहगढ़ और फतेहगढ़-अमृतपुर और कमालगंज-आर० पी० इन्टर कालेज तक सिटी बसें चलाने की मांग है। जैसा कि कहा है कि फतेहगढ़-राजेपुर 26-3-71 से 3-6-71 तक सिटी बस चलाई गई और उसमें घाटा हुआ, इसलिये बन्द कर दी गई है और चूंकि अब फिर से मांग की गई है, लेकिन घाटे के कारण चला नहीं रहे हैं, मैं तो जानना चाहता हूं कि क्या इस बात की जानकारी है कि पिछले वर्ष जब बसें चलाई गई थीं, उस समय वहां गंगा पर कोई पक्का पुल नहीं था।

श्रीमन्, यह कई करोड़ की लागत से उत्तर प्रदेश और भारत सरकार ने मिलकर इस पुल को बनाया है। यह रोड राजापुर तक जाती है और यह एकमात्र रोड है जिस पर सभी कार्यालय ब्लाक आदि पड़ते हैं.....

श्री नित्यानन्द स्वामी--

श्रीमन्, ये माननीय सदस्य क्या अपना प्रश्न 12 बजे तक समाप्त कर सकेंगे?

श्री महराम सिंह--

श्रीमन्, मैं वही कर रहा हूं। तो मन्त्री जी को जानकारी है कि पिछले साल गंगापुल नहीं था और यदि बसें चलीं होंगी तो बिना पुल के चली होंगी और उसमें घाटा रहा होगा। लेकिन इस बार पुल बन गया है पक्का पुल बन गया है। तो इस पक्के पुल पर जब बसें चली होंगी तो किस थर्मामीटर से नापकर पिछले साल और इस साल के आंकड़े में घाटा दिखाया गया है?

श्री बलराम सिंह यादव--

मान्यवर, इस शिकायत के बारे में मेरी जानकारी है। इस सम्बन्ध में आदेश पारित कर दिये गये हैं। लेकिन माननीय सदस्य ने फिर भी क्वेश्चन कर दिया। खैर उन्हें क्वेश्चन करने का अधिकार है। श्रीमन्, इस सारे मामले की जांच करा रहे हैं और शीघ्र ही यह सेवा चालू कर दी जायेगी।

*18--श्री अनन्तराम जायसवाल--

[6 ठें बुधवार के लिये स्थगित]

बदायूं जिले की सिंचित तथा असिंचित भूमि

*19--श्री कृष्णस्वरूप वैश्य (जिला बदायूं)--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बदायूं जिले के किस-किस विधान सभाई क्षेत्र में कितनी-कितनी भूमि कृषि योग्य है? कितनी-कितनी भूमि की सिंचाई राजकीय नलकूपों, नहरों, निजी नलकूपों तथा अन्य साधनों द्वारा की जाती है और कितनी कितनी किस-किस विधान सभा क्षेत्र में असिंचित है? असिंचित भूमि को सिंचित करने की सरकार की क्या योजना है और यह कब तक पूरी हो जायेगी?

श्री वीर बहादुर सिंह--

प्रश्न का प्रथम भाग--

वांछित सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है।

प्रश्न का दूसरा भाग--

इस क्षेत्र में नहरों द्वारा सिंचाई की कोई योजना नहीं है। नलकूपों द्वारा यथा सम्भव सिंचाई साधन उपलब्ध कराये जा रहे हैं।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 658 पर)

श्री कृष्णस्वरूप वैश्य--

श्रीमन्, बदायूं जिले में पौने पांच लाख एकड़ कृषि भूमि असिंचित है। क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस भूमि की सिंचाई के लिये सरकार ने कौन-कौन सी योजनायें बनायी हैं और वे कब तक पूरी होंगी?

श्री वीरबहादुर सिंह--

कोई दूसरी योजना नहीं है। नलकूप प्रतिवर्ष लगाये जाते हैं और वे ही साधनों से धीरे-धीरे लगाये जायेंगे।

श्री कृष्णस्वरूप वैश्य--

बदायूं जिले में कोई नहर सिंचाई के लिये नहीं है। तो क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यदि केवल नलकूपों से सिंचाई होती है तो क्या वहां ज्यादा संख्या में नलकूप आवंटित करेंगे और आवंटित करेंगे तो कितने करेंगे ?

श्री रामलखन--

वित्तीय संसाधनों के अनुसार जितने सम्भव हो सकेंगे, दिये जायेंगे।

श्री मोहम्मद असरार अहमद--

क्या उसके आवंटन का कोई आधार बना रखा है कि नहीं?

श्री रामलखन—

साधन और सिंचाई की आवश्यकता ही इसका आधार है।

श्री शिवराज सिंह (जिला बदायूं)—

क्या इस बात को देखते हुए कि बदायूं में नलकूप खण्ड प्रदेश में सबसे पुराना है और इस नलकूप की क्षमता बहुत गिर गयी है, तो क्या वहां ट्यूबवेल लगाने की कृपा करेंगे?

श्री रामलखन—

नये बनाने की योजना चलाई जा रही है।

श्री कृष्णस्वरूप वैश्य—

क्या सिंचाई मन्त्री जी यह आश्वासन देने की कृपा करेंगे कि हमारे असिंचित जिलों में ज्यादा नलकूप आवंटित करेंगे?

श्री रामलखन—

यह संसाधनों पर निर्भर है। जितने साधन उपलब्ध होंगे, उसी हिसाब से उनको आवंटित किया जायगा।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

मान्यवर, मुख्य मन्त्री जी ने कहा था कि प्रश्न अगर मगर करके न किये गये। श्रीमन्, फिर ये सरकार की तरफ से उत्तर अगर मगर करके क्यों किये जा रहे हैं। बदायूं जिले में कितने नलकूपों की योजना है, यह साफ-साफ क्यों नहीं बताया जाता ?

श्री रामलखन—

5 नलकूपों की योजना फिलहाल है।

श्री मैनेजर सिंह—

माननीय मन्त्री जी ने कहा कि धीरे-धीरे लगवा रहे हैं तो मैं जानना चाहता हूं कि वे धीरे-धीरे क्यों लगवा रहे हैं? (हंसी)

(उत्तर के लिये नहीं पुकारा गया।)

आजमगढ़ जिले के दोहरीघाट में बने पीपे का पुल बह जाना

*20—श्री लालसा (जिला आजमगढ़)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री को इस बात की जानकारी है कि दिनांक 10 जून, 1971 को जिला आजमगढ़ में दोहरीघाट घाघरा नदी पर पीपे का पुर टूट कर बह गया था जिससे लाखों रुपये की सम्पत्ति, सैकड़ों आदमी तथा 2 नाव भी डूब गई थीं जिसकी सूचना दिनांक 11-6-71 को टेलीग्राम द्वारा भी प्राप्त हुई थी? यदि हां, तो अब तक उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री महमूद अली खां—

10 जून, 71 को कोई दुर्घटना नहीं हुई थी। 11 जून को एकाएक 3 फीट पानी बढ़ जाने से पुल का कुछ भाग तेज धारा में बह गया था जिसे विभाग के मल्लाहों ने कुछ दूर पर पकड़ लिया था। इसमें धन व जन की कोई हानि नहीं हुई।

(नोट—तारांकित प्रश्न संख्या 19 के उपरान्त प्रश्नोतर का समय समाप्त हो गया।)

*21—श्री लालसा—

क्या मन्त्री जांच कराकर यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त दुर्घटना के पूर्व भी उक्त पीपे का पुल टूट कर घाघरा नदी में बह गया था और क्या यह भी सही है कि उक्त दुर्घटनायें जो हुई हैं वह सम्बन्धित ओवरसियर की लापरवाही से हुई हैं ? यदि हां तो क्या मन्त्री जी ऐसे गैर जिम्मेदार ओवरसियर के विरुद्ध अविलम्ब उचित कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ?

श्री महमूद अली खां—

इस तरह आकस्मिक पानी बढ़ जाने से घटनायें होती रहती हैं जिसके लिये किसी पर दोष मढ़ना वांछित नहीं प्रतीत होता ।

*22—चौ० रामपाल सिंह यादव—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

*23—श्री दीप नारायण मणि त्रिपाठी—

[6ठे बुधवार के लिये स्थगित ।]

*24—श्री रामलगन दूबे—

[6ठे बुधवार के लिये स्थगित]

*25—श्री सुरेन्द्र विक्रम—

[6ठे बुधवार के लिये स्थगित]

*26—श्री रामलगन दूबे—

[6ठे बुधवार के लिये स्थगित]

कानपुर परगना की सचेड़ी–विधूत की कच्ची सड़क को पक्का करने की कथित योजना

*27—श्री उपेन्द्रनाथ दीक्षित (जिला कानपुर)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कानपुर परगना के अन्तर्गत सचेड़ी से विधूत जाने वाली कच्ची सड़क को पक्का कराने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो उक्त योजना को कब तक कार्यान्वित किया जायगा ?

श्री महमूद अली खां—

जी नहीं ।

*28—श्री दीप नारायण मणि त्रिपाठी—

[छठें बुधवार के लिये स्थगित ।]

*29—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

[6ठें बुधवार के लिये स्थगित]

*30—श्री रामकुंवर सिंह—

[6ठें बुधवार के लिए स्थगित]

*31—श्री चेतराम मंगवार—

[6ठें बुधवार के लिये स्थगित]

नलकूप उपखंड ततीय (एटा) नलकूप खंड, अलीगढ़ द्वितीय के अधिदर्शक के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायतें

*32—श्री कल्याणसिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि नलकूप उपखंड तृतीय (एटा) नलकूप खंड, अलीगढ़ द्वितीय के वर्तमान अधिदर्शक के विरुद्ध सार्वजनिक धन के दुरुपयोग गबन एवं भारी भ्रष्टाचार के गम्भीर आरोपों से संबंधित श्री हरीश कुमार मनेगंज एटा का दिनांक 22 अक्तूबर, 1971 का ज्ञापन एवं उसके प्रश्नकर्ता की दिनांक 19 नवम्बर, 1971 की टिप्पणी का कोई पत्र सरकार को मिला है? यदि हां तो अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री रामलखन—

जी हां ।

इस मामले में जांच करने पर अधिदर्शक तथा ठेकेदार को दोषी पाया गया । अधिदर्शक की एक वेतन वृद्धि स्थायी रूप से रोकने के आदेश दे दिये गये हैं तथा सहायक अभियन्ता को सचेत कर दिया गया है । इस मामले में ठेकेदार को 1052 रु० का अधिक भुगतान हो गया था जिसकी वसूली भी उससे कर ली गई है तथा उसके आगे के कोई कार्य करने पर रोक लगा दी गई है ।

अलीगढ़ जिले के शैरपुर सटकना तथा बिजौली के मध्य नीम नदी पर पुल का निर्माण

*33—श्री कल्याणसिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या जिला अलीगढ़ के विधान सभा क्षेत्र अतरौली में शैरपुर सटकना तथा बिजौली के मध्य नीम नदी पर पु ल निर्माणार्थ स्थानीय ग्राम पंचायती सिद्धवनपुरा, बड़ेसरा, बाड़ौला, रूमामई, सिधौली, बीलपुरा, सिरसातरैची, दूधमा, पालीमुकीम-पुर, पोढोल बहोना एवं मससोई, बिजौली, शैखपुर, सटकना, वनपान सिरौली, बढ़पुरा आदि के प्रधानों के हस्ताक्षरों से युक्त दिनांक 27 अगस्त, 1971 को कोई प्रार्थना-पत्र एवं उसके साथ संलग्न प्रश्नकर्ता की व्याख्या का पत्र दिनांक 28 अगस्त, 1971 सरकार को प्राप्त हुआ है ? यदि हां तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्री महमूद अली खां—

जी हां । प्रश्नगत पुल का अभी निर्माण धनाभाव के कारण सम्भव नहीं है । माननीय सदस्य को यथावत सूचित भी कर दिया गया था ।

*34—श्री निर्भय नारायण सिंह—

[6 ठें बुधवार के लिये स्थगित]

शिमला की आल इंडिया कांग्रेस कमेटी की मीटिंग

*35—श्री सुरेन्द्र विक्रम—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आल इंडिया कांग्रेस कमेटी की मीटिंग शिमला में कितने मन्त्री, उप मन्त्री और राज्य मन्त्री राज्य सम्पत्ति विभाग की मोटरें लेकर गये और क्या नियमानुसार उन्होंने उनका किराया दिनांक 31 अक्तूबर, 1971 तक जमा कर दिया? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री महमूद अली खां—

मन्त्रिपरिषद् के केवल एक सदस्य राज्य सम्पत्ति विभाग की दो मोटरें ले गये थे । चूंकि बिल 29–12–71 को भेजा गया अत: 31 अक्तूबर, 1971 तक भुगतान का प्रश्न नहीं उठता । बिल जाने के बाद भुगतान कर दिया गया ।

*36—श्री सूबेदार सिंह तथा श्री सत्तार अहमद—

[6ठें बुधवार के लिये स्थगित]

*37—श्री राम सिंह खन्ना—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

राजकीय तथा प्राइवेट बसों के किराये में वृद्धि

*38—श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या परिवहन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि हाल में ही राजकीय परिवहन के यात्रा भाड़ा वृद्धि से प्राइवेट बस आपरेटरों ने भी अपने भाड़ा दरों में अत्यधिक वृद्धि कर दी है और ऐसी शिकायतें शासन को मिली हैं? यदि हां तो क्या सरकार भाड़ा वृद्धि को वापस लेने पर विचार करेगी?

श्री बलराम सिंह यादव—

मोटर वैहिकिल्स ऐक्ट, 1939 की धारा 43 के अन्तर्गत राज्य सरकार जो अधिकतम किराये की दर निर्धारित करती है वह राजकीय रोडवेज और प्राइवेट बसों दोनों पर लागू होती है। शासन ने अभी हाल में जो किराये में वृद्धि की है वह राजकीय तथा प्राइवेट बसों दोनों पर लागू है। यदि इन अधिकतम निर्धारित दरों के अन्दर प्राइवेट बस आपरेटर्स किराया लेते हैं तो इसमें किसी शिकायत की बात नहीं उठती।

गोरखपुर जिले के मार्गों से रोडवेज की आय एवम् कुछ मार्गों पर रोडवेज बस बन्द कर दिया जाना

*39—श्रीमती मसालीदेवी (जिला गोरखपुर)—

क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले के अन्तर्गत 30 सितम्बर, 1971 से 15 मार्च, 1972 तक कौड़ीराम गजपुर तथा मोतीराम अड्डा गौरीघाट रोड पर रोडवेज बस से कितनी आय हुई है?

श्री बलराम सिंह यादव—

गोरखपुर क्षेत्र के अन्तर्गत मोती राम अड्डा गौरीघाट रोड के नाम का कोई मार्ग नहीं है। गोरखपुर जिले के अन्तर्गत कौड़ीराम गजपुर मार्ग पर दिनांक 30-9-1971 से 14-11-71 तक सड़क की दशा खराब होने के कारण बसों का संचालन बन्द रहा। तत्पश्चात् दिनांक 15-11-1971 से 20-1-1972 तक बसें चलीं इस अवधि में कुल आय रु० 22,146.58 पैसे हुई। दिनांक 21-1-1972 से फिर उक्त मार्ग पर बसों का संचालन सड़क खराब होने के कारण बन्द कर दिया गया।

*40—श्रीमती मसालीदेवी—

क्या मन्त्री यह भी बतायेंगे कि गोरखपुर जिले में 1 दिसम्बर, 1971 से 10 मार्च, 1972 तक किन-किन मार्गों पर रोडवेज की बसें बन्द कर दी गई हैं? उन मार्गों के नाम क्या हैं और उन्हें अकस्मात बन्द कर देने का कौन-सा कारण है?

श्री बलराम सिंह यादव—

गोरखपुर जिले में दिनांक 1 दिसम्बर, 1971 से 10 मार्च, 1972 की अवधि के बीच निम्नलिखित मार्गों पर रोडवेज की बसों का संचालन दिनांक 21-1-1972 से जिलाधीश, गोरखपुर के आदेशानुसार सड़क खराब होने के कारण बन्द कर दिया गया:—

1—गौड़ीराम-गजपुर

2—गोरखपुर-मोतीराम-अड्डा-झंगहा।

*41–42—श्री रूपनाथ सिंह यादव—

[6ठें बुधवार के लिये स्थगित]

सचिवालय क्वार्टरों का आवंटन

*43—श्री रामलाल भाई (जिला गोरखपुर) तथा श्री मैनेजर सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राज्य सम्पत्ति विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं 2010/आर-एस-बी-4–57, दिनांक 18 अप्रैल, 1962 में सचिवालय क्वार्टरों के आबंटन के लिये कुछ नीतियां निर्धारित की गई हैं? यदि हां तो उस ज्ञाप के प्रकाशन के पश्चात् कितने व्यक्तियों को इन नीतियों के आधार पर क्वार्टर आबंटन किये गये और कितने को उनके विरुद्ध?

श्री महमूद अली खां—

जी हां। उक्त कार्यालय ज्ञाप के प्रसारित होने के बाद उसमें उल्लिखित आधार पर 79 कर्मचारियों को तथा अपवाद स्वरूप 15 कर्मचारियों को सचिवालय के क्वार्टर आबंटित किये गये।

*44—श्री रामलाल भाई तथा श्री मैनेजर सिंह—

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि जिन कर्मचारियों को इन नीतियों के विरुद्ध क्वार्टर आबंटन किये गये उनके बारे में यह कैसे जाना गया कि उन्हें इन लोगों से ज्यादा आवश्यकता थी जिन्हें इन नीतियों के आधार पर क्वार्टर मिलने चाहिये थे?

श्री महमूद अली खां—

जिन कर्मचारियों को उक्त आधार के अपवाद स्वरूप क्वार्टर आबंटित किये गये उनके प्रत्येक मामले पर विचार करने के बाद उनकी आवश्यकता अधिक समझी गयी।

*45—श्री रामगोपाल सण्ड—

[9वें मंगलवार में प्रश्न 9 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*46—श्री रामगोपाल सण्ड—

[6ठें बुधवार के लिये स्थगित]

*47—श्री विश्राम दास—

[6ठें बुधवार के लिये स्थगित]

*48—श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह—

[माननीय सदस्य ने वापस लिया।]

*49–50—श्री रघुनाथ सिंह—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

*51–52—श्री बंशीधर पाण्डेय—

[मा० सदस्य ने वापस लिया।]

इलाहाबाद रीजन के रीजनल इन्सपेक्टर का स्थानान्तरण एवं यात्रा भत्ता

*53—श्री अब्दुल सलाम शाह (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद रीजन के किस असिस्टेन्ट रीजनल इन्सपेक्टर का एक सप्ताहके भीतर ही किन-किन स्थानों के लिये स्थानान्तरण किन-किन विशेषकारणों से किया गया? इन स्थानान्तरणों के कारण सरकार को कितना यात्रा भत्ता उस व्यक्ति को भुगतान करना पड़ेगा?

श्री बलराम सिंह यादव—

श्री पी० के० खत्री सहायक रीजनल इन्सपेक्टर, लखनऊ के निवासी हैं। यह इलाहाबाद के संभाग में 31-7-67 से नियुक्त थे।

परिवहन विभाग के असिस्टेन्ट रीजनल इन्सपेक्टर इलाहाबाद का स्थानान्तरण

*54—श्री अब्दुल सलाम शाह—

क्या परिवहन मन्त्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि प्रसिद्ध काकोरी कान्ड के क्रांतिकारी नेता जो दिल के दौरे के कारण लखनऊ के किसी सरकारी अस्पताल में पड़े हुए हैं उनके कोई पुत्र परिवहन विभाग में असिस्टेन्ट रीजनल इन्सपेक्टर के पद पर है कितनी बार किन-किन स्थानों से किन-किन स्थानों के लिये मुख्य मन्त्री ने स्थानान्तरण आदेश दिये और किन-किन स्थानों से किन-किन स्थानों के लिये परिवहन मन्त्री ने स्थानान्तरण आदेश दिये ?

श्री बलराम सिंह यादव—

परिवहन मन्त्री जी ने परिवहन आयुक्त को आदेश किया कि इनका स्थानान्तरण इलाहाबाद से कर दिया जाय। परिवहन आयुक्त ने इन्हें टनकपुर को स्थानान्तरित किया। इस पर इनके पिता श्री राम कृष्ण खत्री ने मुख्य मन्त्री जी को 6-2-72 को प्रत्यावेदन दिया जिस पर मुख्य मन्त्री जी ने इनका स्थानान्तरण टनकपुर से बदल कर वाराणसी, कानपुर या लखनऊ करने के लिये परिवहन मन्त्री जी को विचारार्थ भेजा। स्थानान्तरण 19-2-72 को वाराणसी के लिये किया गया। वाराणसी नियुक्त होने के बाद तीन विधायकों ने इसके बारे में 'प्रोटेस्ट' किया, इस पर इन्हें वाराणसी से, कानपुर और झांसी के बारे में आदेश कार्यान्वित न होने के कारण 24-3-72 को इन्हें लखनऊ में नियुक्त किया गया। इनके स्थानान्तरण के बारे में इतनी तबदीलियां इसी कारण हुईं कि इनके पिता की स्थिति पर विचार करके इन्हें एकोमोडेट करने के लिये परिवहन मन्त्री जी ने सहानुभूति पूर्वक विचार किया।

यात्रा भत्ता पर व्यय के ब्योरा ट्रांस्फर टी० ए० बिल्स प्राप्त होने पर बताया जा सकता है जो अभी इस अधिकारी ने विभागीय अधिकारियों को प्रस्तुत नहीं किया है।

श्री के० आर० रामानुजम, सर्विस मैनेजर, रोडवेज, लखनऊ का स्थानान्तरण न किया जाना

*55—श्री रामरतन प्रसाद (जिला बलिया)—

क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रामानुजम सर्विस मैनेजर, रोडवेज, लखनऊ दस साल से लखनऊ तथा कानपुर में ही रह रहे हैं? यदि हां, तो क्यों? जब कि इनके प्रति दोनों स्थानों पर विभागीय कर्मचारियों में काफी असन्तोष रहा है ?

श्री बलराम सिंह यादव—

श्री के० आर० रामानुजम, लखनऊ कानपुर क्षेत्रों तथा केन्द्रीय कर्मशाला, कानपुर में निम्नलिखित अवधि में रहे:—

कानपुर क्षेत्र	..	..	18-10-59	26-4-62
केन्द्रीय कर्मशाला, कानपुर		..	10-11-62	15-2-63
लखनऊ क्षेत्र	..	..	20-2-63	3-8-65
कानपुर क्षेत्र	..	..	11-8-65	5-8-68
लखनऊ क्षेत्र	..	..	13-8-68	अब तक

उक्त क्षेत्रों में श्री रामानुजम की नियुक्तियां प्रशासकीय आवश्यकताओं से हुई हैं।

विभागीय कर्मचारियों में इनके विरुद्ध असंतोष की कोई शिकायतें शासन को प्राप्त नहीं हुई है।

बरेली जिले में मोटर मजिस्ट्रेट द्वारा किये गये जुर्माने

*56—श्री कृष्ण सिंह (जिला उत्तर काशी)—

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जिला बरेली में 1 जनवरी, 1965 से 31 जनवरी, 1971 तक मोटर मैजिस्ट्रेट ने कितनी मोटर गाड़ियों के मुकदमात में कितने जुर्माने किये और कितना जुर्माना वसूल किया?

श्री बलराम सिंह यादव—

बरेली संभाग के मोटर मजिस्ट्रेट ने 1 जनवरी, 1967 से 31 जनवरी, 1971 की अवधि में मोटर गाड़ियों के 31, 258 अभियोगों में 16,84,985 रुपये जुर्माना किया। इसी अवधि में पूर्व अवशेष सहित कुल रु० 16 87,457. 35 पैसे की धनराशि जुर्माने के रूप में वसूल की गई।

1 जनवरी, 1965 से 31 दिसम्बर, 1966 की अवधि के जुर्माने सम्बन्धी आंकड़ों के अभिलेख एक जांच के मामले में प्रशासनिक अधिकरण, लखनऊ को प्रस्तुत किये गये हैं, अतः इस अवधि के आंकड़े इस समय बतलाना संभव नहीं है।

*57—श्री कृष्णसिंह—

क्या यह सही है कि उपरोक्त जुर्माने की रकमें जो एक दफे वसूल हो गई थीं वह फिर दुबारा वसूल की जा रही हैं? अगर सही है तो यह रकम पुनः क्यों मांगी जा रही है और क्या सरकार इस धांधली को सतर्कता (Vigilance) विभाग से जांच करने की कृपा करेगी?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी नहीं। शेष प्रश्न नहीं उठता।

*58—श्री मुन्शी लाल चमार—

[5 वें बुधवार के लिये प्रश्न संख्या 45 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

बुलन्दशहर जिले की अनूपशहर ब्रान्च गंगा नहर की सर्विस रोड को पक्का किया जाना

*59—श्री शमीम आलम (जिला बुलन्दशहर) श्री मुमताज मुहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करगे कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में जिला बुलन्दशहर में स्थाना-भड़को-ऊंचा गांव-अनिवास तक अनूपशहर ब्रांच गंगा नहर की सर्विस रोड को सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा पक्का करवाने पर जिसकी कि संस्तुति जिला परामर्श-दात्री समिति सार्वजनिक निर्माण विभाग ने भी की है, ध्यान देंगे? यदि इसका पक्का करवाना किसी कारणों से चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में सम्भव नहीं है। तो क्या वह इस मार्ग को पंचम योजना के लिये अभी से निर्धारित करने का आश्वासन देंगे?

श्री महमूद अली खां—

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में धनाभाव के कारण प्रश्नगत सर्विस रोड का निर्माण इस समय सम्भव नहीं है। पंचम पंचवर्षीय योजना में कथित सड़क का निर्माण धन की उपलब्धि तथा सड़क की उपयोगिता पर निर्भर करता है।

अतारांकित प्रश्न

बुलन्दशहर जिले की पहासू-छतारी रोड

श्री त्रिलोक चन्द्र--

1--क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर में पहासू-छतारी रोड जो वर्ष 1970-71 में स्वीकृति हुई थी उसकी प्रगति क्या है और वह कब तक पूरी हो जायगी?

श्री महमूद अली खां--

प्रश्नगत सड़क के निर्माण पर 1,69,044 रु० व्यय किया जा चुका है तथा मार्च, 1974 तक इस कार्य के पूर्ण होने की आशा है।

2--श्री विश्राम दास--

(6ठें बुधवार के लिये स्थगित)

3--श्री मैनेजर सिंह-- श्री रामलाल भाई--

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

गोरखपुर सदर तहसील में राजकीय नलकूप

4--श्री फिरंगी प्रसाद विशारद (जिला गोरखपुर)--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर की तहसील सदर के विधान सभाई क्षेत्र झंगहा में कुल कितने एवं किन-किन स्थानों पर राजकीय नलकूप वित्तीय वर्ष 1972-73 में लगने जा रहे हैं? क्या सरकार राप्ती-गोर्रा नदीयों के दोआब में भी सरकारी नलकूप लगाने का विचार कर रही है? यदि हां, तो कब से यह कार्य आरम्भ हो जायगा?

श्री राम लखन--

प्रश्न का प्रथम भाग--

वित्तीय वर्ष 1972-73 में जनपद गोरखपुर में कहां-कहां राजकीय नलकूप लगाये जायेंगे अभी इस पर निर्णय नहीं लिया गया है।

प्रश्न का द्वितीय भाग--

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न का तृतीय भाग--

प्रश्न नहीं उठता।

5--श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

[6ठें बुधवार के लिये स्थगित]

6--श्री सजीवन लाल--

[6ठें बुधवार के लिये स्थगित]

गनेशपुर, जिला बाराबंकी के बस स्टेशन का निर्माण

7--श्री शिव कैलाश (जिला बाराबंकी)--

क्या परिवहन मन्त्री बतायेंगे कि क्या जिला बाराबंकी के अन्तर्गत गनेशपुर बस स्टेशन का निर्माण कराये जाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो उसका निर्माण कार्य कब से शुरू कर दिया जायगा?

श्री बलराम सिंह यादव--

गनेशपुर जिला बाराबंकी में बस स्टेशन निर्माण हेतु अभी कोई योजना नहीं है ।

देहरादून में सरकारी कर्मचारियों के क्वार्टर

8--श्री नित्यानन्द स्वामी--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि देहरादून में सरकारी कर्मचारियों के क्वार्टरों के निर्माण हेतु वर्ष 1970-71 में कितनी धनराशि स्वीकार हुई थी और उनमें से कितनी व्यय हुई तथा कितने क्वार्टर बने ?

श्री महमूद अली खां--

वर्ष 1970-71 में पूल्ड हाउसिंग स्कीम के अन्तर्गत बनाये जाने वाले आवासों के लिये प्रथम से पांचवें चरण तक 1,05,00,000 रु० का प्राविधान हुआ था । देहरादून के लिये अलग से कोई प्राविधान नहीं किया गया । 1970-71 में कोई क्वार्टर नहीं बना ।

आगरा व वाराणसी रीजन में जी०एम० द्वारा की गई नियुक्तियों में हरिजन कर्मचारी

9--श्री श्यामलाल कनौजिया (जिला आजमगढ़), श्री मुंशी लाल चमार (जिला मैनपुरी)--

क्या परिवहन मन्त्री कृपया यह बतायेंगे कि अप्रैल, 1971 से अब तक वाराणसी रीजन के अन्तर्गत जी० एम० द्वारा किन-किन जिलों में कितने परिचालक और चालक बुकिंग क्लर्कों की नियुक्ति की गई हैं और उनमें से हरिजनों की संख्या क्या है ?

श्री बलराम सिंह यादव--

कथित अवधि में वाराणसी रीजन में 60 परिचालक, 98 चालक और 7 बुकिंग क्लर्क नियुक्त किये गये जिनमें 13 परिचालक तथा 1 चालक हरिजन थे । नियुक्तियों की जिले-वार सूचना संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 659 पर)

10--श्री श्यामलाल कनौजिया तथा श्री मुन्शीलाल चमार--

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जी० एम० महोदय आगरा, ने कितनी नियुक्तियां चालक, परिचालक और बुकिंग क्लर्क की जगह पर अलग-अलग तिथियों पर वर्ष 1971 से अब तक की हैं जिनकी सामान्य एवं हरिजन नियुक्ति अलग-अलग कितनी है ?

श्री बलराम सिंह यादव--

दिनांक 1 जनवरी, 1971 से 24 फरवरी, 1972 तक प्रधान प्रबन्धक, आगरा ने चालक, परिचालक एवं बुकिंग क्लर्क के पदों पर सामान्य तथा अनुसूचित एवं हरिजन जाति के अभ्यर्थियों की नियुक्तियां इस प्रकार की हैं :--

जाति	चालक	परिचालक	बुकिंग क्लर्क
सामान्य	162	99	95
अनुसूचित एवं हरिजन जाति	14	34	10

उपर्युक्त नियुक्तियों का तिथिवार विवरण† सदन के पटल पर रख दिया गया है।

†छापा नहीं गया ।

गोरखपुर रीजन में बिना टिकट यात्री ले जाने वाले कन्डक्टर

11—श्री हरिवंश सहाय (जिला देवरिया)—

क्या परिवहन मन्त्री बतायेंगे कि गोरखपुर रीजन में जुलाई, 1970 से 15 जनवरी, 1972 तक कुल कितने कन्डक्टर बिना टिकट यात्री ले जाते हुए पकड़े गए और प्रत्येक कन्डक्टर द्वारा बिना टिकट ले जाने वाले यात्रियों की अलग-अलग संख्या क्या थी तथा उन कन्डक्टरों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं तो क्यों?

श्री बलराम सिंह यादव—

कथित अवधि में गोरखपुर रीजन के कुल 414 कन्डक्टर बिना टिकट यात्री ले जाते हुए पकड़े गये। प्रत्येक कन्डक्टर द्वारा बिना टिकट ले जाने वाले यात्रियों की अलग अलग संख्या तथा उनके विरुद्ध की गई कार्यवाही† का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

गोरखपुर रीजन के जनरल मैनेजर के यहां की गई अपीलें

12—श्री हरिवंश सहाय—

क्या परिवहन मन्त्री यह बतायेंगे कि उपरोक्त रीजन के जनरल मैनेजर के यहां जुलाई, 1970 से 31 जनवरी 1972 तक कितने कन्डक्टर ड्राइवरों ने अपने दण्ड के विरुद्ध अपीलें कीं और उन अपीलों पर उन्होंने अलग-अलग क्या कार्यवाही की?

श्री बलराम सिंह यादव—

कथित अवधि में उपरोक्त रीजन के जनरल मैनेजर के यहां 88 कन्डक्टरों तथा 22 ड्राइवरों ने अपने दण्ड के विरुद्ध अपीलें कीं। उन अपीलों पर की गई अलग-अलग कार्यवाही† का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 660–667 पर)

13—श्रीमती मसाली देवी—

(6 ठें बुधवार के लिए स्थगित)

इलेक्ट्रिसिटी (सप्लाई) (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1972

सचिव विधान सभा—

श्रीमन् आपकी आज्ञा से मैं उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित तथा विधान सभा की स्वीकृति के लिये प्राप्त इलेक्ट्रिसिटी (सप्लाई) (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1972 को सदन के पटल पर रखता हूं।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 668–669 पर)

उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (संशोधन) विधेयक, 1972

सचिव विधान सभा—

अध्यक्ष महोदय मैं उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली 1958 के नियम 149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि :—

उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (संशोधन) विधेयक 1972 जो विधान सभा द्वारा 1 अप्रैल, 1972 को पारित किया गया था उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के 11 अप्रैल, 1972 को वापस प्राप्त हो गया है।

† छापा नहीं गया

उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (संशोधन) विधेयक, 1972

सचिव, विधान सभा--

अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (संशोधन) विधेयक, 1972 जो विधान सभा द्वारा 3 अप्रैल, 1972 को पारित किया गया था उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के 11 अप्रैल, 1972 को वापिस प्राप्त हो गया है।

उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ (संशोधन) विधेयक, 1972

सचिव, विधान सभा--

अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ (संशोधन) विधेयक, 1972 जो विधान सभा द्वारा 3 अप्रैल, 1972 को पारित किया गया था उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के 11 अप्रैल, 1972 को प्राप्त हो गया है।

जिला बुलन्दशहर में रजबहा जेवर माट ब्रान्च डिवीजन, मथुरा, नहर विभाग की लापरवाही से टूटने के सम्बन्ध में याचिका

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)--

अध्यक्ष महोदय . . .

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)--

श्रीमन् मैंने एक चिट्ठी आपको भेजी है जिसमें कई माननीय सदस्यों के हस्ताक्षर हैं. . .

श्री अध्यक्ष--

पहले वे याचिका प्रस्तुत कर दें तब आप कहें।

श्री सुरेन्द्र विक्रम--

अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं जिला बुलन्दशहर में राजबहा जेवर भाट ब्रांच डिवीजन, मथुरा नहर विभाग की लापरवाही से टूट जाने के सम्बन्ध में श्री जयपाल सिंह, जिला बुलन्दशहर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जिला शाहजहांपुर में जैतीपुर से जल्लापार तक सड़क बनाने और बहुगुल नदी पर पुल बनाने के सम्बन्ध में याचिका

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)--

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से जिला शाहजहांपुर में जैतीपुर से जल्लापुर तक सड़क बनाने और एतदर्थ बहुगुल नदी पर एक पुल बनाने के सम्बन्ध में श्री बसन्तलाल जिला शाहजहांपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जिला पूर्ति अधिकारी मैनपुरी के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष--

एक विशेषाधिकार की सूचना माननीय सूबेदार सिंह की है जिसे मैंने विशेषाधिकार समिति को सुपुर्द किया है। उनका कहना है कि वे जब जिलापूर्ति अधिकारी, मैनपुरी के

[श्री अध्यक्ष]

कार्यालय में गये तो उन्होंने ठीक तरह से व्यवहार नहीं किया है। उन्होंने लिखा है कि... "वे बौखला उठे और आवेश में उन्होंने कहा कि मैंने जो कुछ किया है जिलाधीश महोदय की सहमति से किया है। मुझे मालूम हुआ है कि आपने मेरे विरुद्ध विधान सभा में प्रश्न रखे है। आपको मालूम होना चाहिये कि प्रश्न रखकर आप मेरा कुछ न बिगाड़ सकेंगे। मेरे ऊपर जिलाधीश महोदय का वरदहस्त है। आपको मालूम होना चाहिए कि प्रश्न रखकर आप मेरे और जिलाधीश महोदय दोनों के ही कोप भाजन बन गये हैं और आपको इसके लिए भारी खमियाजा उठाना पड़ेगा।" तो इस तरह की धमकी उनको दी यह उनका कहना है। मैं इसे विशेषाधिकार समिति को भेजता हूं।

आबकारी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष--

एक दूसरी है माननीय इन्द्रमणि बड़ौनी तथा अन्य कुछ सदस्यों की, जिसमें कहा गया है कि "विधान सभा के अन्दर प्रदेश के आबकारी मन्त्री ने बार-बार विधान सभा में यह घोषणा की कि उत्तराखंड में 1 अप्रैल से पूर्ण मद्य निषेध लागू होगा किन्तु मुझे वहां के सामाजिक कार्यकर्ताओं से यह मालूम हुआ है कि वहां पर 9 अप्रैल से अंग्रेजी शराब की दूकान खुल गई है। स्पष्ट है कि मन्त्री जी ने जानबूझ कर सदन को गुमराह किया है। मैंने मन्त्री जी के पास भेजा है कि इसका मुझे जवाब दें, यह बात कहां तक सच है।

श्री इन्द्रमणि (जिला टिहरी गढ़वाल)--

इस समय मन्त्री जी बैठे हैं। उत्तराखंड में मद्य निषेध करने के लिए आर्डिनेंस लाया गया। उसके बाद ऐक्ट बनाया गया। यहां पर प्रश्न किये गये। तो मुझे बताया गया।

श्री अध्यक्ष--

मैंने अन्तिम फैसला नहीं किया है।

श्री इन्द्रमणि--

आज यहां पर भी सारे कार्यकर्ता आये हैं। अगर मन्त्री जी बता दें कि 9 तारीख से क्या दूकान खुल गई है? शाम को वक्तव्य हो जाय।

श्री अध्यक्ष--

इस वक्त वक्तव्य नहीं हो सकता है। इस वक्त विशेषाधिकार का प्रश्न है। उस चीज को उनके पास भेजा है। जानकारी हासिल करके मैं फैसला दूंगा।

उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय प्रबन्धक बोर्ड के लिये दो सदस्यों के निर्वाचन कार्यक्रम के संबंध में सूचना

श्री अध्यक्ष--

एक सूचना, सचिव मेरी तरफ से देंगे।

सचिव, विधान सभा--

उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय प्रबन्धक बोर्ड (जब गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं औद्योगिक विश्वविद्यालय) के लिए दो सदस्यों के निर्वाचनार्थ नामों की वापसी के लिए नियत समय तक चूंकि अतिरिक्त नाम वापस नहीं लिये गये हैं, अतः निर्वाचन सम्बन्धी मतदान पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 13 अप्रैल, 1972 को दिन के 12 बजे से अपरान्ह 5 बजे तक विधान मण्डल पुस्तकालय में होगा।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

थोड़ा-सा समय और बढ़ा दें। बातचीत चल रही है।

श्री उपाध्यक्ष द्वारा श्री बंशीधर पाण्डेय को इंगित करने से सम्बद्ध घटना के सम्बन्ध में समिति की नियुक्ति

श्री अध्यक्ष—

मैं एक सूचना देना चाहता हूं। कल सदन में जो दुखद घटना हुई, यहां उपाध्यक्ष जी मौजूद थे, उनके सामने ही हुई थी, उस सम्बन्ध में मैंने आज नेता सदन और अन्य दलों के नेताओं को आमन्त्रण दिया अपने कमरे में आने के लिए। उपाध्यक्ष जी भी मौजूद रहे और उसमे चर्चा हुई क्या-क्या घटना हुई। चर्चा होने के बाद यह तय हुआ क्योंकि उसमें जो नियम है कि सदन का अवमान किस बात से होता है, तो दो तरह की राय मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस में देखने में आई, कुछ शब्दों का फर्क है। इसलिये मैंने यह तय किया कि इसके लिए सदन में पार्टियों के जो नुमाइन्दे हैं उनकी एक कमेटी बनाई जाय। वह हमको सलाह दे और फिर मैं उसका निश्चय कर दूं। माननीय नित्यानन्द स्वामी ने कल प्रश्न पूछा था तो मैंनेकहा था कि कल मैं आपके सामने यह विषय रखूंगा। लेकिन आज बैठक बुलाने के बाद यह मालूम हुआ कि मतभेद काफी है। इंगलैन्ड में भी ये प्रश्न उठे हैं कि अगर अध्यक्ष या जो भी पीठासीन सदस्य हों, उन्होंने कोई बात तय की, उसके प्रोटेस्ट में अगर कोई चला जाता है, तो क्या कार्यवाही होनी चाहिए, उसको अपमान मानना चाहिए या नहीं और अगर अपमान मानते भी हैं तो हल्का सा अपराध समझ कर उसके ऊपर उसे इगनोर कर देना चाहिए। कभी-कभी इस प्रकार के प्रश्न उठे हैं। यह तय हुआ कि एक कमेटी बना दी जाय। उसमें मैं भी रहूंगा, उपाध्यक्ष भी रहेंगे, जो पार्टियां मंजूर हो चुकी हैं उनके सदस्य भी रहेंगे। मैं आपको सुना देता हूं।

कल सदन में जो दुखद घटना घटी उसके सम्बन्ध में मैंने आज माननीय नेता सदन व अन्य विरोधी दल के नेताओं से बातचीत की और यह निर्णय लिया है कि अध्यक्ष व उपाध्यक्ष की सदन की कार्यवाही सुचारु रूप से संचालित करने के लिए जो व्यवस्था होती है उसमें कोई अवमान का प्रश्न निहित होता है या नहीं, इस पर विचार करने के लिए मैं सदन की एक समिति नियुक्त करूं, जिसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अतिरिक्त माननीय नेता सदन, नेता विरोधी दल श्री गिरधारीलाल, नेता भारतीय क्रांति दल श्री जयराम वर्मा, नेता जन संघ, श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी, नेता संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी श्री अनन्तराम जायसवाल, नेता कम्युनिस्ट पार्टी, श्री गोविन्द सिंह नेगी तथा माननीय संसदीय कार्य मन्त्री होंगे। यह समिति मुझे अपना परामर्श देगी।

श्री नित्यानन्द स्वामी (ज़िला देहरादून)—

यह तो शिरोधार्य है। लेकिन दो प्रश्न उठाये गये थे। एक तो यह था कि अगर कोई सदस्य सदन के बाहर जाना चाहे तो उसे बाहर जाने की अनुमति है या नहीं?

श्री अध्यक्ष—

यह प्रश्न उसमें आ जायगा।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

दूसरा प्रश्न यह था कि माननीय अध्यक्ष ने इंगित कर दिया किसी सदस्य की ओर फिर प्रस्ताव न हो तो क्या वह अविश्वास का प्रस्ताव पीठासीन सदस्य पर है या नहीं है?

श्री अध्यक्ष--

उसकी भी चर्चा यहां हुई और यह तय हुआ कि सदन में जो कार्यवाही हुई उसको देखकर सब कार्यवाही इस नाते कमेटी के सुपुर्द कर दी जाय और फिर उसके बाद वह अपनी राय देगी।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

इसकी रूलिंग रिजर्व होगी ?

श्री अध्यक्ष--

रिजर्व रहेगी।

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)--

आपने कमेटी नियुक्त कर दी वह शिरोधार्य है लेकिन जब तक उसका निर्णय न हो तब तक आप बैठे अथवा अधिष्ठाता मण्डल का कोई सदस्य बैठे। उपाध्यक्ष तशरीफ न लायें।

श्री अध्यक्ष--

मैं समझता हूं कि कुछ क्रोधवश आप यह बात कह रहे हैं।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

आपके भी उधर जो लोग बैठे हैं वे भी उतने ही दुखी हैं जितने हम दुखी हैं यह आपको नहीं मालूम है।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)--

नेता विरोधी दल तथा नेता सदन बैठ कर जो निर्णय लेंगे वह हमको मान्य होगा लेकिन शिकायत तो इस बात की है कि आये दिन जो उपाध्यक्ष महोदय का व्यवहार हो रहा है, यह कोई एक दिन की बात नहीं है बल्कि बहुत दिनों का एक एफिलियेटेड एक्शन है जिसके कारण ऐसी घटना कल घटित हो गई, वह कहां तक उचित है ? जो जड़ में रोग है उसका अगर निदान न हुआ तो न जाने उसकी कितनी पुनरावृत्तियां होंगी। अगर हमारे और आपके व्यवहार में सामंजस्य नहीं है तब वह चीज चलने वाली नहीं है। चाहे जितनी भी कमेटियां आप बैठा दें लेकिन अगर हमारे एक विधायक के स्वत्वों की रक्षा नहीं हो पाती है तो रोग का निदान होने वाला नहीं है। आपके तजुर्बे से हम फायदा उठाना चाहते हैं। आप हमारे ही द्वारा चुने गये हैं और उस उच्च स्थान पर बैठे हुए है और हम भी चुन कर यहां हैं, जिस तरह का व्यवहार आपका हमारे साथ होता है उसकी एक प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक है। अगर वह व्यवहार सम्मानजनक नहीं है तो उससे जो दर्द व दुख उत्पन्न होगा उस पर गौर करना होगा और उसका निदान करना होगा। यह किसी के मान-अपमान का प्रश्न नहीं, जो हमारी दर्द भरी कहानी है उसका निदान कैसे हो यह काफी देखना होगा।

श्री अध्यक्ष--

उस कमेटी में यह सवाल उठा था और अब उसका निदान उसमें मौजूद है।

(मुख्य मन्त्री का नाम पुकारे जाने पर)

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)--

माननीय शिव कुमार पांडेय जी कुछ कहना चाहते हैं। उनकी सुनने के बाद माननीय मुख्य मन्त्री बोलें तो ठीक रहेगा।

*मुख्य मन्त्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)--

मान्यवर, हस्तिनः पदे सर्वेषां पदम्। जब मैं बोलने लगा तो इसका तात्पर्य यह होगा कि इस पूरे दल की वही आवाज होगी जो मेरी है। जो घटना उस रोज घटी उससे सबको दुख है। हम लोग एक संसदीय कार्य प्रणाली के अधीन कार्य करते हैं और उसका अर्थ यह होता है कि इस सदन के भीतर जो कार्य किया जाय वह अत्यन्त शील से भरा हो और सुसंस्कृत रूप से हो। तभी इस सदन की मर्यादा बढ़ती है और हम सब का गौरव बढ़ता है। आप अथवा उपाध्यक्ष जी इस सदन के अधिकारों के संरक्षक हैं और हम सब का आप में विश्वास रहता है कि इस सदन के माननीय सदस्यों के अधिकार और उनकी कार्य प्रणाली तथा इस सदन के गौरव की रक्षा आपके द्वारा होगी। उस रोज जो घटना घटी उसके विस्तार में जाने का इस वक्त समय नहीं है क्योंकि आपके साथ कल भी, आज भी बैठकर हम लोगों ने बात की थी और उस समय सारी चीजें सामने आ गई थीं कि किस प्रकार का दुख है, काहे का दुख है उस घटना का क्या कारण है।

इसके साथ ही यह बात भी सामने आई कि किस प्रकार से और कहां तक संसदीय प्रणाली का उसमें उल्लंघन हुआ है। मैं समझता हूं कि यह एक सुसंकृत सदन है और इसमें कोई न कोई ऐसे मामले आ जाते हैं जिनका कि हमें रास्ता निकालना होता है। यही विचार-शीलों का काम है कि इसके लिये हम कोई रास्ता निकाल लें। हमारे इस सदन में जितने भी दल हैं उन सब से मिलकर आपने एक रास्ता निकाला है। यह कोई व्यक्तिगत प्रश्न नहीं है भले ही व्यक्तिगत व्यवहार के कारण एक परिस्थिति उत्पन्न हो गई हो किन्तु फिर भी प्रश्न व्यक्तिगत नहीं है। मैं ऐसा समझता हूं कि यह हमारे लिये उचित होगा कि हम एक उदार दृष्टि अपनावें और इस सम्बन्ध में जो भी व्यवस्था आप दें उसे हम स्वीकार करें। यह कहना कि इस वक्त उपाध्यक्ष न आवें, वे यहां न बैठें, मैं समझता हूं कि यह बात गौरव के अनुकूल नहीं होगी। जो आपने कमेटी बनाई है उसमें सारे दलों के नेता मौजूद हैं तो मैं समझता हूं कि उनके अनुयायियों के भी वही विचार होंगे जो उनके नेता के होंगे। अतः उनकी भावनाओं की अभिव्यक्ति उनके नेताओं के माध्यम से हो जायेगी और उसके लिये एक रास्ता निकाल लिया जायेगा, एक पद्धति निकाल ली जायेगी जोकि इस सदन के लिए एक परम्परा का रूप प्रदान करेगी।

ऐसी स्थिति में मेरी सबसे यह प्रार्थना है कि हम इस दुखद विषय को यहीं छोड़ दें और इस मसले पर विचार करने के लिए जो सक्षम कमेटी बनाई गई है कि क्या हो, कैसे हो, भविष्य में किस ढंग से हम कार्य करेंगे, हमारे अधिकार कहां तक हैं इन सारी चीजों पर वह विचार करके वह परामर्श देगी और उसके साथ ही आपको संसदीय प्रणाली का ज्ञान है उससे हमको लाभ पहुंचेगा। उसी के अनुसार इस सदन में आगे कार्य होगा। इस तरह से जब हम एक परिपाटी निश्चित कर लेंगे तो पुनः इन शिकायतों की आवश्यकता और गुंजाइश नहीं रह जायेगी। मेरी प्रार्थना है कि सभी लोग अपनी-अपनी पीड़ी को सम्हाल लें। यह जो कमेटी बनाई गई है वह एक प्रतिनिधि-मूलक है और उसमें सभी नेता लोगों ने एक निश्चित निर्णय ले लिया है कि वह अपनी परामर्श दें। उसके बाद आपकी व्यवस्था हो जाय। आप निश्चित मानें कि हम सब जितने इस सदन में बठे हैं आपके आदेश और आपके निर्णयों के अनुसार भविष्य में कार्य करने की चेष्टा करेंगे, ऐसी मुझे आशा है।

*श्री अनन्त राम जायसवाल--

मान्यवर, मैं एक निवेदन दूं कर कि समय के साथ सारा घाटा दूर हो जाता है। आप ऐसी व्यवस्था कर दें कि माननीय सदस्य उस समिति में रहें और उनको भी अपनी बात

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अनन्तराम जायसवाल]

रखने का मौका मिल जायेगा तथा कुछ गुस्सा उपाध्यक्ष महोदय का भी कम हो जायगा तो यह सदन आसानी से जैसा कि पंडित जी ने आशा की है, चलेगा। लेकिन इसके लिये आप कोई अच्छा सा निर्णय लें, सर्वमान्य हो।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

मान्यवर, इसमें एक चीज और जोड़ दें। जब कभी कोई मुकदमा चलता है तो एक इन्टेरिम आर्डर कोर्ट जारी करती है। मेरी दरख्वास्त है कि इसका फैसला न हो जाय तब तक ऐसी स्थिति न आने दें जिससे दुबारा वही स्थिति पैदा हो जाय।

श्री अध्यक्ष--

इस बात की चर्चा हुई और मैं उपाध्यक्ष जी की तरफ से कह रहा हूं कि घटना इसमें हुई एक तो श्री शिवकुमार पांडेय के साथ हुई और दूसरी माननीय बंशीधर पांडेय जी के साथ दूसरे दिन हुई। इस तरह का कोई भी सदन का अवमान हुआ। पीठासीन अध्यक्ष की तरफ से या उपाध्यक्ष की तरफ से, इस तरह की चर्चा चल जाने पर, इस बीच में इस तरह का कोई आर्डर नहीं दिया जायगा कि तुमने अवमान किया इसलिये आपके ऊपर कार्यवाही होगी। इस तरह की कोई चीज नहीं होगी। यह चीज मैं कह रहा हूं कि जब तक फैसला नहीं होता क्योंकि इसमें दो रायें हैं और हमारे जो माननीय संसदीय मन्त्री हैं उन्होंने भी एक राह दिखाई है तो दोनों तरह की राय देखने के बाद तय हुआ है कि यह मामला एक कमेटी के सुपुर्द कर दिया जाय। जब यह कमेटी के सुपुर्द कर दिया तो घटना पर बार-बार रिपीटीशन नहीं होगा।

*श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)--

मान्यवर, मुझे बोलना नहीं चाहिये था। लेकिन मुख्य मन्त्री जी ने कहा और इस बीच में आ गया हूं और यह मामला सदन का हो गया है। मुझे एक बड़ा दुख है नेता लोग जो निर्णय करेंगे वह तो सब ठीक है। लेकिन सारे माननीय सदस्यों की भावनाओं को जहां तक मैं समझता हूं, चाहे आपने अपनी बात कही और नेता सदन ने बात कही। लेकिन इस बात की चर्चा नहीं आई कि संसदीय प्रणाली में, मैं मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस से 100 नजीरें दिखाऊंगा कि यह सदन गठित होता है सारे मेम्बरों से, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से तो यह बात कि सदन का अवमान होता है, मेम्बरों के द्वारा होता है, मुझे क्षमा करेंगे और पीठासीन अधिकारी का नियमों के अन्तर्गत इसके लिये जो व्यवहार है वह लिखा हुआ है। मान लीजिये अध्यक्ष महोदय मुझे हटा देते हैं या उपाध्यक्ष हटा देते हैं और दुर्भाग्यवश या सौभाग्यवश कोई आदमी बैठ जो इन सारी मेज पार्लियामटरी प्रैक्टिस तथा दुनिया के संसदीय प्रणाली चलाने वाले जितने नियम और उपनियम हैं, उन सारी चीजों को ताक पर रख कर सदस के साथ ऐसा व्यवहार करें तो सदन उसके लिये क्या करेगा। इसके क्या माने में सोचूं। आपने कहा कि सदन का अवमान हुआ पीठासीन के कार्य से और अगर सदन की गरिमा को और उसकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची तो इसको भी ध्यान में रखकर इस पर विचार करें कि इस पर क्या करना होगा। सदन की ओर आपकी इन सारी बातों को लेते हुये जो माननीय सदस्यों की राय है, उनका आदर करते हुए प्रार्थना करूंगा कि जब तक कमेटी की रिपोर्ट न आ जाय और जब तक वह नियम का रूप न ले ले तब तक उपाध्यक्ष जी पीठासीन नहीं होंगे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री राम करन सिंह (जिला गोरखपुर)--

अध्यक्ष जी, जहां तक कल की घटना के संबंध में नेता सदन की राय आई और आपके सामने एक प्रश्न भी रख दिया गया तो आप इतना कर दीजिये। इसके बाद दूसरी बात है कि जहां तक संसदीय प्रणाली की जानकारी का सवाल है, मैं समझता हूं कि हम भी सदन के मेम्बर हैं, पुराने नहीं नये हैं, मैं समझता हूं कि जो घटना घटी है वह बड़ी शर्मनाक है और नहीं घटनी चाहिये थी लेकिन जिम्मेदारी किसी एक जगह है, दूसरी जगह नहीं, ऐसा नहीं कहा जा सकता। आप कहते हैं कि इसको नेताओं के सुपुर्द कर दिया गया है लेकिन कोई फैसला अगर किसी शर्त के साथ लादा जाय कि ऐसा होगा तब ऐसा होगा, तब तो उसके ऊपर विवाद हो ही जाना चाहिये। हम भी अपने विचार इस बारे में प्रकट करना चाहते हैं। उसके बाद आप निर्णय दें। इसलिये मैं चाहता हूं कि सब लोगों को इस बारे में बात सुन ली जाय।

श्री अध्यक्ष--

सदन के नेताओं ने जो तय किया है और जिसको हम सब लोगों ने स्वीकार किया है, मैं समझता हूं कि उसके ऊपर कोई बहस या चर्चा करने की जरूरत नहीं है। आप लोगों के सामने जितने ख्यालात थे उन सब को उनके सामने जाहिर कर दिया गया था। उसके बाद ही यह तय किया गया कि इसमें मतभेद के लिये कोई गुंजाइश नहीं है। यह इसलिये तय किया गया है कि जिससे भविष्य में ऐसी स्थिति फिर कभी न आने पाये। जब हमने आपको आश्वासन दे दिया है तो फिर उस पर अविश्वास करने की जरूरत नहीं है। हम आज ही तय कर लेते लेकिन नेता सदन इस समय दिल्ली जा रहे हैं। एक-डेढ़ घंटे में चले जायेंगे। वहां उनको महत्वपूर्ण बातों पर निर्णय लेना है। इसलिये हमने यह तय किया कि अगर दो चार रोज की देरी हो जाय तो कोई हर्ज नहीं है। हम सब सम्बन्धित लोगों को बुलायेंगे। पांडेय जी भी आयेंगे। 15, 16, 17 की छुट्टी पड़ेगी उन दिनों में बैठकर हम बहुत सी बात तय कर लेंगे। जहां तक उपाध्यक्ष जी का सम्बन्ध है वह इसी सदन द्वारा सर्व-सम्मति से चुने हुए हैं मान लीजिये आप उनके किसी फैसले से एग्री नहीं करते हैं तो उसका यह मतलब नहीं है कि उनको कोई दन्ड फौरन दे दिया जाय। जब कमेटी उसके ऊपर विचार करने के लिये बैठ रही है और विचार करने के बाद वह एक चीज कहेगी या तो कहेगी कि यह चीज गलत है या कहेगी कि यह चीज सही है। इस तरह आर्डर देना ठीक है या नहीं है, यह बात वह तय करेगी। जब सदन की कमेटी की कोई एक राय होगी तो वह सब को मान्य होगी। इसलिये इस समय यह कहना कि उपाध्यक्ष यहां बैठें या न बैठें कुछ उचित नहीं मालूम होता। यह तो मैंने उपाध्यक्ष जी की ओर से कह दिया कि जब तक उसका फैसला न आ जायगा तब तक, इस बीच में इस प्रकार के आर्डर्स उनके द्वारा नहीं दिये जायेंगे। हमें वहां यह देखना होगा कि पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस के विरुद्ध क्या यह जाता है कि कोई मेम्बर सदन छोड़ कर चला जाय और फिर उसको इंगित किया जाय। ये सब चीजें वहां तय होंगी। कमेटी का जो भी निर्णय होगा उससे सभी बाध्य होंगे, उपाध्यक्ष भी बाध्य होंगे। इस बीच में इस प्रकार के आर्डर्स उपाध्यक्ष या अध्यक्ष की ओर से जारी नहीं होंगे।

*श्री रामबिलास पांडेय (जिला आजमगढ़)--

अध्यक्ष महोदय, कल उपाध्यक्ष महोदय के कुछ व्यवहार के कारण सदन दो बार स्थगित हुआ। यह बात सही है कि सदन में अव्यवस्था होने के कारण बार-बार इस प्रकार की बात होती है। आज अवश्य ही कोई कारण है जिसकी वजह से माननीय नेता सदन, नेता विरोधी दल और माननीय और दलों के नेताओं की आपने कमेटी बनाई है। क्या इस कमेटी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामविलास पाण्डेय]

के बनने से सदन का वातावरण शान्त हो चुका। मान्यवर, ऐसी बात नहीं है। यह बात भी सही है कि एक नियमावली के मातहत यह सदन चलता है। यह बात सही है। प्रश्न यह नहीं है कि नियमावली के नियम के अन्दर रहते हैं। मान्यवर, वह कहते हैं कि मैंने शेर शेरनी का दूध पिया है। या तो उनको भ्रम है या उन्होंने दूध पिया है और कुछ ऐसा भ्रम हो गया है कि वह शेर का रूप ले लेते हैं और यहां समझते हैं सब हलवाहे बैठे हैं। तो मैं समझता हूं कि शान्त वातावरण अगर करना चाहते हैं तो कोई परेशानी नहीं है। यदि आपने आज सुबह उनको इस सदन से—माफ करेंगे—अगर निष्काषित कर दिया कल कुछ घंटों के लिए और आज दिन भर निष्कासित कर दिया है, मुझे नहीं कहना चाहिए, तो 4 6, 10 दिन, 1 महीना न आ सकें वह और सही तरीके से सदन को चलाया जा सके और कोई बढ़िया तरीका स्थापित हो सके तो मैं समझता हूं वह कर लें। होना तो यही है कि जल्दी कोई कमेटी एक फैसला ले ले। मान्यवर, उनमें गुस्सा ज्यादा है और कोई खामी नहीं है। बहुत जल्द झुंझलाते हैं और बहुत जल्द मुलायम हो जाते हैं। लेकिन इतना गुस्सा है कि न केवल विरोधी पक्ष के ही माननीय सदस्य, बल्कि इस पक्ष के भी माननीय सदस्यों को भी कष्ट है।

तो मैं चाहता हूं कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इस कमेटी का फैसला करा लें और तबतक उपाध्यक्ष महोदय को मान्यवर, यहां न लायें। आप रहें और अधिष्ठाता मंडल के लोगों को बैठायें, यह मेरा सुझाव है।

श्री चेतराम गंगवार (जिला बरेली)—

व्यवस्था का प्रश्न है। अभी माननीय पांडेय जी कुछ उधर से बोल रहे थे। उन्होंने बताया कि उपाध्यक्ष जी ने शेर का मांस खाया है या दूध पिया है तो वह समझते हैं कि वह शेर हैं और यहां सब हलवाहे बैठे हुए हैं। तो इस शब्द 'हलवाहे' पर मुझे यह कहना है कि वह अपनी समझ से हलवाहे को क्या समझते हैं, क्या उनकी नजर में उसकी हैसियत किसी सदस्य से कम है। श्रीमन्, मैं भी किसान हूं।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

मैं यह कह रहा था कि नित्यानन्द जी ने कहा कि मैंने रिट मूव कर दिया है। रिट मूव हो जाता है। स्टे देना न देना, जज का काम होता है। सदस्यों ने अपनी भावना व्यक्त कर दी है। इसमें जैसी व्यवस्था आप चाहें वह कर दें और जो व्यवस्था आपकर देंगे उसके सन्मुख हमें मस्तक झुकाना चाहिए, यही है इस सदन के गौरव को बढ़ाने की बात।

श्री चेतराम गंगवार—

मैं प्रदेश का किसान हूं, आप 'हलवाहा' शब्द पर व्यवस्था दें।

श्री अध्यक्ष—

बात यह है कि उन्होंने इस बात पर आक्षेप किया कि वह दूसरों को वैसा समझते हैं, वह तो अभी मौजूद नहीं हैं, यह तो गुस्से में कह दिया जाता है, यह बात दूसरी है।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

मैं समझता हूं जैसा कि माननीय नेता सदन ने सुझाव रखा है यह मामला आप पर छोड़ दिया जाय, यह सही है। हमारे माननीय सदस्यों को शिकायत है उसमें दो राय नहीं हैं। सारा सदन एक राय है कि माननीय उपाध्यक्ष का रवैया आपत्तिजनक है और उस पर जो समिति बनी है उसमें सदन के सारे नेता हैं। वह सोच विचार करके जो निर्णय करेंगे उसके अनुसार कार्यवाही आगे चलेगी। माननीय उपाध्यक्ष जी ने जो कुछ किया, कल

दिन भर निष्काषित रहे, आज दिन भर निष्काषित रहे आम राय से, वह काफी हो गया। आज वे आवें और चलावें। मैं समझता हूं अब ठीक-ठाक सब चलावेंगे और समिति का जो निर्णय होगा वैसा किया जायगा।

श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)---

एक निवेदन करना है कि जब मान्यवर के कक्ष में यह तय हुआ कि उपाध्यक्ष न आयें और नेताओं ने कहा था कि अपने-अपने दलों के सदस्यों से हम लोग राय कर लें, उनकी बैठकें कर लें और इसी आधार पर उसे टाला था। तो मैं समझता हूं कि किसी दल के सदस्यों की राय भी नहीं हुई है। जब तक राय न ली जा सके तब तक मामले को वहीं छोड़ दिया जाय।

श्री अध्यक्ष---

आज के लिये तो मैंने कह ही दिया कि कोई बात नहीं है आज वह स्वयं नहीं आयेंगे लेकिन

श्री रामधारी शास्त्री---

आपने इसी आधार पर टाला था कि अपने दल के लोगों की राय नेतागण ले सकें...

श्री अध्यक्ष---

लेकिन उस कमेटी का जब तक फैसला नहीं होता तबतक के लिये ऐसा करना थोड़ा सा अनुचित मालूम होता है, क्रोध थोड़ी देर में शांत हो जायगा।

श्री विश्वनाथ कपूर (जिला फैजाबाद)---

सदन की भावना तो अध्यक्ष महोदय सामने आ ही चुकी है यदि ऐसी दशा में उपाध्यक्ष जी स्वयं इस तरह की घोषणा कर दें तो बात समाप्त हो जायगी।

बैसाखी तथा बारावफात के दिन सदन की बैठक न करने की प्रार्थना

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)---

अध्यक्ष जी, मैंने सभी दलों के सदस्यों के दस्तखत से एक प्रार्थना पत्र आप के पास भेजा था। उत्तर प्रदेश में बैसाखी का त्योहार बड़े जोर-शोर से मनाया जाता है लेकिन 13-14 को भी सदन की बैठक होने के कारण हमें छुट्टी बैसाखी की नहीं मिल रही है यह अनुदान डेढ़ मास तक अभी चलेंगे इसी बीच में बारावफात का त्योहार भी आयेगा उसमें भी हमारे भाई छुट्टी की मांग करेंगे। इसलिए इन 2 दिनों की छुट्टी बिना अनुदानों की बहस में कमी किये हुये दी जाय। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बैसाखी का बड़ा भारी मेला लगता है आप को भी मैं निमन्त्रण देता हूं कि आप बैसाखी पर हरिद्वार आइये।

श्री अध्यक्ष---

कार्यमन्त्रण समिति ने जो कार्यक्रम निश्चित कर दिया है..

श्री नित्यानन्द स्वामी---

श्रीमन्, मैंने माननीय मुख्य मन्त्री जी से बात की है और उनको इस में कोई आपत्ति नहीं है और अन्य दलों को भी कोई आपत्ति नहीं है आप इस सम्बन्ध में निर्णय करें। आप तो तो इन्साफ करना ही चाहिये आप मुख्य मन्त्री जी से पूछ लें।

श्री अध्यक्ष--

क्या मुख्य मन्त्री जी ने कुछ कबूल किया है ?

मुख्य मन्त्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)--

कार्यक्रम का प्रस्ताव तो सदन ने पास किया था लेकिन हमारे श्री नित्यानन्द जी न मालूम किस बात को समझ लेते हैं कि मुझे आपत्ति नहीं है उन्होंने कहा है कि लिखकर ऐसा प्रस्ताव अध्यक्ष जी के पास भेजा है अब अध्यक्ष महोदय के पास अपील है इसमें आपत्ति और गैर आपत्ति की बात. . .तो वकालत तो मैंने पढ़ी नहीं है. . .

श्री अध्यक्ष--

वह आप की हंसी से इन्टरप्रेट कर लेते हैं कि राजी हैं।

श्री कमलापति त्रिपाठी--

बजट का पूरा प्रोग्राम पुनः कार्यमन्त्रणा समिति ने सब की राय से निश्चित कर लिया है उसमें परिवर्तन करने से बड़ी दिक्कत हो जायगी। यदि कार्यमन्त्रणा समिति पुनः उस में परिवर्तन करना चाहे तो अनुदानों के दिन में ही छुट्टी के दिनों को फिक्स करना होगा कोई छुट्टी का दिन कट कर दें ताकि काम चलता रहे तो यह हो सकता है।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)--

हम समझते हैं कि ऐसा हो सकता है कि जिस दिन की यह बात कर रहे हैं उस दिन की विशेष अनुदानों को बाद में ले लिया जाय और बाकी अनुदान वैसे ही चलते रहें।

श्री अध्यक्ष--

मैं समझता हूं कि यह बात ऐसी है कि मेरे कमरे में आकर सब बैठकर उस के प्रभाव को देख लेंगे।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

कल तो बैसाखी है फिर कमरे में कब बात होगी।

श्री अध्यक्ष--

अभी शाम तक आज हो सकती है।

वित्त मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)--

जैसे पहले हम एक शनिवार ले चुके हैं उसी तरह से अगर 29 का शनिवार ले लें तो हो सकता है।

श्री रामधारी शास्त्री (जिला बस्ती)--

शनिवार तो लिया जा चुका है।

श्री अध्यक्ष--

तो 29 तारीख शनिवार को बैठने को आप तैयार हैं ?

श्री नित्यानन्द स्वामी--

आप 15 दिन का लेखा अनुदान और क्यों नहीं ले लेते, जैसे पहले लिया है 15 दिन का और ले लें, जल्दी क्या है ?

श्री अनन्तराम जायसवाल--

ठीक है आपके कक्ष में तय कर लिया जायगा।

श्री अध्यक्ष—

वहीं तय होगा ।

श्री कन्हैया लाल सोनकर (जिला इलाहाबाद)—

अध्यक्ष जी, मेरा निवेदन है कि 14 तारीख को श्री भीमराव अम्बेदकर की जयन्ती है जिन्होंने कि हमारे संविधान की रचना की है उस दिन हमारे प्रदेश में छुट्टी नहीं होती मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी से निवेदन करुंगा कि उस दिन की छुट्टी घोषित करें।

बुलन्दशहर जनपद में चेचक के प्रकोप से मृत्यु होने के सम्बन्ध में वक्तव्य

स्वास्थ्य राज्य मन्त्री (श्री प्रेम चन्द्र शर्मा)—

चेचक का प्रकोप प्राय: प्रत्येक चार अथवा पांच वर्ष बाद होता है लेकिन इस प्रदेश में बीमारी के संक्रमण का प्रकोप प्रत्येक चक्रीय वर्ष (चार या पांच वर्ष) के पश्चात् रोग ग्रस्तों की संख्या की दृष्टि से पहले की अपेक्षा घटती जा रही है।

बुलन्दशहर, जिला हरियाणा प्रदेश के गुड़गांव जिले से लगा हुआ है जो इस समय बीमारी से भयंकर रूप से प्रभावित है । वर्ष 1971 में गुड़गांव जिले में लगभग 1800 व्यक्ति रोग ग्रस्त हुये और वर्ष 1972 में 15 फरवरी तक 120 व्यक्ति ग्रस्त हो चुके हैं । राजस्थान प्रदेश के अलवर, भरतपुर एवं झुनझुन जिले भी जो गुड़गांव जिले के समीपवर्ती जिले हैं इस बीमारी की लपेट में हैं। चूंकि दूसरे प्रदेशों के समीपवर्ती जिलों में इस बीमारी का भीषण प्रकोप चल रहा है और लोगों का इधर से उधर एवं उधर से इधर आवागमन होता रहता है, इसलिये संक्रमण का प्रकोप बुलन्दशहर जिले में भी हुआ है। इस वर्ष अब तक 497 व्यक्ति रोग ग्रस्त हुये हैं और 65 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। जिसमें 23 मृत्यु जनवरी व 38 फरवरी में व 4 मार्च में हुई है। रोग की रोकथाम के लिये टीका लगाने का कार्य पूरी तेजी से किया गया है। जनवरी, 1972 में 40.899 तथा फरवरी, 1972 में 66,756 अर्थात दो महीने में कुल 1,07.655 टीके लगाये जा चुके हैं और अब भी यह क्रम जारी है। बीमारी पर नियन्त्रण पाने की दृष्टि से अन्य जिलों से भी अतिरिक्त वैक्सीनेटर और असिस्टेंट एपीडेमिक आफिर बुलन्दशहर भेजे गये तथा अलीगढ़ जिले के मोवाइल एस्क्वायड (जिसमें एक पैरा मेडिकल असिस्टेंट तथा दो वैक्सीनेटर वाहन सहित शामिल हैं) को बुलन्दशहर जाने के आदेश दिये गये। सहायक निदेशक (चेचक उन्मूलन) को भी राज्य स्तर की सर्वेलन्स टीम के साथ नियोजित ढंग से कार्य संचालनार्थ बुलन्दशहर भेजा गया तथा उन्हें यह निर्देश दिये गये हैं कि वे तब तक वहां कार्य संचालन करते रहें जब तक बीमारी पर पूरी तौर से नियन्त्रण न हो जाय ।

प्राप्त सूचना के अनुसार 25 मार्च, 1972 तक वहां स्थिति पूर्णतया नियंत्रित हो गई है। तत्पश्चात् जिले के किसी भी नये व्यक्ति के बीमार पड़ने अथवा उससे मृत्यु होने की सूचना नहीं मिली है।

(इस समय 12 बजकर 41 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री राम सिंह पीठासीन हुए ।)

श्री त्रिलोक चन्द्र (जिला बुलन्दशहर)—

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि किन-किन गांवों में और कौन-कौन आदमी मरे, उनकी अलग-अलग तिथि बताने की कृपा करेंगे और दूसरी बात आपने बताई कि हरियाणा से बीमारी फैली ? वहां पर तो 120 व्यक्ति रोगग्रस्त हुये और आपके यहां 497, तो यह बीमारी हरियाणा से उत्तर प्रदेश में आई या उत्तर प्रदेश से हरियाणा में गई ?

श्री प्रेमचन्द्र शर्मा—

बहुत से ग्रामों में यह रोग फैला हुआ है। हरियाणा से हमारे यहां पर आया है हमारे यहां से वहां नहीं गया है।

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

क्या माननीय मन्त्री जी इसकी जांच करायेंगे कि जो निरोधात्मक उपाय हैं वे मृत्यु होने के उपरान्त किये गये हैं?

श्री प्रेम चन्द्र शर्मा—

वैक्सीनेशन बराबर चलता रहता है। जनवरी के अलावा हमने अक्तूबर, नवम्बर और दिसम्बर में वैक्सीनेशन लगवायें हैं। अगर माननीय सदस्य चाहें तो मैं फीगर्स भी दे सकता हूं। अक्तूबर, 1971 में 8,647 प्राइमरी वैक्सीनेशन लगे और 11,980 रि-वैक्सीनेशन्स हुये। नवम्बर, 1971 में 14,412 प्राइमरी वैक्सीनेशन्स लगे और 19,643 रि-वैक्सीनेशन्स लगे। दिसम्बर, 1971 में 18,715 प्राइमरी वैक्सीनेशन्स लगे और 22,452 रि-वैक्सीनेशन्स लगे। इसलिए हम बराबर वैक्सीनेशनस लगवाते रहते हैं।

श्री जगवीर सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

क्या मन्त्री जी मेरी सूचना को आधार मानकर यह कोशिश करेंगे कि इसकी सी० आई० डी० द्वारा जांच कराई जाय क्योंकि जो फिगर्स आपको सप्लाई की गई हैं वे निराधार और बिलकुल गलत खबरें हैं। क्या आप इसकी जांच कराने की कृपा करेंगे। मेरी खबर यह है कि बहुत-सी फीगर्स यहां से सवाल जाने के बाद झूठी डायरी भरकर बना ली गई हैं?

श्री प्रेमचन्द्र शर्मा—

हमारे यहां तो बराबर रिपोर्ट आती रहती है कि कितने वेक्सीनेशन लगे और उसकी रिपोर्ट सही है लेकिन कोई भी सी० आई० डी० दुनिया में यह कैसे जांच कर सकती है कि अक्तूबर में किसके नश्तर लगा या नहीं लगा।

श्री त्रिलोकचन्द्र—

जो वक्तव्य सुना दिया है अगर वही सही है तो आगे की रिपोर्ट क्यों नही बताते कि कितने-कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई है गांव में?

श्री प्रेमचन्द्र शर्मा—

गांव बहुत से हैं इसलिये उनके नाम नहीं बताये जा सकते। यह तो बुलन्दशहर जिले में पूरे में फैली हुई है।

श्री अधिष्ठाता—

अब इसको समाप्त किया जाय।

(व्यवधान)

श्री जगवीर सिंह—

अधिष्ठाता महोदय, मुझे मन्त्री जी के उत्तर से तकलीफ हुई है। उन्होंने गांवों के नाम बताना अस्वीकार किया है। किस गांव में कितनी मृत्यु हुई है आप इसका जबाब नहीं दिला रहे हैं। आप मन्त्री जी से कहें कि गांव बताये कि कहां-कहां मृत्यु हुई है?

श्री प्रेमचन्द्र शर्मा—

बुलन्दशहर जिले में जितने भी ब्लाक्स हैं उनके सभी गांवों में करीब-करीब फैली हुई है। अगर मैं उन हजारों गांवों के नाम सुनाने लगूं तो शाम तक गांवों के नाम ही सुनते रहेंगे।

श्री अधिष्ठाता—

उनका कहना यह है कि अगर सारी सूची को पढ़ा जाय तो काफी समय लगेगा।

श्री जगवीर सिंह—

मान्यवर, ये सदन की मेज पर एक सूची रख दें और किस गांव में कितने मरे हैं यह बता दें। सवाल यह है कि क्या यह यही नहीं बता पायेंगे तो क्या सूचना होगी।

श्री अधिष्ठाता—

शेष सूचना को प्रश्नों द्वारा जानकारी करा लें। यह विषय केवल वक्तव्य के लिये था।

(व्यवधान)

स्पष्टीकरण करने के लिये पांच प्रश्नों का समय दिया है। उसके अधिक प्रश्नों की आवश्यकता इसलिये प्रतीत नहीं हुई कि केवल सूची की बात कही थी। माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सूची इतनी लम्बी है इसलिये उसको पढ़ना सम्भव नहीं है समय काफी लगेगा।

श्री जगवीर सिंह—

मान्यवर, कितना समय गांवों के नामों को पढ़ने में लग जायेगा। कितने मरे हैं गांव-गांव में अगर वह भी सूचना नहीं दी गई तो और क्या सूचना देंगे? जब वे गांवों के नाम नहीं देंगे कि किन गांव में कितने मरे हैं तो कौन तरीका है इसको जानने का ?

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

अधिष्ठता महोदय, मेरा एक सुझाव है और वह यह है कि जहां तक मेरी जानकारी है यहां लखनऊ से चेचक विभाग के कोई माथुर साहब हैं वह बुलन्दशहर गये हुये हैं पूरी जानकारी के लिये। अगर मंत्रीजी के पास कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है मरे हुये लोगों की तो उसकी सूची यहां पटल पर रख देंगे, बाद में और माननीय सदस्य भी इसको देख लेंगे। माथुर साहब से कह दिया जाय कि वे पूरी जानकारी लेकर लौटें। बाद में अगर आप उचित समझें और आपकी अनुज्ञा मिल जायगी तो उसकी चर्चा भी हो जायेगी।

श्री प्रेमचन्द शर्मा—

मान्यवर बुलन्दशहर जिले में 17-18 ब्लाक हैं उन सब में चेचक फैली हुई है। वक्तव्य में जो जानकारी दी जा सकती थी, दे दी गई। आप प्रश्न कर लें ?

श्री जगवीर सिंह—

मान्यवर, अब आप प्रश्न करने की आज्ञा दे दें। मेरा यह निश्चित प्रश्न है कि किन-किन गांवों में चेचक से कितने-कितने आदमी मरे हैं? एक बात और है जो मैं आपके माध्यम से कह दूं कि अगर उनके पास इस वक्त लिस्ट न हो तो मुझे जायसवाल जी का सुझाव स्वीकार है कि वह सूची आपके पास भिजवा दें, मैं उसे देख लूंगा। लेकिन अगर उसकी सूची ही न हो मरे हुये लोगों की तो इससे बहुत तकलीफ होगी।

श्री प्रेम चन्द शर्मा—

मुझे माननीय सदस्य का सुझाव स्वीकार है। सूची बनवाकर माननीय अध्यक्ष के पास भेज दी जायगी।

बलिया नगरपालिका क्षेत्र में शहरी क्षेत्र जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम, 1956 लागू करने के सम्बन्ध में वक्तव्य

राजस्व उपमंत्री (श्री जगन्नाथ प्रसाद)—

माननीय सदस्य ने नगरपालिका बलिया में उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत कृषि क्षेत्र के परिच्छेदन की कार्यवाही की

[श्री जगन्नाथ प्रसाद]

तथा मध्यवर्तियों के स्वत्व राज्य सरकार में निहित होने के विषय में स्थिति जानने की इच्छा प्रकट की है। इस समस्या का एक इतिहास है जिसे संक्षेप में मैं नीचे दे रहा हूं—

बलिया शहर के समीप के गांवों में ददरी का प्रसिद्ध मेला लगता है। इन्हीं गांवों के पास गंगा नदी बहती है। ददरी मेले से होने वाली आय तथा इसके प्रबन्ध के विषय में नगरपालिका तथा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में विवाद रहा करता था। इसे निपटाने हेतु शासन के नगरपालिका विभाग द्वारा 7 अक्तूबर, 1938 को इस आशय की विज्ञप्ति जारी करके 19 गांवों (16 पूरे व 3 आंशिक) को नगरपालिका, बलिया की सीमा में कर दिया गया। ऐसा केवल ददरी मेले का प्रबन्ध बलिया नगरपालिका को दिये जाने के उद्देश्य से किया गया था। उक्त विज्ञप्ति के बाद भी इन गांवों की स्थिति लगभग ग्रामीण क्षेत्रों की सी रही। न तो इन गांवों के निवासियों पर नगरपालिका द्वारा कोई कर लगाया गया, न ही उन्हें जो सुविधायें प्राय नगरपालिका द्वारा अपने क्षेत्र के निवासियों को दी जाती हैं, दी गई। वर्ष 1951 की जन गणना के अनुसार भी यह गांव ग्रामीण क्षेत्र में दिखाये गये थे। बाद में वर्ष 1958 में नगरपालिका विभाग की विज्ञप्ति दिनांक 17 फरवरी, 1958 द्वारा उक्त गांवों को नगरपालिका क्षेत्र से बाहर कर दिया गया।

उपरोक्त गांवों की स्थिति तो अवश्य ही सदैव ग्रामीण क्षेत्रों की सी रही किन्तु चूंकि यह ग्राम 7 जुलाई, 1949 को नगरपालिका की सीमा के अन्तर्गत थे इनमें ग्रामीण क्षेत्रों पर लागू उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 लागू नहीं था। वर्ष 1956 में जब उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम पारित हुआ उस समय भी उक्त 19 गांव नगरपालिका की सीमा के अन्दर थे। वर्ष 1956 के नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश अधिनियम के अध्याय 2 के अन्तर्गत बलिया नगरपालिका के पूरे क्षेत्र जिसमें ऊपर कहे गये 19 गांवों का क्षेत्र भी शामिल है पर कृषि क्षेत्र के परिच्छेदन की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। परिच्छेदन की कार्यवाही में कुछ आपत्तियां हुई और आपत्तियों में आयुक्त, वाराणसी मंडल के निर्णयों के विरुद्ध 4 अपीलें राजस्व परिषद् के समक्ष दायर हुयीं। अन्तिम अपील का निर्णय 16 मई, 1970 को हुआ। इससे पूर्व ही वर्ष 1969 में विधान सभा में नियम 51 के अन्तर्गत तत्कालीन राजस्व मन्त्री के वक्तव्य के सम्बन्ध में किये गये प्रश्नों से जो स्थिति शासन की नोटिस में आई उस पर यह विचार हुआ कि जब उपर्युक्त ग्रामों की स्थिति हमेशा ही ग्रामीण क्षेत्र की सी रही है तो क्यों न अधिनियमों में संशोधन करके यह व्यवस्था की जाय कि ऐसे क्षेत्रों पर बजाय 1956 के नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश अधिनियम के 1950 का जमींदारी विनाश अधिनियम लागू किया जाय। इस पर पूर्ण रूपेण विचार करने में कुछ समय लगना स्वाभाविक था। अतः 24 जून, 1970 को आयुक्त, वाराणसी मण्डल को यह आदेश भेजा गया कि शासन अधिनियमों में आवश्यक संशोधन पर विचार कर रहा है इस पर अन्तिम निर्णय लेने में कुछ समय लगेगा अतः 1956 के नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा 3 तथा 4 के अन्तर्गत कृषि क्षेत्रों के परिच्छेदन की जो कार्यवाही बलिया नगरपालिका के सम्बन्ध में हुई है उसे आगामी शासनादेशों तक उक्त अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत अन्तिम रूप न दिया जाय।

जमींदारी विनाश अधिनियम, 1950 तथा नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश अधिनियम, 1956 में वांछित संशोधन करने हेतु उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) अध्यादेश का प्रारूप नवम्बर, 1970 में राष्ट्रपति की अनुमति हेतु भारत सरकार के गृह मन्त्रालय को भेजा गया जिस पर राष्ट्रपति की स्वीकृति मई, 1971 में प्राप्त हुई। उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1971, दिनांक 29 जून, 1971 के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किया गया। इसका प्रतिस्थानी विधेयक दोनों सदनों से पारित हो कर उत्तर

प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) अधिनियम, 1971 दिनांक 22 अगस्त, 1971 को कानून बन गया। इस संशोधन अधिनियम द्वारा यह प्राविधान हो गया है कि उन 19 गांवों (16 पूरे व 3 आंशिक) जो 7 जुलाई, 1949 को तो नगरपालिका, बलिया की सीमा के अन्दर थे और बाद में 1958 में बाहर कर दिये गये पर वर्ष 1950 का जमींदारी विनाश अधिनियम लागू होता है तथा नगरपालिका की सीमा के अन्दर रहने वाले क्षेत्र में वर्ष 1956 का नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश अधिनियम लागू होता है। उक्त संशोधन अध्यादेश के जारी होने के बाद शासन द्वारा 21 जुलाई, 1971 को आयुक्त, वाराणसी मंडल को यह आदेश भेजा गया कि अध्यादेश में किये गये प्राविधानों को दृष्टि में रखते हुये अब नगरपालिका, बलिया के कृषि क्षेत्रके परिच्छेदन की कार्यवाही को अंतिम रूप दिया जा सकता है, अतः वे उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश अधिनियग, 1956 की धारा 5 के अन्तर्गत कार्यवाही को अंतिम रूप देने की कार्यवाही करें तथा कृषि क्षेत्र के विषय में धारा 8 के अन्तर्गत निहतन विज्ञप्ति जारी कराने के लिये प्रस्ताव राजस्व परिषद के माध्यम सेभेजवाने की व्यवस्था करें। आयुक्त से नगरपालिका, बलिया से अलग किये गये ग्रामों के विषय में जमींदारी विनाश अधिनियम, 1950 की धारा 4 के अन्तर्गत निहतन विज्ञप्ति का प्रस्ताव भी जिलाधिकारी से मंगा कर राजस्व परिषद के माध्यम से भेजने के लिये कहा गया।

अधीनस्थ अधिकारियों से पत्र व्यवहार के उपरान्त जहां तक नगरपालिका से निकाले गये 19 ग्रामों का प्रश्न है इनके विषय में उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा 4(1) के अन्तर्गत निहतन विज्ञप्ति दिनांक 7 मार्च, 1972 को जारी हो चुकी है जिसके अनुसार 1 अप्रैल, 1972 को इन ग्रामों में स्थित आस्थान राज्य सरकार में निहित हो चुके हैं।

नगरपालिका, बलिया की सीमा के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र के विषय में आयुक्त वाराणसी मण्डल को जैसा कि पहले कहा जा चुका है 21 जुलाई, 1971 को कृषि क्षेत्र के परिच्छेदन को अन्तिम रूप देने के बाद नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश अधिनियम, 1956 की धारा 5 (2) के अन्तर्गत नोटिस का प्रख्यापन राजपत्र में करने के उपरान्त धारा 8 के अन्तर्गत निहतन विज्ञप्ति का प्रस्ताव भेजने को कहा गया था। उन्होंने अपने पत्र 3 दिसम्बर, 1971 के साथ धारा 8 के अन्तर्गत निहतन विज्ञप्ति जारी करने का प्रस्ताव तो अवश्य भेजा किन्तु धारा 5(2) के अन्तर्गत नोटिस जारी करने के विषय में कोई सूचना नहीं भेजी। जब इस ओर उनका ध्यान आकृष्ट किया गया तो उन्होंने अपने पत्र दिनांक 3 जनवरी, 1972 द्वारा दिनांक 23 अक्तूबर, 1967 की धारा 5 (2) के अन्तर्गत जारी की गई विज्ञप्ति की प्रति भेजी। इस पर उन्हें सूचित किया गया कि अधिनियमों में संशोधनों के फलस्वरूप जमींदारी विनाश के प्रयोजन हेतु नागर क्षेत्र की सीमा में जो परिवर्तन हुये हैं उन्हें देखते हुये धारा 5 (2) के अन्तर्गत संशोधित नोटिस का गजट में प्रकाशन आवश्यक है। आयुक्त, वाराणसी व जिलाधिकारी बलिया को इस विषय में स्मरण कराया गया है। जिलाधिकारी बलिया ने अपनी संस्तुति 21 मार्च, 1972 को आयुक्त वाराणसी मण्डल को भेज दी है। आयुक्त से वांछित नोटिस के जारी होने की प्रतीक्षा की जा रही है। धारा 5 (2) के अन्तर्गत कृषि क्षेत्र के परिच्छेदन के अन्तिम होने के नोटिस के प्रकाशन की सूचना मिलने पर शासन द्वारा अधिनियम की धारा 8 के अन्तर्गत निहतन विज्ञप्ति जारी कर दी जायगी।

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

क्या मन्त्री जी को जानकारी है कि जो धारा 5 (2) की विज्ञप्ति प्रकाशित होती है वह अपील फायनल होने के बाद होती है। अपील का निर्णय 16 मई, 1970 को हुआ तो अक्तूबर में विज्ञप्ति कैसे प्रकाशित हो गई थी?

राजस्व मन्त्री (श्री उदितनारायण शर्मा)—

मान्यवर इसका सम्बन्ध अपीलों के फायनल होने से ज्यादा नहीं है। 5 (2) का नोटिस जो पहले निकाला गया था उसको पुनर्निरीक्षण किया गया तो उसमें कानूनी खामी मालूम हुई इसलिये 5(2) का नोटिस दुबारा जारी करना पड़ा। मैं खामी के बारे में अर्ज कर दूं। पहले यह 19 गांव (16 गांव पूरे और 3 आंशिक रूप में) और कुछ दूसरी जमीन जो नगर पालिका की सीमा के अन्दर थी इन दोनों को मिलाकर इकट्ठी कार्यवाही हो रही थी कि इसका परिसीमन कर दिया जाय। लेकिन बाद में यह निर्णय लिया गया और नगर पालिका ने यह कहा कि उसने 19 गांवों को अपनी परिधि से बाहर निकाल दिया है। जब यह बाहर निकल गये तो फिर गांव की जो कृषि भूमि थी वह उसमें रह गई और इन दो में अन्तर हो गया। अधिनियम एक 1950 के माध्यम से गवर्न हुआ और दूसरा संशोधन अधिनियम, 1956 से गवर्न हुआ। इस प्रकार 5(2) की विज्ञप्ति जैसी होनी चाहिये थी वैसी नहीं हुई इसलिये यह समझ में आया कि दुबारा किया जाय।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

अधिष्ठाता महोदय, माननीय मन्त्री जी ने वक्तव्य में कहा है कि पूर्ण रूप से विचार करने में समय लगना चाहिये था। मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि 1938 में इन गांवों को म्युनिसिपल लिमिट में शामिल कर दिया गया था और सन् 1958 में उन्हें नगर पालिका क्षेत्र से निकाल दिया गया और क्या आपके विभाग को जो विभाग यह दम्भ करता है कि सारा प्रशासन का ढांचा उसी विभाग पर चल रहा है और जो विभाग अपने को माहिर समझता है उस विभाग को पता नहीं हुआ कि 58 में गांव निकल गये हैं। जब इस सदन में 69 में नियम 51 में बात हुई तब मालूम हुआ यह जो विज्ञप्ति जारी हो रही है वह गलत हो रही है और आपने सुधार किया। अब इसमें कितना समय और लगेगा यह बतला दें ?

श्री उदितनारायण शर्मा—

बहुत थोड़े समय के अन्दर होने वाला है। इसकी कार्यवाही हो चुकी है। सिर्फ विज्ञप्ति जारी होनी है।

श्री मैनेजर सिंह—

इसमें इस बात को देख लिय जाय कि ऐसा न हो कि फिर किसी गल्ती की वजह से कोई महीने लग जायं।

श्री उदितनारायण शर्मा—

मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि जरा भी अनावश्यक समय अब नहीं लगेगा। कार्यवाही लगभग पूरी हो गई है। अब विलम्ब नहीं होगा।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

जो सूचना जिले में भेजी गई है उससे जिले के अधिकारियों में भ्रम पैदा हो गया है। वह यह नहीं समझते हैं कि परिसीमन की अन्तिम कार्यवाही का जो गजट होता है उसके लिए आदेश गये हैं।

श्री उदित नारायण शर्मा—

यह भ्रम फैलना स्वाभाविक है। उसकी वजह है कि जब दफा 5 की दुबारा विज्ञप्ति होगी तो इससे भ्रम होगा। यह भ्रम स्वाभाविक है। इसलिये लोगों का ऐसा ख्याल स्वाभाविक है। मैंने निवेदन किया था कि चूंकि नोटिस में खामी आ गई थी इसलिये दुबारा करना पड़ेगा। अब यह 5 की होगी तो 8 की अन्तिम कर देंगे।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

इसमें लड़ते-लड़ते तीन वर्ष लग गये। अब इसमें फिर पांच वर्ष कार्यवाही पूरी करेंगे तो लगेंगे। तो यह विज्ञप्ति कर दें कि उन लोगों को लड़ना न पड़े।

श्री उदित नारायण शर्मा—

धारा 5(2) के नोटीफिकेशन की सारी कार्यवाहियां हो चुकी है। उसको आरम्भ कहें या अन्तिम कहें। मैंने आपसे यह निवेदन किया कि 5(2) फिर से हो रहा है। उसके बाद जब 8 की नोटिस हो जायेगी तो वह समाप्त हो जायेगा।

श्री मैनेजर सिंह—

दुबारा नोटिस क्यों हो रही है ?

श्री अधिष्ठाता—

यह आप पूछ चुके हैं।

श्री उदित नारायण शर्मा—

इस विषय में बताया जा चुका है। इसमें 19 गांव पहले नगरपालिका में शामिल कर लिये गये थे इन गांवों कि जमींदारी और नगरपालिका की जमीन को इकट्ठा मान लिया गया था। लेकिन बाद में इन गांवों को नगरपालिका से बाहर निकाला गया। इससे यह हुआ कि हमारा 1950 का अधिनियम जो है उससे ये गवर्न होने लगे और जो नगरपालिका के अन्दर हैं वह 1956 के अधिनियम से गवर्न होने लगें। इसमें धारा 5(2) की नोटिस गलत हो गयी इसलिये इसको दुबारा करना पड़ेगा।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री अधिष्ठाता—

नियम 56 के अन्दर जो सूचनायें आई हैं उनमें से अध्यक्ष महोदय ने किसी को स्वीकार नहीं किया।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

मान्यवर बहुत जरूरी सूचनायें हैं। चीन की गतिविधियों से सम्बन्धित हैं।

श्री अधिष्ठाता—

अब उसको मैंने समाप्त कर दिया।

श्री शंकर जायसवाल (जिला वाराणसी)—

आप हमारे विचार को सुन तो लें।

श्री अधिष्ठाता—

अब मैंने राजस्व मन्त्री को बुला लिया।

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल—

आप उसे पढ़ तो दें।

श्री अधिष्ठाता—

उसे पढ़ना आवश्यक नहीं है। आप उसे देख लें। आप अध्यक्ष महोदय से मिल लें।

श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)—

व्यवस्था का प्रश्न है। अभी तक की यह परम्परा रही है कि जो भी नियम 56 के प्रस्ताव आते हैं उनको यहां पढ़ कर सुनाया जाता रहा है और उनका यहां उल्लेख होता है।

श्री अधिष्ठाता—

उसका उल्लेख करना जरूरी नहीं है। मैंने तो यह समझा कि आज राजस्व की ग्रान्ट है। काफी माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं जो समय है उसका उपयोग हो सके।

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल—

आप यदि उसे पढ़ दिया करें तो माननीय सदस्यों को पता चल जाया करे कि यह विषय है। जो परम्परा रही है उसका तो पालन होना ही चाहिये।

श्री अधिष्ठाता—

आप अध्यक्ष महोदय से मिल सकते हैं। उसको पढ़ना मैंने आवश्यक नहीं समझा।

1972–73 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या 1—वृहत जोतकर, अनुदान संख्या 2—भू-राजस्व तथा अनुदान संख्या 38—दुर्भिक्ष सहायता

राजस्व मन्त्री (श्री उदित नारायण शर्मा)—

अधिष्ठाता महोदय मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि कि 31 मार्च, 1973, को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 1—वृहत जोतकर के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 3,73,800 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1973 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 2—भू-राजस्व के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 14,95,87,100 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1973 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 38—दुर्भिक्ष सहायता के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,05,03,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जायं।

अधिष्ठाता महोदय, मैंने इन सम्मानित सदन के सामने भू-राजस्व की तीन मांगें प्रस्तुत की हैं। मान्यवर, राजस्व का जो बजट सदन के सम्मुख आता है यह बजट करीब-करीब निर्विवाद होता है। इसमें चकबन्दी को छोड़कर जो आयोजनागत आता है बाकी जो परिव्यय सरकार को चलाने में जो उसके अधिकारी और कर्मचारियों की तनख्वाह देने में और इस प्रकार के अन्य जो कार्य हैं उनको पूरा करने के लिए जो परिव्यय होते हैं इनके लिए पेश किया जाता है।

जहां तक राजस्व विभाग का सम्बन्ध है उससे सम्बन्धित 2–4–6 बातें ऐसी हैं जो महत्वपूर्ण हैं उनको मैं माननीय सदस्यों के सम्मुख निवेदन कर देना चाहता हूं।

श्रीमन्, जहां तक पहली मांग का सम्बन्ध है जो वृहत जोत कर से सम्बन्धित है उस के बारे में अधिक कहने की आवश्यकता नहीं। आप जानते हैं कि वृहत जोत कर की आय करीब-करीब धीरे-धीरे समाप्त प्राय होती जा रही है। तीस एकड़ से अधिक भूमि जिनके पास है, जिनकी आमदनी एक सीमा से अधिक है, 36 हजार रुपये सालाना से अधिक होती है, वहां

पर वृहतजोत कर लगाया जाता है। तीस एकड़ जमीन बहुत थोड़े लोगो के पास रह गई है और इस बात की सम्भावना है कि यदि यह सीमा संकुचित कर दी गई तो शायद यह इतनी भी न रह जायगी। इसलिए इसके ऊपर सदन का अधिक समय न लूंगा। यह जाने वाली चीज है। धीरे-धीरे समय के प्रभाव से आप ही आप समाप्त होने जा रही है। अभी जितनी वृहत कर जातें रह गई हैं उनके ऊपर जो कर लगाया जाता है उसका परिव्यय मांगा जा रहा है।

दूसरा परिव्यय जो मांगा जा रहा है उसमें एक प्लांड आइटम है जिसे योजनागत परिव्यय कहेंगें यह चकबन्दी से सम्बन्ध रखता है। इसके लिए लगभग 4 करोड़ 83 लाख रुपया मांगा गया है। शासन ने चकबन्दी कार्य के बारे में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिये हैं। यह भी सही है कि जहां तक चकबन्दी कार्य का सम्बन्ध है किसान के लिये उससे अधिक आवश्यक और लाभदायक कोई दूसरी योजना नही है। वह बहुत महत्वपूर्ण और आवश्यक है। यह बात सही है कि आज तक जिस तरह से यह काम होता रहा है खामियां भी होती रही हैं। आलोचना का भी बड़ा गम्भीर विषय बना रहा है और आज भी है। माननीय सदस्यों को अनेक प्रकार की शिकायतें इसके सम्बन्ध म हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब से श्री कमलापति की सरकार बनी है इसने इस बात की कोशिश की है कि हम इन आलोचनाओं और शिकायतों को अधिक से अधिक कम करने का प्रयास करें। उस प्रयास को करने में हमने कुछ काम भी किये हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो शिकायतें हैं और जो खामियां इसमें नजर आती हैं इनके बावजूद आज सारे प्रान्त में इस बात की बहुत बड़ी मांग है कि चकबन्दी हर गांव में यथा सम्भव करा देनी चाहिए। पहले जो नियम बने हुए थे उनके अनुसार बहुत सा हिस्सा प्रान्त का चकबन्दी से अलाहिदा कर दिया जाता था। बहुत कड़े से नियम बने हुए थे। उदाहरण के लिए लोग चाहते थे जहां पर हर आदमी के कम से कम तीन जोत एक जगह पर हों। और 50 फीसदी से एरिया इस प्रकार कम न हो तो इस गांव को हम चकबन्दी से बाहर कर देगें। जब से यह सरकार आई है इन नियमों में संशोधन करने का प्रयास किया गया है। फिलहाल यह कर दिया गया है कि 3 चक के बजाय 2 चक कर दिये जांय और 50 फीसदी के स्थान पर 60 फीसदी कर दिया जाय। लेकिन शासन का बिचार यह है कि इसे और बढ़ाया जाय और इस प्रकार रखा जाय कि प्रान्त का कोई ऐसा गांव न बचे जिसे चकबन्दी का फायदा न पहुंचे। यह निर्णय हो चुका है कि यथासंभव सब गांव में चकबन्दी कराई जाय और उसके लिये यह व्यवस्था की जा रही है कि स्टाफ और बढ़ाया जाय।

यह हमें अच्छी तरह से ज्ञात है कि चकबन्दी विभाग अस्थायी विभाग है और अस्थायी विभाग होने के कारण इसकी सेवायें भी अस्थायी है। अस्थायी विभाग होते हुए भी इतने समय तक चकबन्दी विभाग चला जिसके कारण इसमें काम करने वाले कर्मचारी और अधिकारी काफी लम्बे समय तक कार्य करेगें और इस प्रकार उनके सामने यह प्रश्न आ जाता है कि अन्त तक वह अस्थायी बने रहेंगे। शासन ने इस सम्बन्ध में यह निर्णय लिया है कि इस विभाग में काम करने वाले कर्मचारियों में एक निश्चित फीसदी को परमानेन्ट कर दिया जाय। इसमें कुछ कानूनगो, नायब तहसीलदार, तहसीलदार और एस0 ओ0 सीज0 के पद मुस्तकिल कर दिये जायेंगे और उस निर्णय को कार्यान्वित किया जा रहा है। कोशिश इस बात की भी है कि इससे निकले हुए जितने लोग हैं जिनको हम स्थायी सेवायें न दे सकें उनके वास्ते ऐसा प्राविधान करें जिससे यहां से निकलने के बाद उनको कहीं न कहीं सेवा में जरूर रख लिया जाय। कुछ निर्णय ऐसे और हैं जो राजस्व विभाग ने किये हैं और जिनका अपना महत्व है और जमींदारी एबोलीशन ऐक्ट में संशोधन करके हमने यह प्राविधान किया है कि गांव में रहने वाले जितने हमारे कमजोर अंग है उनको आबादी के लिये जमीन उपलब्ध कराई जाय और उस पर मकान वह बनायेंगे उसके मालिक वह स्वयं होंगे। इस कठिन काम को हम दो तीन तरीके से पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले तो चकबन्दी के माध्यम

[श्री उदित नारायण शर्मा]

से हम इसको पूरा करेगें । चकबन्दी के नियमों के अनुसार यह लाजमी है कि हरिजनों तथा पिछड़े वर्ग के लिये आबादी के वास्ते जमीन निकाली जाय । यह अनुभव में आया है कि पहले जो चकबन्दियां होती थीं उनमें कर्मचारियों ने सही ढ़ग से नियमों का पालन नहीं किया है जिससे जो लाभ लोगों को होना चाहिए था वह नहीं हुआ । उसको देखते हुए हमने दो तीन काम और किये हैं और वह यह कि अभी फिलहाल यह तो माननीय सदस्य जानते ही हैं जो चकबन्दी कानून के मातहत दफा 52 का प्रकाशन होता है उसमें कुछ कानूनी परिस्थिति ऐसी हो जाती है जिसकी वजह से हम आगे कुछ नहीं कर सकते हैं लेकिन जहां-जहां दफा 52 का प्रकाशन नहीं हुआ है और वहां पर चकबन्दी शुरू हो गई है तो उसके लिये शासन ने एक आदेश भेज कर दफा 52 का प्रकाशन यह कह कर रोक दिया है कि जब तक यह निश्चित न कर लिया जाय कि हरिजनों के वास्ते जमीन छोड़ दी गई है तब तक उसका प्रकाशन न किया जाय ।

इससे पहले यह होता था कि कभी-कभी लोगों को नाजायज फायदा पंहुचाने के लिये जो गांवों की बचत की जमीन छोड़ने में गल्ती ही नहीं करते थे किन्तु इस प्रकार से काम करते थे कि जिन लोगों को जमीन दी जानी चाहिए थी उनको न देकर जिनके पास अधिक जमीन होती थी उनको दे दी जाती थी । तो अब हमने इस प्रकार के आदेश देकर यह निर्दिष्ट किया है कि यह सब अधिकारियों की जिम्मेदारी होगी कि वह जमीन को हरिजनों के वास्ते भूमि को पर्याप्त मात्रा में और उपर्युक्त स्थान पर अलाहिदा छोड़ें । बचत की जमीन छोटे-छोटे हिस्सों में न रखकर गांवों के नजदीक रखें । उनसे यह भी कहा गया है कि अब जो भी ऐसे केसेज देखने में आयेंगे और नियमों का उल्लंघन किया गया तो उसके लिये वे कर्मचारी या अधिकारी दंडित किये जायेंगे । आरोप को निर्धारित करने के लिये किसी प्रमाण की भी अब कोई आवश्यकता नहीं है । यह स्वयं ही एक प्रमाण होगा कि अगर यह देखा गया कि वास्तव में भूमि हरिजनों के लिये उपयुक्त स्थान पर नहीं छोड़ी गई और बचत की भूमि थोड़ी-थोड़ी करके छोड़ी गई तो यह स्वयं ही एक प्रमाण होगा कि अमुक कर्मचारी या अधिकारी ने भ्रष्ट तरीका अपनाया है और इसके लिये उसे सजा दी जायगी ।

(इस समय 1 बजकर 29 मिनट पर अधिष्ठाता श्री शिवराज सिंह पीठासीन हुये ।)

इसके अलावा एक और बात है । अभी तक यह भी थीं कि चकबन्दी में जो रुट्स दी जाती थीं और जो गूल्स दी जाती थी उसके विषय में दो प्रकार की समस्यायें थीं । पहली तो यह कि जो चकबन्दी बहुत पहले हो गई थी उनमें गूल या रास्ता जिस तरह से था वह कितनी-कितनी छोड़ी गई है वह तो अपनी जगह पर है किन्तु इसके निराकरण के लिये एक संशोधन पेश कर दिया था जिसके जरिये से ये गल्तियां दूर की जा सकती हैं । कुछ ऐसे केसेज भी थे कि गूल छोड़ दी गई रास्ता छोड़ दिया गया किन्तु कुछ जबरदस्त काश्तकारों ने इस गूल और रास्ते की जमीन पर भी कब्जा कर लेते थे । इसके लिये शासन ने यह निर्णय लिया है और जिलाधिकारियों को यह आदेश दिया है कि वे इस समस्या को ला ऐंड आर्डर की समस्या मान कर जिस तरह से दूसरे मसलों में पुलिस आदि से सहायता लेते हैं उसी तरह से ऐसे मामलों में भी करें । क्योंकि ऐसे मामले इतने ज्यादे हो जायेंगे और उसमें हर व्यक्ति के लिये यह सम्भव नहीं होगा कि वह कोर्ट में जाकर न्याय मांग सके । इसके लिये अपनी जगह पर नियम बन गये हैं । उनके बनने के बाद हम यह उम्मीद करते हैं कि जितनी ये सारी बुराइयां थीं उनको किसी हद तक समाप्त करने में ये नियम कामयाब हो सकेंगे । जितनी चकबन्दी से सम्बन्धित शिकायतें आती हैं । उनके बारे में भी हमने आदेश भेजे हैं कि जितनी अपीलें और जितने विवाद इस प्रकार के हैं जिसमें यह कहा गया हो कि जमीन का जो वास्तविक मूल्यांकन है वह न करके दूसरा मूल्यांकन कर दिया गया है । उसका भी

निस्तारण, फैसला कोई भी अधिकारी उस वक्त तक नहीं करेगा जब तक वास्तव में जमीन पर खड़े होकर यह न देख लेगा कि इसका सही मूल्यांकन किया गया है या नहीं और अगर नहीं करेंगे तो उन पर भ्रष्टाचार का आरोप भी लगाया जायगा और वह दंडित भी किये जा सकते हैं। इसी प्रकार से हम यह भी प्रयास कर रहे हैं कि कुछ ऐसे परिवर्तन करें, जैसे कि पहले यह नियम बनाया गया था कि 200 मुकदमे इन अधिकारियों को एक महीने में तय करने पड़ेंगे जो जुडीश्यल काम करते हैं, अब उनको 150 कर दिया गया है ताकि मौके पर जाकर इन चीजों को देखने का अधिक समय मिल सके। इसी तरह से इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि इस चकबन्दी के मुकदमे में ज्यादा से ज्यादा सुधार कर सकें और लोगों के प्रति जो अन्याय होता था उसकी गुंजायश अधिक से अधिक कम कर दें। जहां पर आवश्यकता होती है और दीदा-व-दानिस्ता समझ में आता है कि काम सही नहीं किया गया तो वहां पर 2—4 डी0 डी0 सी0 को इसलिए रखा गया है जो मौके पर जाकर उसकी जांच करें और कोशिश करके इस तरह की जांच करायें।

मैं दावा तो नहीं कर सकता कि मैं माननीय सदस्यों की शिकायतों का पूरा निराकरण करता रहा हूं, लेकिन यह जरूर मैंने प्रयास किया है कि मैंने निर्धारित जांच ही नहीं करायी, बल्कि परिणाम से भी प्रत्येक माननीय सदस्य को अवगत कराने की कोशिश की है और प्रबन्ध किया है कि रिपोर्ट शिकायत पर जैसी की तैसी उनको देखने को मिल जाय और अगर वह चाहें तो मुझको भी बता सकें कि जांच ठीक हुई या नहीं। सम्भव है कि कुछ शिकायतें रही हों जिनमें पूरा सन्तोष माननीय सदस्यों को न मिला हो, यदि इस प्रकार की शिकायतें मुझे बराबर बताने की कृपा करेंगे तो मैं कोशिश करूंगा कि यदि मैं आश्वस्त न कर सकूं कि कठिनाइयों का सही निराकरण हो गया तो कम से कम ईमानदारी से प्रयास तो किया गया निराकरण का इसके लिए आश्वस्त कर सकूं। भूमि व्यवस्था संबंधी एक बहुत महत्वपूर्ण पुरानी बात है। जो गांव समाज की जमीन थी और सीलिंग ऐक्ट के संबंध में लोगों को काफी शिकायतें हैं और कई मानों में सही हैं।

आपको स्मरण होगा कि 1967 में प्रयास किया गया, ड्राइव किया गया था सारे प्रान्त में सरकार की तरफ से कि जांच की जाय कि 3 साल के अन्दर जो पट्टे किये गये वह कितने सही और कितने गलत किये गये। मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि उसका कोई परिणाम नहीं निकला, काफी निकला। लेकिन काफी अंशों में ऐसे केसेज रह गये जिनमें जितना निराकरण होना चाहिए वह नहीं हुआ। मैंने जिलाधिकारियों को विशेष रूप से आदेश दिये हैं कि यदि एक भी केस लिख करके, उसकी डिटेल्स दे करके हमारे सामने आ जाय कि फलां गांव में फलां आदमी की जो जमीन दी गयी वह गलत दी गयी तो उसे चिन्ता की दृष्टि से देखना चाहिए। जब कहीं ज्यादा तादाद में ऐसी शिकायतें आती हों तो मैं स्वयं कोशिश करता हूं कि ऐसी शिकायत मिलती हो तो फौरन उसकी जांच की जाय। एक ही शिकायत होती है लेकिन तथ्य ऐसे मिल जाते हैं जिनसे पकड़ होती है, जिनको हम देख सकते हैं। जिनका हम मौके पर वेरीफिकेशन कर सकते हैं, उसकी रिपोर्ट खुद देखने की कोशिश करते हैं। अगर यह नहीं हुआ तो मैं आप लोगों को दावत देता हूं कि मैं कभी भी आप लोगों की शिकायत सुनने से मुंह नहीं चुराऊंगा और उनकी जांच करूंगा क्योंकि मैं खुद इच्छा रखता हूं और चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा ऐसे केसेज हमारे नोटिस में लाये जायं और हम उनको ठीक करने का प्रयास करेंगे ऐसे केसेज आने वाले हैं जो नया सीलिंग ऐक्ट जिसमें अधिकतम जमीन की सीमा भी परिमार्जित होगी और उसके फलस्वरूप ऐसी बहुत सी बातें आपके सामने आयेंगी।

मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन देना चाहता हूं और यह सही है कि बहुत से केसेज में गलती हुई है लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि इस बीच में इस तरह की शिकायतें नहीं मिलेंगी। इस तरह से काम कराने की कोशिश की जा रही है कि अधिकारियों को साहस न हो कि जो जमीन

[श्री उदित नारायण शर्मा]

भूमिहीनों को मिलनी चाहिये वह गलत तरीके से दूसरे लोगों को दे दी जाय। मैं आपका आभारी होऊंगा कि आप मुझे ऐसे केसेज बतायें जिनमें उनके द्वारा अवहेलना हुई हो।

एक दो बातें इस वर्ष हमारा करने का इरादा है। उनका मैं संक्षेप में जिक्र करना चाहता हूं। हम प्रदेश का बन्दोबस्त करने जा रहे हैं। इससे दो लाभ होंगे। एक तो पुराने कागजात जिनके गलत होने की शिकायतें आती हैं, कोई जिला ऐसा नहीं है जहां से मांग न आती हो कि रिकार्ड आपरेशन्स करा दिये जायं और हम करते हैं लेकिन वह प्रभावी नहीं होते हैं। इसलिये कोशिश की जा रही है कि सारे प्रदेश का सेटलमेंट द्वारा बन्दोबस्त करा दिया जाय, नक्शे तैयार हो जायं और किस्म की जमीन की वजह से लगान लगता था उसमें जो असमानतायें हैं, उनको दूर कर दें।

इसी तरह से हमारा प्रयास है कि इसी वर्ष इसी सत्र में जो हम नया रेवेन्यू कोड तैयार कर रहे हैं जिसमें भूमि व्यवस्था से संबंधित जितने भी कानून हैं वे सब जगह रखने का प्रयास कर रहे हैं, उसे इसी सदन में ले आयें। इसमें हमारा प्रयास है कि जो शिकायतें आयेंगी उनको दूर करें। अभी तक जो गरीब किसानों की अवहेलना हुई है उसको ठीक करना है। काफी तादाद में हमारे गांवों में, शहरों में और प्रदेश भी कहूं तो गलत नहीं होगा कि बड़े झगड़े पड़े हुये हैं। जैसे बलिया और बिहार के झगड़े यद्यपि कागज पर समाप्त हो चुके हैं और उन पर निर्णय हो चुका है लेकिन वास्तविकता यह है कि बहुत बड़ी तादाद में बिहार के रहने वाले और यहां के रहने वाले किसानों के इस तरह के झगड़े पड़े हुये हैं, जिनका निस्तारण आवश्यक है। इससे लोगों को तकलीफ और नुकसान होता है और झगड़े होते हैं जिनमें फौजदारी और कत्ल हो जाते हैं। इसी तरह के फैजाबाद, उन्नाव और नदी के किनारे के गांव हैं उनमें इस तरह के झगड़े और विवाद हैं जिनके सुलझाने की कोशिश हम कर रहे हैं। उस दिशा में एक प्रयास यह किया गया है कि अभी तक गांवों के दरमियान जो सरहद मानी जाती थी वह नदियों के द्वारा निर्धारित होती थी, जिसको धारधुरा कहते थे अथवा मिडस्ट्रीम लाइन कहते थे। इसको हटा कर अब हम एक निश्चित लाइन खींचेंगे। हमारा विश्वास है कि इसके हो जाने के बाद इस किस्म के झगड़े न हो पायेंगे और जो हैं भी वे आप से आप खत्म हो जायगे। जो रहेंगे वे रिकार्ड आपरेशन करके, मौके को देखकर ठीक करने की कोशिश की जायगी।

एक समस्या और हमारे विचाराधीन है। अभी अपने पूरे तौर से उसके कानूनी पहलू पर विचार नहीं किया है, अभी आखिरी कोई निर्णय नहीं लिया है लेकिन शासन का ध्यान उस ओर भी है और वह यह है कि नगरों में रह गयी जमींदारी को भी खत्म कर दिया जाय। करीब करीब सभी नगरों में अभी जमींदारी शेष है किसी न किसी रूप में। यह बात सही है कि नगरों में जो जमींदारी कृषि क्षेत्र में थी वह समाप्त हो चुकी है लेकिन कृषि से इतर जमींदारी नगरों में अब भी विद्यमान है। हम उनके बारे में भी परीक्षण कर रहे हैं। उसके बारे में सरकार का यह इरादा है कि जहां तक संभव हो उस जमींदारी को भी समाप्त कर दिया जाय।

इस बात पर भी हम ध्यान दे रहे हैं कि जो हाट और बाजार हैं, जिनके ऊपर अभी तक निजी लोगों का स्वामित्व है। वह भी एक प्रकार से जमींदारी का ही रूप है। उसके कारण भी लोगों को अनेक प्रकार की कठिनाइयां होती हैं वे कठिनाइयां वैसी हैं जैसी कि जमींदारी के कारण से लोगों को होती थीं। इसका हम परीक्षण करा रहे हैं और किसी प्रकार से हम उसको भी किसानों के स्वामित्व में लाना चाहते हैं। हो सकता है उस पर गांव समाज का स्वामित्व हो अथवा जिला परिषद् का हो। बहरहाल एक व्यक्ति के स्वामित्व को हटा कर हम उसको सार्वजनिक बनाने का प्रयास कर रहे हैं।

श्रीमन्, मैं अपने भाषण को समाप्त नहीं कर सकता, अगर मैं दुर्भिक्ष के बारे में कुछ जिक्र न करूं। अभी-अभी कहा गया और पहले भी कहा गया कि गत वर्ष बहुत बड़े पैमाने पर हमारे प्रदेश में बाढ़ आयी और ऐसी आयी जिसकी मिसाल और दूसरी नहीं हो सकती। और यह बात भी सही है और मुझे खुशी है कि हमारे विरोधी पक्ष के माननीय सदस्य भी इस बात को मानते हैं

कि सरकार ने इस सम्बन्ध में बड़ा भारी प्रयास किया, एक अभूतपूर्व प्रयास किया और उस संकट का सही रूप में मुकाबला किया गया। उसके ऊपर इतना पैसा खर्च किया गया जितना पहले कभी भी खर्च नहीं किया गया था। इसके अलावा यह भी सही है कि सभी लोगों को इस बात की शिकायत है कि यह जो पैसा बांटा गया उसके बारे में यह नहीं कहा जा सकता कि वह इतनी अच्छी तरह से बांटा गया जिसके बारे में यह कहा जा सकता कि अच्छी तरह से बांटा गया। शासन इन बातों पर विचार कर रहा है और किसी ऐसे प्रभावी ढंग की तलाश में है जिसके जरिये से उन लोगों के खिलाफ कोई कार्यवाही की जा सकती हो, जिन्होंने इसमें गड़बड़ियां की हैं। जिसके द्वारा न केवल सभी लोग आश्वस्त हो जायं बल्कि आगे लोगों के लिये एक नया डर पैदा हो जाय जिससे लोग वैसा करने का साहस न कर सकें।

इसके साथ-साथ यह भी है कि इस विभाग के लोगों ने इस प्रदेश की जी तोड़ कर सेवा की है और इस बात की भी कोशिश की है, जहां तक हो सका है अष्टाचार को बचा कर लोगों को राहत पहुंचायी है।

इन शब्दों के साथ मैं आपके सामने इन मांगों को प्रस्तुत करता हूं और माननीय सदस्यों से आशा करता हूं कि वे कृपा कर उनको स्वीकार करेंगे।

*श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)—

श्रीमन्, आप की आज्ञा से मैं अनुदान संख्या 1, 2 व 38 के सम्बन्ध में प्रस्ताव करता हूं कि तीनों अनुदानों के अधीन मांग की राशि घटा कर एक-एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य है कि प्रस्तावित विकास निधि को केवल बड़ी जोत वालों पर लगाये जाने, अलाभकर जोतों के किसानों को सस्ता खाद, बीज सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने के, अतिवृष्टि व बाढ़ से हुई क्षति की पूर्ति के लिये समुचित सहायता दिलाने, जोत सीमा निश्चित करने, भूमिहीनों में परती बंजर भूमि का बंटवारा करने आदि के लिये सुझाव देना और सरकारी नीति की आलोचना करना।

यह राजस्व विभाग प्रदेश के लिये जितना आवश्यक विभाग है उतना ही उपेक्षित भी है। इस बात को अपने भाषण में मंत्री जी ने स्वीकार भी किया है। जहां तक मैं समझता हूं यह विभाग जमीन की व्यवस्था करता है, उसका सुधार करता है, प्रदेश के तमाम विभागों के लिये उद्योग से लेकर सिंचाई तक सब के लिये भूमि की व्यवस्था करता है और अब तो यह परिवार नियोजन का कार्य भी करने लगा है। इस के द्वारा सारे प्रदेश के विभागों का कार्य किसी न किसी रूप में किया जाता है लेकिन इसकी भू-व्यवस्था इतनी निकम्मी, सड़ीगली, जर्जर और बेकार हो गई है कि उसके द्वारा कोई भी सही काम होना मुश्किल हो गया है। उसकी भूमि व्यवस्था का आधार वही है जिस को शेरशाह सूरी ने और मुगलिया सल्तनत ने आरम्भ किया था, वही ढर्रा आज तक चला आ रहा है अगर कहा जाय कि मोटे तौर पर उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है तो अतिश्योक्ति न होगी। अंग्रेजों के जाने के बाद यहां आज तक कोई बन्दोवस्त नहीं कराया गया और कोई आधारभूत निर्माण-कार्य नहीं किया गया है।

सब से पहले तो मैं यह कहूंगा कि राजस्व विभाग द्वारा आज 3 प्रकार के वर्षों का उपयोग किया जाता है। कहीं तो फसली वर्ष चलता है, कहीं लेखपाल वित्तीय वर्ष का प्रयोग करता है और साधारण गिनती के लिये कैलेंडर वर्ष जनवरी से दिसम्बर तक का, प्रयुक्त होता है। इसकी वजह से काफी गड़बड़ी होती है। आज तक कोई प्रबन्ध सरकार की ओर से ऐसा नहीं किया गया है कि इस वर्ष में एकरूपता लाई जाती, किसी ने नहीं गौर किया इस बात पर कि विभाग के काम में एक तरह के वर्ष का प्रयोग करके काम चलाया जा सकता है या नहीं।

लेखपाल विभाग का सब से छोटा कर्मचारी है। पूरी नींव में सर्वाधिक आवश्यक है और

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामधारी शास्त्री]

इम्पार्टेन्ट कर्मचारी है और उच्चतम श्रेणी पर आपका यह बोर्ड आफ रेवेन्यू है और दोनों के बीच में ही प्रदेश के माल विभाग का सारा काम चलता है। लेकिन मंत्री जी देखें और समझें कि आज उसकी हालत क्या है। इस विभाग में एक लेखपाल के ऊपर कानूनगो है, उसके ऊपर नायब तहसीलदार है, फिर तहसीलदार है, फिर एस० डी० ओ० है, फिर कलेक्टर है, फिर एडीशनल कमिश्नर और कमिश्नर है और उसके बाद सबसे ऊपर बोर्ड आफ रेवेन्यू है। लेकिन लेखपाल का गुणगान मैं क्या करूं, उसके किये हुये इन्द्राज पर ही सारे मुकदमे और काम कानूनगो से लेकर बोर्ड आफ रेवेन्यू तक होते हैं। कानूनगो भी यही फैसला करता है कि लेखपाल का इन्द्राज सही है या नहीं, नायब तहसीलदार, तहसीलदार, एस० डी० ओ०, कलेक्टर, कमिश्नर सभी बोर्ड आफ रेवेन्यू तक यही फैसला करते हैं कि लेखपाल ने जो एन्ट्री की है वह सही है या नहीं है। सारा स्ट्रक्चर इसीलिये बना हुआ है कि लेखपाल ने जो शरारत की दानिस्ता की है वह सही है या नहीं है। और आज तक जब से बोर्ड आफ रेवेन्यू की स्थापना हुई है, जितने कानून बने है, उनमें अपील सुनने और भूमि की जो गड़बड़ी है उसके लिए बोर्ड आफ रेवेन्यू बना है। लेकिन जिस छोटे से कर्मचारी ने गलती की है, उसको क्या सजा मिली है।

रेवेन्यू ला में कोई ऐसी चीज नहीं हुयी है कि उसे क्या सजा दी जाय। सिवाय 218 का मुकदमा उसके ऊपर चले और अकेले के लिए करोड़ों रुपये का स्ट्रक्चर बोर्ड आफ रेवेन्यू का बना हुआ है। एक ही काम को करने के लिए लगभग 10 गांवों में और आजकल तो फेमिली प्लानिंग का काम भी उसे ही सपुर्द कर दिया गया है और उसे कहा गया है कि वह इतने-इतने केसेज देगा तभी उसकी नौकरी बरकरार रह सकती है। मवेशियों की शुमार भी वही करता है, वर्षा में कितना नुकसान हुआ, यह भी वही बताता है, जनसंख्या का भी आधार वही है। सरकार के जितने काम हैं, उन सबका आधार वही है। वह एक पेड़ के नीचे बैठकर रात भर में सारी गणना करता है और उसके आधार पर सरकार की सारी मैशिनरी खड़ी हुयी है। उनके स्टेटिस्टक्स नीचे से ऊपर तक को रात में बैठ कर लेखपाल ने किया। अगर उसके खिलाफ कोई एतराज किया जाय तो कोई सुनने वाला नहीं है। मेरी प्रार्थना है कि माननीय मंत्री जी इस ओर भी ध्यान दें।

इस सरकार के पास कोई योजना नहीं गन्तियों का सुधार करने के लिए। जहां तक डिवीजन का सम्बन्ध है उसमें एक तहसीलदार रहता है और डिवीजन का इंचार्ज एस० डी० एम० भी रहता है। उस तहसीलदार के नीचे कई नायब तहसीलदार भी रहते हैं, जिसका क्या नतीजा होता है। तमाम काम जमीन सम्बन्धी मामलों का निपटारा भी खुद ही करता है। तहसील में न्याय का और कलेक्शन का भी काम करता है। एस० डी० एम० की हैसियत से वह फौजदारी का भी काम करता है और एस० डी० ओ० की हैसियत से वह रेवेन्यू का भी काम करता है। यही कलेक्टर और कमिश्नर की भी हालत है। इस तमाम के बावजूद भी बहुत से केसेज पड़े हुए हैं जिनका फैसला 4–5 साल से नहीं हो पाया है। आपके कर्मचारी आप की ट्यूटिंग पर काम करते हैं। अमल दरामद के परवाने हमारे द्वारा जिले में चले गये लेकिन फाइल का पता नहीं है। सरकार के कागजों में दर्ज हो गया कि ए० से बी० को ट्रांसफर हो गयी, बी के नाम में जमीन चली गयी। बोर्ड आफ रेवेन्यू के खिलाफ हाई कोर्ट को रिट के माध्यम से सुनवाई का हक है। मैं समझता हूं कि बोर्ड आफ रेवेन्यु का बीच में अस्तित्व नहीं होना चाहिए। रेवेन्यू के तमाम मामले जब से जमींदारी एबोलिशन ऐक्ट आया भूमिधरी के सारे मामले मुन्सफी में होने लगे रेवेन्यू की अदालतों को अख्तियार नहीं है। इसलिए रेवेन्यु के लिए भी आप निश्चित रूप से अलग से व्यवस्था करें। वे तहसीलदार जो कलेक्शन का काम करते हैं, उसके जिम्मे वह काम नहीं होना चाहिए। मैं यह नहीं चाहता कि आप नायब तहसीलदारों को हटायें बल्कि ब्लाक स्तर पर ब्लाक डेवलपमेंट आफिसर जो हैं, जिनका समान स्तर भी है उनको यह पावर अगर दी जाय तो कोई नामुनासिब बात नहीं होगी।

दूसरी मेरी प्रार्थना है कि तहसील का इंचार्ज एस० डी० ओ० न होकर कोई पी० सी० एस० के रैंक का होना चाहिए। दूसरे जिले के जो सबसे बड़े अधिकारी हैं ज्यादातर वे आई० ए० एस० अधिकारी हैं जो हमेशा प्रान्तीय सरकार के पूरे नियंत्रण में नहीं रहते हैं या अगर यह कहूं कि उनको सरकार की फिकर नहीं होती है तो यह कोई अत्युक्ति न होगी। और इसलिये हम तो चाहते हैं कि रेवेन्यु का पूरा प्रशासन पी० सी० एस० आफिसरों के हाथ में हो जो उनके डायरेक्ट कंट्रोल में हो जो हर केस में जा सके और वारान्यारा भी कर सके। तहसील का इंचार्ज एस० डी० ओ० होता है और तहसीलदार की सुपरफ्लुअस पोस्ट है उसकी जरूरत नहीं है। आपका जो एस०डी०ओ० है उसके बाद नायब तहसीलदार से या और ऐजेन्सियों से कलेक्शन का काम लिया जा सकता है। आज जो भी रेवेन्यू आफिसर्स पूरे प्रदेश में हैं अथवा रेवेन्यू के जितने मुकदमें हैं ये एस० डी० ओ० और तहसीलदार के हाथ में न होकर निश्चित रूप से वे रेवेन्यू आफिसर्स के हाथ में रहने चाहियें और वे उसका फैसला करें। माननीय मंत्री जी इस बात को जानते हैं कि जितने आबादी के मुकदमे या जितने गांव समाज के मुकदमे 122—बी में गये उनमें हमेशा हुआ कि गरीबों के ऊपर तो जुर्माना हुआ और अमीरों के मुकदमे, मैं पडरौना तहसील के बारे में लिख भी चुका हूं और दूसरों के बारे में भी जानता हूं कि गरीबों के मुकदमे, बेदखल हो गये लेकिन जो बड़े लोग हैं जहां जिनका अवैध कब्जा है वे बेदखल नहीं हुए। मैं उदाहरण के तौर पर कहना चाहता हूं कि सिवरही शुगर फैक्टरी का फार्म तीन हजार एकड़ का है उसके मालिक ने फगरा ग्राम सभा और बैकुंठपुर की जमीन अपने कब्जे में कर रक्खी है। जमींदारी अबालिशन ऐक्ट जब से पास हुआ था और तहसीलदार ने उस जमीन से बेदखल भी कर दिया था परन्तु सरकार का कब्जा उस जमीन पर नहीं हो पाया है। आपके अफसरान जाते हैं उनके बंगलों में ठहरते हैं और पता नहीं क्या बात करके बैरंग वापिस लौट आते हैं। आप उस काम को करा नहीं सकते। वे पैसा लेकर चले आते हैं। रेवेन्यू का काम रेवेन्यू अफसरों के काम में होना चाहिये जिनको रोज के एडमिनिस्ट्रेशन से मतलब न हो और सीधे-सीधे इस कानून के अनुसार वे अपना काम किया करें।

मान्यवर, आपने अच्छा किया। मंत्री जी ने कहा कि बन्दोवस्त होगा। 1292 में बन्दोवस्त हुआ और उसके बाद 1323 फसली में बन्दोवस्त हुआ और कहीं कहीं 1347 में भी हुआ लेकिन इक्की दुक्की जगह 1323 के बाद कोई बन्दोवस्त नहीं हुआ और आपने जमींदारी तोड़ दी जो लागू हुई एक जुलाई, 1952 को। उसके परिणाम क्या हुए। जितने सार्वजनिक रास्ते थे, भूमि थी, जितनी बंजर लैंड थी सब ग्राम सभाओं में निहित हो गई और बगैर किसी रोक टोक के जमींदारी टूटी और उसके बाद कोई बन्दोवस्त नहीं किया गया। आपने उसका मैंजरमेंट नहीं कराया जिसका नतीजा यह हुआ कि अगल बगल के काश्तकारान ने सारी सड़कों को काट करके अपनी अपनी जमीनों में उसको मिला लिया। जो बंजर जमीन थी उनको भी कानूनी तौर पर अपने कब्जे में ले लिया और इस तरह से कोई जमीन आपके पास पड़ी नहीं रही और आधी जमीन भी नहीं रही जो किसी न किसी के कब्जे में न हो। जमींदारी अबालिशन जो हुआ उसकी परिणति क्या होगी हमने इसको बिना अध्ययन किये हुए किया। अगर उसी वक्त पत्थर गिर गये होते तो निश्चित रूप से यह अन्धेर गर्दी न हुई होती।

आपके यहां जो मुकदमे होते हैं उनमें बराबर यह होता है कि उसमें कोई बाउन्डरी नहीं है, अगर सड़क नापकर अलग कर दी गई होती और आपके रेवेन्यू विभाग की कोई अदालत चाहे एस० डी० ओ० या तहसीलदार, एक केस भी ऐसा नहीं होगा जिसमें नापकर जमीन अलग की गई हो, उसको नपवा लेते, तो ठीक हो गया होता। जिसकी वजह यह है कि वह जमीन जिसे आप बांटना चाहते हैं वह सब बड़े लोगों के कब्जे में चली गई। अनेक गांव तो ऐसे हैं जो जमींदारों के जमाने में रास्ते थे और जो जमींदारी के टूटने के बाद वे सब रास्ते बन्द हो गये। जब मुकदमें आते हैं, पुलिस भी मुकदमा करती है तो आपके यहां से जवाब आता है कि नक्शे में

[श्री रामस्त्री शास्त्री]

उसका कोई जिक्र नहीं है । 1323 के बन्दोवस्त में वह सड़क मौजूद थी परन्तु जमींदारी टूटने के बाद उसको अधिकार देना चाहिये था, तमाम बन्दोवस्त होना चाहिये था, रास्तों, नदियों, पुलियाओं का सब का बन्दोवस्त होना चाहिये था।

इसी सिलसिले में, मान्यवर, एक बात और कह देना चाहता हूं । आप भले ही बंजर भूमि, परती भूमि गरीबों में बांटना चाहते हों या सीलिंग लाकर बांटना चाहते हों । लेकिन इसकी बात करना मैं समझता हूं कि एक तमाशा है, एक ड्रामा है । आपका जमींदारी एबोलीशन ऐक्ट 8 अगस्त, 1946 को पास हुआ था और सन 1946 से लेकर आज तक आप जमीन का बंटवारा नहीं कर सके और आप बराबर कहते हैं कि जमीन बंटेगी । मान्यवर, यह उसी प्रकार से है जैसे एक डाकू से कहा जाय कि फलां तारीख को हम तुम्हारे घर की तलाशी लेंगे । मान्यवर, वह कौन बेवकूफ डाकू होगा जो अपने घर में लूट का सामान रखेगा। नतीजा यह हुआ कि धड़ाधड़ पट्टे हो गये । आप कहते हैं कि पुराने पट्टों को समाप्त कर देंगे । लेकिन मैं कहता हूं कि आपके दिमाग में कोई क्लीअर आइडिया नहीं है कि आप ऐसा करेंगे । मैं चाहूंगा, मान्यवर, आपके माध्यम से राजस्व मंत्री से यह कहना कि अगर वह इस बात की स्पष्ट घोषणा कर सकें कि 8 अगस्त, 1946 के बाद से जितने पट्टे हुये होंगे, वह सब गैर-कानूनी करार कर दिये जायेंगे, तभी आपको जमीन मिलने वाली है । अन्यथा जमीन मिलने वाली नहीं है । इस तरह का एक कानून बनावें कि जो सार्वजनिक भूमि होगी, सार्वजनिक चरागाह होंगे और उसके 8 अगस्त, 1948 के बाद बन्दोवस्त हुआ होगा, उसके खिलाफ कार्यवाही होगी और जमीन वापिस करवायें । जब तक आप इस तरह का नियम नहीं बनावेंगे, तब तक कोई फायदा होने वाला नहीं है क्योंकि, मैं जानता हूं बहुत से लोगों ने अपने रिश्तेदारों, यहां तक अपने पालतू कुत्तों के नाम से जमीन अलाट कर दी है । आप उसका कहां तक पता लगायेंगे । बिहार के लोगों को जमीन दी गई है । इसलिये मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि अगर आपका इरादा केवल प्रचार का नहीं है, गरीबों में जमीन बांटने का है, तो इस तरह के कानून बनाने की व्यवस्था करें । अगर ऐसा नहीं होगा तो कोई लाभ नहीं होगा ।

मान्यवर, जहां तक सीलिंग की जमीन के बटवारे का प्रश्न है, इतना मैं और कह देना उचित समझता हूं कि कुछ वितरण हुआ है । लेकिन प्रश्न यह है जमीन मिली किसे ? 5 प्रतिशत जो लोग गरीब थे, उनको जमीन मिली और बाकी जमीन उसे मिली जो भूमिहीन हैं । अगर बाप के पास भूमि है और बेटे के पास नहीं, तो बेटे को जमीन मिल गई । आपके कानून में एक फ्ला है कि जिसके पास 2 एकड़ भूमि है वह भूमिहीन है और ऐसे लोगों को जमीन दे दी गई है जिनके पास दो एकड़ भूमि है और ऐसे लोगों को जमीन नहीं मिली जिनके पास एक इंच भूमि नहीं है । यह है आपके कानून की महिमा क्योंकि खाते में भूमिहीन लिखा हुआ है । इसी सिलसिले में जब आप जमीन की व्यवस्था करने जारहे हैं, चकबन्दी लाना चाहते हैं, मैं एक बात कह देना चाहता हूं कि जमींदारी एबोलीशन ऐक्ट में अब तक 12–14 संशोधन हो चुके हैं और उसके बाद भी एक कानून है आपके यहां पारटीशन का । उसमें यह है कि जिसके पास 3 1/8 एकड़ भूमि होगी, उसका बंटवारा नहीं हो सकेगा चाहें वे दो भाई हों । दूसरी ओर अगर उसके पास 4 एकड़ भूमि है और अगर वह 8 भाई हैं तो उस जमीन का बंटवारा आप कर सकते हैं और आधा आधा एकड़ भूमि बांट सकते हैं । तो कन्सोलीडेशन कैसे होगी । आपकी खासतौर से इस पर दृष्टि जानी चाहिये ।

(लाल बत्ती जलने पर)

मान्यवर कटौती का प्रस्ताव है, समय की जरूरत ज्यादा है. . .

श्री अधिष्ठाता—

आपको 20 मिनट हो गये ।

श्री रामधारी शास्त्री---

मेरे हिसाब से 15 मिनट हुये हैं। वैसे जो आज्ञा होगी मान्य होगी। मान्यवर, मैं एक बात कह रहा था कि जमींदारी एबोलीशन एक्ट पहले का उसमें कुछ लोगों की जैसे कोई विधवा है, व्यवस्था थी कि मान लीजिये एक आदमी के दो स्त्री हैं---उसकी एक विधवा के पास कोई बच्चा नहीं है और दूसरी के पास बच्चा है। सक्सेशन कानून के अनुसार उसकी मृत्यु के बाद उनको जायदाद मिल गई। अगर उस बेवा को निकाल दिया जाता है बाहर कर दिया जाता है तो जमींदारी एबोलीशन ऐक्ट में कोई व्यवस्था नहीं है कि उसको कोई गुजारा मिल सके। पहले इस बात की व्यवस्था थी कि उस बेवा को मिल सकता है और लड़कों को मिल सकता है। कोई बाप है जो अपना हिस्सा दूसरों को दे देता है, उसके बच्चे दाने-दाने के लिये तरस रहे हैं परन्तु आपके ऐक्ट में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि इसका प्राविधान हो सके। आप जो नया कानून बनाने जा रहे हैं उसमें इस बात की ओर आपका ध्यान अवश्य जाना चाहिये।

मान्यवर, इस सिलसिले में अधिकतम जोत की बात भी कही गई। जब आप इसका रूप स्पष्ट करेंगे तब यह मालूम होगा। हम लोग जिस पार्टी से हैं वे सैद्धान्तिक रूप से इसको मानते हैं कि अलाभकर जोत तीन गुने से सीमा नहीं होनी चाहिये। आप परिवार की परिभाषा क्या करेंगे? मौजूदा ऐक्ट में जो कमी है, सीलिंग में 40 एकड़ तक भूमि फर्स्ट क्लास रख सकते हैं, सैकेंड क्लास भूमि 60 एकड़ तक और थर्ड क्लास 80 एकड़ तक है। यह एक परिवार में हो सकता है। अगर किसी परिवार में 5 से अधिक संख्या बढ़ी वह जमीन भी बढ़ जायेगी। पुराने राजे महाराजे जिनके पास सैकड़ों एकड़ भूमि है, बाग पड़ा है जिसका सरकार के खजाने में एक पैसा भी नहीं आता है उसका कोई भी प्रश्न नहीं उठेगा। जब तक जमीन का शुमार सीलिंग में नहीं होता उस समय तक बड़ी भारी दिक्कत हो जायेगी। कोई बड़ा काश्तकार है। अपने घर के पास 10 एकड़ तक की आबादी बना कर वाउन्ड्री घेर ली तो वह भी उस सीलिंग में नहीं आने वाला है। अगर दो तीन भाई हैं तो उन्होंने दो तीन जगहों पर 10, 10 एकड़ की इस तरह से बाउन्ड्री बना ली। जो म्युनिसिपल एरियाज के पास हैं या बाजार के पास हैं उन्होंने इसका पूरा लाभ उठाया। सारे बाजार की आमदनी उनके पास आ रही है। आप इन चीजों की तरफ भी अवश्य ध्यान देंगे।

लैंड आपरेशन के सिलसिले में मैं कहना चाहता हूं कि रेवेन्यू विभाग के रेकार्ड डी० एम० के कब्जे में हैं। आज भी अगर कोई व्यक्ति 3, 4 सौ रुपया खर्च कर दें तो उसका नाम 1326 और 1359 फसली में दर्ज हो सकता है। सीलिंग से निकाली हुई भूमि जिसकी नोटिस हो चुकी है लोगों ने उस पर कब्जा कर लिया है। एस० डी० ओ० या आर० ओ० के कोर्ट में इस प्रकार की लिस्ट नहीं रहती है कि कौन-कौन से नम्बर किस किस सीलिंग में निकाले गये। लिस्ट एस० डी० ओ० या तहसीलदार के पास नहीं रहती है। नायब तहसीलदार के पास है और वह काफी बड़ी रकम इन चीजों में ऐंठता है और इसको टाला करता है। हरिजन आबादी की भी बात कही गई। जहां पर चकबन्दी हो गई वहां तो दिक्कत है कि वह चक से जमीन को निकाल दें यह एक टेढ़ी खीर है। जहां चकबन्दी नहीं हुई है शायद वहां आप इन्तजाम कर सकें। मैं नहीं जानता कि कितनी कामयाबी मिलेगी। मैं यहां पर देवरिया जिले की बात कहना चाहता हूं। वहां पर अगर किसी हरिजन की झोंपड़ी 100 वर्ष से भी कहीं पर बनी हुई है तो भी वह जगह किसी न किसी के नाम भूमिधरी में दर्ज है। तो जहां झोपड़ी है वह जगहें आबादी दर्ज होना चाहिये। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। हजारों लाखों घर हैं जो भूमिधरी में दर्ज हैं। आपके रेवेन्यू के कागजों का यह हाल है।

मान्यवर, मैं एक बात और कहना चाहता हूं। बजट में यह इशारा किया गया है कि गांवों के विकास के लिये अलग से एक फण्ड बनायें। इस सम्बन्ध में मुझे डर है। सरकार में यह हिम्मत तो नहीं है कि संविद न जिस मालगुजारी को माफ किया है उसको फिर लगा सकें

[श्री रामधारी शास्त्री]

लेकिन अब आप खिड़की से आना चाहते हैं। गरीब किसान पर लगान लगाना चाहते हैं। 10 करोड़ रुपये के फण्ड के लिये बजट में कहा गया है। आपने कहा है कि छोटे काश्तकारों पर इसका असर नहीं पड़ेगा लेकिन छोटा काश्तकार कौन है इसको आपको स्पष्ट करना पड़ेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि छोटे काश्तकार के लिये जमींदारी एबालिशन ऐक्ट में लिखा है कि 6.25 एकड़ से कम का काश्तकार होगा। छोटे काश्तकार के सम्बन्ध में टेक्शेसन इन्क्वायरी कमेटी ने रिपोर्ट दी है। उसके सम्बन्ध में मैं आपके सम्मुख कहना चाहता हूं। एक एकड़ से कम का किसान जो हैं वह परिवार 39.84 प्रतिशत हैं और 1 से लेकर 2.50 एकड़ तक 20.16 प्रतिशत परिवार हैं, 2.50 एकड़ से लेकर 5 एकड़ तक 19.26 प्रतिशत परिवार हैं। इस प्रकार से 1 एकड़ से लेकर 5 एकड़ तक के 80 प्रतिशत परिवार हैं। 80 प्रतिशत परिवार ऐसे हैं जो 5 एकड़ से कम जमीन रखते हैं और उनके पास जमीन कितनी है, 33 प्रतिशत है। इसमें है कि 80 प्रतिशत परिवारों के पास केवल 33 प्रतिशत जमीन है और 20 प्रतिशत परिवारों के पास बाकी 67 प्रतिशत है। यह रेशिओ है। इसलिये मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप यह ध्यान रक्खें जिन लोगों के ऊपर से मालगुजारी हट गई है उनके ऊपर कोई टैक्स लगाने का प्रयत्न न करें, नहीं तो आपका समाजवाद का नारा खोखला साबित होगा।

एक निवेदन और करना चाहता हूं। दुर्भिक्ष के बारे में कहा गया। सरकार ने सब से ज्यादा काम किया। आपने काफी सर्कुलर भेजे इसमें दो रायें नहीं हैं। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि क्या यह सही नहीं है कि जगह जगह से बाढ़ का पैसा वापस हो गया है जब कि जिनकी सहायता की जानी चाहिये थी उनकी नहीं हुई है। मैं देवरिया जिले का एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता हूं। यहां जो असेम्बली में दिया गया है उसमें 2954 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं लेकिन जब रिलीफ देने का सवाल आया तो 1,100 गांवों को ही माना गया। प्रदेश सरकार और जिलाधीश के आंकड़ों में इतना फर्क है। 8 लाख रुपया देवरिया से वापस आया है, 5 लाख गोरखपुर से आया है और 7 लाख वस्ती से आया है। यह बांटा नहीं गया जब कि किसानों की परेशानी आज भी बनी हुई है। तो यह हालत आपके प्रशासन की है। सलेमपुर तहसील में मंत्री जी मैं कहना चाहता हूं कि 2 लाख 25 हजार रुपया 31 मार्च, 72 को निकाला गया। यह बांटा नहीं गया और मैं समझता हूं कि इस सिलसिले में भयंकर गड़बड़ी है। यह क्यों और कैसे हुआ, यह आपके सामने प्रश्न है।

श्रीमन्, इस रेवेन्यू विभाग के चकबन्दी विभाग के सिलसिले में भी कुछ कहना चाहता हूं। चकबन्दी की बड़ी चर्चा हुयी। लेकिन यह सही है कि चकबन्दी के बारे में आपकी मशीनरी क्या है। आपकी चकबन्दी मशीनरी में डिप्टी में डाइरेक्टर सबसे बड़ा अधिकारी है। कानून है कि उसके खिलाफ कोई अपील नहीं है। वह जो धांधली चाहता है, करता है। तो अगर आप वास्तव में चाहते हैं कि चकबन्दी में सही काम हो तो इस धांधली को खतम किया जाय। आज डिप्टी डाइरेक्टर वैलुएशन गलत करता है, आबादी नहीं देता, रास्ते पूरे नहीं देता और उसके खिलाफ कोई फैसला नहीं। कह दिया जाता है कि यह कोर्ट का फैसला है और कुछ नहीं हो सकता है। इसलिये चकबन्दी के काम को ठीक करने के लिये डिप्टी डाइरेक्टर चकबन्दी के अलावा कोई न कोई 2/3 अफसरों की बेंच होनी चाहिये। बिना इसके इसमें कोई काम ठीक नहीं हो सकता है। हमारे जिले देवरिया में एक गांव बुढ़िया सुल्तान में 70 फीसदी मालियत गलत लगायी गयी। की वे बेचारे इसको ठीक कराने के लिये दौड़ते-दौड़ते थक गये-लेकिन आबादी, रास्ता आदि बातों की कोई व्यवस्था नहीं दी जा सकी। तो मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस चकबन्दी में सुधार लाने के लिये कुछ न कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी। तभी इसमें सुधार आ सकता है और किसानों को फायदा हो सकता है। तो सरकार इस संबंध में जमीन का उचित प्रबन्ध

करावे, तब जाकर इससे लाभ होगा, वरना आपका समाजवाद का नारा कोरा नारा बनकर रह जायेगा और इससे जनता का कल्याण नहीं होगा । इन शब्दों के साथ मैं कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं

*श्री अभिमन्यु प्रसाद पांडेय (जिला बस्ती)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे भू-राजस्व अनुदान के संबंध में विचार व्यक्त करने का मौका दिया, इसलिये मैं आपका आभारी हूं । मान्यवर, यह ऐसा अनुदान है कि जिसमे हम चर्चा करते हैं कि किसानों का जमीन पर क्या संबंध है । हमारे जितने भी विकास-कार्य है, उसमें यह विभाग संबंधित रहता है । यह विभाग हमारे खाद्य उत्पादन से संबंध रखता है । इसके अतिरिक्त जो हमारे ऊपर अनेकानेक दैवी आपत्तियां जैसे अति वृष्टि बाढ, सुखा आदि हैं, उनसे भी इसका संबंध है । उनका मुकाबला भी करने में यह विभाग सक्षम रहता है। नेता विरोधी दल ने कहा कि इस विभाग ने कोई काम नहीं किये हैं । मेरा यह निवेदन है कि इस विभाग ने भूमि के संबंध में कई क्रांतिकारी परिवर्तन कियेहैं । जितने क्रांतिकारी कदम इस विभाग द्वारा हमारे प्रदेश में उठाये गये हैं, देश के किसी भी प्रदेश मे वैसे कदम नहीं उठाये गये है । जमींदारी विनाश अधि नियम ऐसा अधिनियम था, जिससे करोड़ों का उद्धार हुआ है । साथ ही साथ हमारी आय के स्रोत में भी वृद्धि हुयी है । जैसा कि टैक्सेशन एन्क्वायरी कमेटी की रिपोर्ट मे कहा गया है कि जमींदारी एबालीशन के पूर्व जमीनदार लोग काश्तकारों से 18.44 करोड़ रुपये वसूल करते थे लेकिन सरकार को केवल 7.06 करोड़ रुपये मालगुजारी के रूप में दिया करते थे । इस तरह से जमींदारी को समाप्त करके हमारी सरकार ने आय के स्रोत को बढाया है । दूसरी बात यह निवेदन कर दूं कि बहुत सा ऐसा राजस्व है जिसमें 60–61 के पूर्व हमारे प्रांत की आय का 38.7 भाग इस राजस्व द्वारा मिलता था । लेकिन धीरे धीरे भू-राजस्व के श्रोत कम होते चले गये जिसका मुख्य कारण यह था कि सीरदार लोग भूमिधर हो गये तथा इधर सरकार ने अन इकोनामिक होल्डिंग्स पर लगान माफ कर दिया ।

माननीय नेता विरोधी दल ने मान्यवर, कुछ अन्य बातों का जिक्र किया । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि वह समय ऐसा था कि जब बंगला देश से आने वाले शरणार्थियों के कारण हमारे सामने आर्थिक संकट आ खड़ा था। दूसरी ओर इन्द्रदेव भी अप्रसन्न हो गये थे और अतिवृष्टि हुयी थी जिसके कारण लगभग 200 करोड़ की फसल खलियानों में ही नष्ट हो गयी थी । यह नुकसान सब प्रदेश को ही उठाना पड़ा । प्रदेश के 54 जिलों में से 51 जिले इस अतिवृष्टि की चपेट में थे । ऐसे समय में हमारे माल मंत्री जी ने जो कदम उठाये वे सराहनीय कहे जा सकते है । उन्होंने सस्ते गल्ले की दूकानें खोल कर सस्तेदाम पर अनाज दिलवाया । किसानों को सस्ते मूल्य पर खाद और बीज दिलवाया । जिनके मकान गिर गये थे उनको मकान बनाने के लिये रुपया दिया।

चकबन्दी में भ्रष्टाचार की बात कही गयी । मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं चकबन्दी के कारण ही आज हम अपने प्रांत मे खाद्य की समस्या को हल कर पाये हैं । जहां चकबन्दी नहीं हुयी है वहां से भी बराबर चकबन्दी के लिये मांग आ रही है। जहां तक भ्रष्टाचार की बात है, कीड़े वहीं पैदा होते हैं जहां गन्दगी होती है । इसके अलावा भ्रष्टाचार का एक कारण यह भी है कि यह विभाग टैम्पोरेरी है । हमेशा छटनी का भूत कर्मचारियों के सर पर छाया रहता है। इसलिये व यह सोचते हैं कि पता नहीं कब हटा दिये जायें इसलिये जितना लूट सको लूट लो ।

*वक्ता न भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री अभिमन्यु प्रसाद पाण्डेय]

अगर उनको छटनी का डर न रहे तो काफी ईमानदारी से वे लोग काम कर सकते हैं। इसलिये सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिये। सरकार को इस विभाग में काम करने के लिये ऐसे अधिकारियों को भेजना चाहिये जिनकी चरित्र पंजिका अच्छी हो और जो ईमानदार हों। देखने में यह आया है कि जिनका काम खराब होता है, जो भ्रष्ट होते हैं अधिकतर उन्हीं लोगों को सी०ओ० आदि के पदों पर भेजा जाता है। मेरा निवेदन है कि सरकार ईमानदार लोगों को ही हमेशा इस विभाग में कार्य करने के लिये भेजें। दूसरे यह कि लोगों को 2 चक से अधिक न दिये जायें।

मान्यवर, गांव समाज की और सीलिंग की भूमि के संबंध में भी बड़ा भ्रष्टाचार है। प्रभावशाली लोग ही भूमि दबाये बैठे हैं। अपने कुत्तों के नाम से भिन्न-भिन्न रिश्तेदारों के नाम से, तथा नौकरों आदि के नाम से कब्जा किये बैठे हैं। इस संबंध में हमारी सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं। उन्होंने एक समिति का गठन किया है जो इन अनियमितताओं की जांच करेगी और अपनी रिपोर्ट 1973 तक देगी। अनुसूचित जातियों और जन जातियों को मकान बनाने के लिए जमीन मिल सके इसके संबंध में संशोधन किया गया है। जो ढाई लाख एकड़ जमीन मिली है। ऐसे लोगों को पट्टे कर दिये गये हैं जो भूमिहीन नहीं हैं। हमारी सरकार ने कदम उठाया है कि जब उनके पट्टे समाप्त हों तो वे निरस्त कर दिये जायं और जो जमीन मिले उसको भूमिहीनों में वितरित की जाय। गांव सभा के द्वारा जो पट्टे अन्य ढंग से दिये गये हैं, उनकी भी छानबीन की जा रही है। वह भी पट्टे निरस्त किये जा रहे हैं वह भी जमीन भूमिहीनों को दी जा रही है।

सेक्शन 171, जमींदारी अबालिशन ऐक्ट, सक्सेशन के बारे में है। मैं निवेदन कर दूं कि 1958 के पूर्व ऐसा कानून था कि टेन्योरहोल्डर के मरने पर अगर उसका लड़का नहीं था तो औरत को उसकी जोत मिल जाती थी। इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि अगर औरत और लड़के की मां में इत्तफाक नहीं हुआ तो मां दर-दर की ठोकरें खाती थी। इस अनामली को देखकर हमारी प्रदेश की सरकार ने 1958 में एक अमेंडमेंट किया कि मां और बहू साथ साथ एनहेरिट करें। लेकिन इस अमेंडमेंट के पूर्व 1958 के पहले जो टेन्योर होल्डर मर गया है उसकी जमीन की मालिक बहू बन बैठी है माता को अधिकार नहीं मिला है, माता मारी मारी ठोकर खाती है। मैं आपसे नम्र निवेदन करूंगा कि वह इस पर विचार करें। जो यह अमेंडमेंट हुआ है उसको रिट्रास्पेक्टिव एफैक्ट देने की कोशिश करें।

जमींदारी अबालिशन ऐक्ट की धारा 209, 210 के कारण बड़ी मुकदमेबाजी और भ्रष्टाचार है। अगर इसको डिलीट कर दिया जाय तो काश्तकार का हित होगा। इससे लिटिगेशन से पब्लिक को छुटकारा मिलेगा और इससे भ्रष्टाचार जो होता है वह भी समाप्त हो जायगा।

तीसरी बात निवेदन कर दूं। विरोधी दल की ओर से कहा गया कि अनइकानामिक होल्डिंग पर फिर से टैक्स लगाया जा रहा है। अनइकानामिक होल्डिंग पर फिर से टैक्स नहीं लगाया जायगा। आज का काश्तकार यह नहीं चाहता कि उसका लगान माफ हो। वह चाहता है कि उसको सस्ते दर पर खाद मिले, बीज मिले, बिजली मिले, और उसके खाद्यान्न का समुचित दाम मिले। सरकार प्रस्ताव कर रही है कि जो गेहूं पैदा किया गया है उसका मूल्य निर्धारण वही किया जाय तो पारसाल था। लेकिन इस संबंध में मैं निवेदन कर दूं कि इस साल खाद के दाम बढ़ गये हैं, पंपिंगसेट और परिश्रम के दाम बहुत बढ़ गये हैं। अगर गेहूं का दाम उतना ही निश्चित किया जायगा तो यह काश्तकारों क हित में अन्याय होगा

मैं बस्ती जिले की ओर भी ध्यान दिलाना चाहता हूं। बस्ती जिले की तीस लाख की आबादी है, जो इलाका नैपाल बार्डर पर है वह बस्ती से 70 मील दूर पड़ता है, इसके कारण से प्रशासन सुचारू रूप से नहीं हो रहा है और न विकास हो रहा है। वहां की लिटिगेंट पब्लिक को बस्ती जा कर बड़ा पैसा खर्च करना पड़ता है। मैं आपके माध्यम से माननीय मालमंत्री से निवेदन करूंगा कि वहां रेवेन्यू मैजिस्ट्रेट मुंसिफ मैजिस्ट्रेट कर दिया जाय।

श्री अविष्ठाता—

आपका समय समाप्त श्री शम्भूनाथ चौधरी। (श्री अभिमन्यु प्रसाद पांडेय से) आपका समय समाप्त हो गया आप बैठ जायं।

*श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

मान्यवर, मैंने माननीय राजस्व मंत्री का भाषण सुना। माननीय राजस्व मंत्री ने जो चित्र पेश किया वह बहुत निराशाजनक है क्योंकि आज प्रदेश की आखें आपके वक्तव्य पर लगी हुयी थीं दो चीजों पर, कि भूमि की हदबन्दी क्या होगी, दूसरी थी जो भूमि विकास शुल्कका बजट में उल्लेख किया गया है उसका रुप क्या होगा। माननीय राजस्व मंत्री ने दोनों की उपेक्षा की है। जिन बातों की ओर उन्होंने सदन का ध्यान आकर्षित किया वे केवल पिटी पिटाई है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि भूमि किस की है? इंदिरा गांधी की होगी याजोतने और बोने वाले की होगी इस संबंध में हमारा ध्यान जाता है लगान प्रथा की ओर। लगान प्रथा कायम रहेगी तो स्वामित्व होगा इन्द्रा गांधी का और अगर लगान खत्म किया जाता है तो स्वामित्व होगा जोतने बोने वाले किसान का। जब तक लगान प्रथा कायम है तब तक निश्चित है कि इस धरती पर जोतने बोने वाले का स्वामित्व नहीं होगा। मुगल काल में यह लगान प्रथा नहीं थी। यह लगान प्रथा कायम हुयी है अंग्रेजों के जमाने में जो गुलामी की परिचायक है और आज तक बदस्तूर कायम है। इसलिये मेरा निवेदन है कि खेती पर से लगान हटा दिया जाय और जो कृषि से आय हो उस पर टैक्स लगाया जाय। आप यह व्यवस्था कर दें कि जो हल नहीं चलाता, जो जमीन को न जोतता है और न बोता है उसके पास जमीन नहीं होनी चाहिये जमीन का मालिक वही होना चाहिये जो जमीन को जोते व बोये। इस सिद्धांत को मानने पर जमीन का बटवारा स्वयं हो जायगा। दूसरी व्यवस्था यह कर दीजिये कि हर आदमी को निम्नतम उपज का उत्पादन करना होगा। निम्नतम उपज बांधने से जो लोग गुलछर्रे उड़ाते है वे इस उपज को पैदा नहीं कर सकेंगे और अपने आप जमीन छोड़ कर भाग जायेंगे और आप को फिर सीलिंग की जरूरत नहीं रहेगी।

राजस्व मंत्री ने हरिजनों के लिये बड़ी बातें कहीं। कहा कि भूमि की व्यवस्था कर दी है, आबादी की भूमि पर उनका स्वामित्व होगा। यह देश व प्रदेश का दुर्भाग्य है कि हरिजनों के वोट जगजीवन राम जी के नाम पर ले लिये जाते हैं लेकिन भूमिहीन, हरिजन तथा गरीब जिस जमीन पर बसा है, आबादी की उस जमीन पर उसका स्वामित्व नहीं है। लैंड रेवेन्यू ऐक्ट के मातहत आबादी तो दर्ज हो जाती है लेकिन नाम दर्ज नहीं होता। आबादी की जमीन इस तरह से गांव समाज के नाम दर्ज होती है और बड़े काश्तकार उस पर अधिपत्य जमा लेते हैं। जितनी भी भूमि चकबन्दी में हरिजनों के लिये छटी उसे ग्राम सभापतियों ने रकमें दे कर अपने नाम करा ली क्या इस तरह की व्यवस्था से हरिजनों का कल्याण हो सकेगा। नहीं हो सकेगा इतना बड़ा विधेयक न लाकर आप एक छोटी-सी व्यवस्था कर दें कि जो आदमी जहां बसा हुआ है उस पर उसका स्वामित्व उस पर होगा, इससे करोड़ों किसानों को लाभ होगा। तो ये करते क्या है श्रीमन्, चकबन्दी कैसे करायेंगे और किससे करायेंगे जब उसका खर्चा किसान देगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री शम्भूनाथ चौधरी]

उसकी भूमि अर्जन करायेंगे और वसूल खर्चा उसी से करायेंगे । बड़े-बड़े उद्योगपति जो हैं उनसे तो आप वसूल नहीं करते है । तो क्या माननीयमाल मंत्री बतलायेंगे कि चकबन्दी कराने में जो खर्चा पड़ेगा उसे आप किसान से क्यों वसूल करेंगे । किसान के खर्च बढाने में तो आपको देर नहीं लगती । श्रीमन्, पहले प्रति एकड़ चकबन्दी का खर्चा 7 रुपया 10 पैसा था और इस सरकार ने 12 रुपया 80 पैसा कर दिया है । मैं कहता हूं कि जब खर्चा आप किसान से वसूल करते हो तो आप कौन एहसान उस पर कर रहे हो । क्या कभी मंत्री जी ने उनकी इस समस्या पर ध्यान दिया है। यह बहुत जरूरी चीज है । किसान के लिये आप दुनिया भर की बातें करते हैं किन्तु उसको क्या लाभ पहुंचा रहे हैं ।

लगान के बारे में कहना चाहता हूं कि जमींदारी खत्म हुयी किसानों ने समझा कि इससे हमें कुछ राहत मिलेगी । उसका यह नतीजा हुआ कि लगान और बढ़ गया और आये दिन किसान को हवालात में जाना पड़ता । मुझे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि 3 करोड़ 95 लाख रुपया लगान वसूली में खर्च हुआ । मेरी समझ में नहीं आता कि जब सवा छ एकड़ लगान माफ है तो यह खर्च ज्यों का त्यों क्यों बना हुआ है। माननीय मंत्री जी ने भूमि के अभिलेख के बार में कहा कि 1970–71 में 4 लाख 96 हजार है 1971–72 में 4 लाख 72 हजार तथा इस वर्ष 80 लाख 39 हजार हो गया । मेरी समझ में नहीं आया कि कौन सा गिरोह मारे जायेंगे । केवल धन के दुरुपयोग होने के अलावा और कोई बात इसमें नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि चौधरी चरण सिंह जी ने लेखपाल की प्रथा को खतम किया था और उससे किसानों में एक जागृति पैदा हुयी थी। ये जो पटवारी रखे हुये है ये रेवेन्यू के विभाग दलाल हैं । मान्यवर, बिहार में लेखपाल की प्रथा नहीं है। इन लेखपालों की वजह से जो गड़बड़ियां होती हैं वे बिहार में नहीं हो रही है । वहां का किसान कहता है कि वह अच्छा है। तो मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे लेखपाल की प्रथा को समाप्त करें।

माननीय मंत्री जी ने वृहद् जोत के बारे में कहा । वह क्या है, सिर्फ एक बला है । इस जोतकर से बचने के लिये सार खातों का बंटवारा अपने नाते रिस्तेदारों ने जाने कहां कहां हो गया फरजी तौर से । इससे सरकार को इतना घाटा हुआ कि अगर वह लीगल होता तो सरकार को पैसा भी आता और परेशानी भी न होती । तो क्या मंत्री जी इस बारे में सोचेंगे भी इस समस्या का हल कैसे ढूंढा जाय । यही नहीं, आपने कहा कि पट्टे खारिज हो गये श्रीमन्, केवल गांव समाज के पट्टों की ही बात नहीं है बड़े-बड़े लोगों ने गांव समाज की जमीन पर एक तरफा डिग्री कर दी । और आज हजारों एकड़ भूमि उन्हीं के नाती पोते के नाम से चली गयी । आज बड़े-बड़े काश्तकार हैं, उनके अवैध पट्टे तो हैं ही । मैं बार बार सदन में कहता रहा हूं । प्रतिकर के बारे में जो कानून लाये थे तो पहली जुलाई के बाद जो भी इस प्रकार की एकतरफा डिग्रियां हुयी हैं जो गलत पट्टे कराये हैं सब निरस्त समझे जायेंगे और उसकी अपील नहीं होगी, अगर यह कर दें तो देखो कैसा क्रांतिकारी परिवर्तन होता है । लेकिन आप परवाह नहीं करते ढीले मन से काम करते हैं ।

राजकीय फार्म हैं, हजारों एकड़ के हैं लेकिन घाटे में चल रहे हैं । 1969–70 के आंकड़े रखता हूं । वाराणसी मंडल में कुल सरकारी फार्म का क्षेत्र 444 एकड़ है और घाटा हुआ है 21,088 रुपया और हजार रुपया एकड़ खर्चा बैठता है उससे ज्यादा नहीं हो रहा है । गोरखपुर में जो राजकीय कृषि फार्म है वह लगभग 725 एकड़ है और घाटा है 47,944 रुपया । फैजाबाद कृषि फार्म में जो 1,099 एकड़ का है घाटा है 1,19,115 रुपया । नैनीताल क्षेत्र में 246 एकड़ का है, घाटा है 79,448 रुपया । झांसी क्षेत्र में 514 एकड़ का फार्म है और घाटा है 13,945 रुपया । हजारों रुपया खर्च करने के बाद भी ये फार्म घाट में चल रहे है । या तो मंत्री जी इन कृषि फारमों को स्थानीय भूमिहीनों में बटवारा करा दें, अगर भूमिहीन न मिले तो वह बलिया, देवरिया, गोरखपुर में मिलेंगे ।

मैंने इसलिये उनका नाम लिया कि आज आबादी पूर्वी जिलों में ज्यादा है । सारे देश में प्रतिवर्ग मील भूमि पर आबादी का घनत्व 370 है, उत्तर प्रदेश में 557 है और पूर्वी प्रदेश म 901 का है । बलिया जिले में 1121 पड़ता है और देवरिया में 1223 है । तो इस घनत्व को कम करने के लिये अच्छा होता कि आज जो भूमिहीन हैं उनक बीच में भूमि बांटी जाय । कुछ अफसर लोग खेती हथियाये हुये हैं, जिनके न बाप-दादा कभी खेती करते थे और न पुश्त-दर-पुश्त कभी खेती होती थी, जो गेहूं और जौ की बाल में अन्तर नहीं कर पाते, दूसरों से खेती कराते हैं तो कैसे आप अपेक्षा करते है (लाल बत्ती होने पर) मुझे कुछ और समय चाहिये ।

श्री अधिष्ठाता—

आपके दो मिनट शेष हैं ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

ठीक है, जैसा आपने किया है। माननीय मंत्री जी जवाब दे सकें तो दें कि पी०सी० माथुर तहसीलदार मंत्री जी की तहसील का है, उसी में 4 साल तक रह चुका । गजटेड आफिसर था, जबकि गजटेड आफिसर के सामान्य नियम के अनुसार किसी को 3 वर्ष से अधिक नहीं रहना चाहिये । उसके भ्रष्टाचार के खिलाफ, उसके जन विरोधी कार्यों के खिलाफ क्या हुआ ? कमिश्नर ने उसका ट्रांसफर कर दिया । दूसरा आदमी चला गया और चार्ज ले लिया । लेकिन उसने छुट्टी ली और मंत्री जी के पास आया और उन्होंने आदेश कर दिया कि इसका ट्रांसफर निरस्त किया जाय । लेकिन कमिश्नर ने बहुत सख्त उसके खिलाफ लिखा कि इसके खिलाफ करप्शन की बड़ी बड़ी शिकायतें है, जनता इससे ऊब गई है। अब वह मंत्री जी के पास आया तो सचिव ने उसको फाइल कर दिया । मंत्री जी ने क्रोध में आकर कमिश्नर के ट्रांसफर आर्डर को स्ट्राक आफ कर दिया । इस तरह से व्यवस्था चलेगी, इस तरह से घूसखोरी समाप्त होगी । आपने दो मिनट का मुझे समय दिया है । मंत्री जी के खिलाफ हमारे पास फाइल भरी पड़ी है । अगर उनके खिलाफ आरोप लगायें जायेंगे तो वे बच नहीं पायेंगे । लेकिन समय नहीं है। इसलिये कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया । मंत्री जी ने अनुदान को प्रस्तुत करते समय भूमि व्यवस्था के संबंध म अब तक उठाये गये क्रांतिकारी कदमों की चर्चा की है और भावी योजनाओं पर प्रकाश डाला । उनका मैं स्वागत करता हूं और माननीय मंत्रीजी से विनम्र निवेदन करता हूं कि जहां वह क्रांतिकारी कानूनों को लाने की बात सोचते हैं वहां वह यह भी देखते चलें कि जो कदम सरकार उठाती जा रही है उनका समाज पर कुछ प्रभाव भी हो रहा है या नहीं ।

मान्यवर, उन्होंने समाज के पिछड़े हुये वर्ग की कई बार चर्चा की लेकिन मैं उनसे जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने कभी यह जानने की चेष्टा की है कि जो कुछ भी अब तक जमींदारी खत्म होने के बाद हुआ है, उसका जितना लक्ष्य था उसका कितना प्रतिशत लाभ उन गरीब और पिछड़ी हुयी जाति के लोगों को मिला है ? और अगर नहीं मिला है तो क्योंकि नहीं मिल रहा है । मान्यवर, यह कटु सत्य है कि आज हमारे समाज को भ्रष्टाचार ने जकड़ रखा है जिसका नतीजा हो रहा है कि जो क्रांतिकारी कदम उठाये गये है उनका लाभ निर्धन और पीड़ित लोगों को नहीं मिल रहा है और जब तक मंत्री जी उसकी समाप्त के लिये कटिबद्ध नहीं होंगे निर्धनों को कोई लाभ नहीं होगा । भ्रष्टाचार न केवल गरीबों का शत्रु है बल्कि राष्ट्र का भी शत्रु है समाज का शत्रु है, आप चाहे जितने कानून बना लीजिये लेकिन

[श्री महीलाल]

वे बेकार साबित होंगे। मैं उस प्रवर समिति में था जब हदबन्दी का विधेयक आया था तो उम्मीद थी कि भूमिहीनों को भूमि मिलेगी। उसका एक उदाहरण प्रस्तुत करता हूं कि लखीमपुर में गोला शुगर फैक्टरी की 250 एकड़ जमीन निकली लेकिन वह उसी को बीज गन्ने के बीज के विकास करने के लिये दे दी गई। उसने केन विभाग से काफी रुपया लिया और राजस्व विभाग से भूमि वापस ले ली लेकिन गन्ने को बीज का कोई विकास नहीं हुआ।

सन् 68 में संविद सरकार थी। मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ इस बात को देखने का और मैंने उस समय चाहा कि यह भूमि शासन को वापस मिल जाय। लेकिन सचिवालय के द्वारा 10 रुकावटें डाली गयी। मैं नहीं जानता कि वह भूमि अभी तक वापस हुई है या नहीं हुई। उसी प्रकार से एक नहीं अनेक उदाहरण मेरे अपने जिले के हैं जिलाधिकारियों पर हजार दबाव डालने के बाद भी सीलिंग से निकली हुई जमीन खेतिहर मजदूरों को नहीं मिल पायी। क्यों? वह इसलिये कि सरकार की शक्ति को लेकर अधिकारी और कर्मचारी चाहे जितने कुकर्म कर लें लेकिन आज उन्हें बिलकुल भय ही नहीं रह गया है कि उनके खिलाफ कभी कोई ऐक्शन लिया भी जायगा या नहीं। मुझे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि मैंने एक प्रश्न ठाकुरद्वारा तहसील के हाकिम परगना के सम्बन्ध में किया था जिसने 1300 एकड़ भूमि के पट्टे नाजायजतौर पर लोगों को कर दिये। एक साल हो गया, डी० एम० ने उसके खिलाफ अपनी रिकमेंडेशन भी भेजी है लेकिन अभी तक उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आपको भ्रष्टाचार के प्रति घृणा नहीं होगी, भ्रष्टाचार को लोहे के हाथों से नहीं दबाया जायगा, तब तक आप कमजोर लोगों की कोई मदद नहीं कर सकते। आपके लेखपालों की क्या स्थिति है? दाखिल खारिज के मुकदमे में लेखपाल 2–2 हजार रुपया मांगता है वह खाली अपने लिये नहीं बल्कि उसमें तहसीलदार और हाकिम परगना भी हिस्सेदार रहते हैं। इसलिये बजाय इसके कि आप नये-नये कानूनों की घोषणा करें अब तक जो घोषणायें हो चुकी हैं कृपा करके उनको कार्यरूप में परिणत करा दीजिये उससे आम समाज के कमजोर वर्ग की बड़ी भारी सहायता करेंगे।

राजस्व विभाग की कार्य विवरण की पुस्तिका को मैंने पढ़ा। मैं उसकी सराहना करता हूं। माननीय मंत्री जी ने बहुत अच्छी व्यवस्था करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि जिन खेतिहर भूमिहीन मजदूरों के पास भूमि नहीं होगी उनको शासन एक्वायर करके देगा। क्या ही अच्छा होता माननीय मंत्री जी अपने भाषण में इस बात की घोषणा करते कि इस अधिनियम के द्वारा लोगों को भूमि एक्वायर करके दे दी गयी है। माननीय मंत्री जी ने चकबन्दी कानून में भी ऐसा व्यवस्था की थी कि चकबन्दी के समय हरिजनों की आबादी के लिये अलग से जमीन छोड़ी जायगी। मैं पूछना चाहता हूं कि उसके बाद से आपके पास कितनी शिकायतें आयीं आपने कितनी शिकायतों की जांच करायी और कितनी जगह आपने ऐसे स्थानों को पाया जहां हरिजनों की बस्ती के लिये उनको भूमि मिल गयी हो जो चकबन्दी में उनकी आबादी के लिये छोड़ी गयी थी। मुझे नहीं मालूम है। उसके विरोध में मुझे यह मालूम हुआ है। मैं यह नहीं कह सकता कि यह बात कहां तक सच है कि चकबन्दी कमिश्नर साहब ने गांव समाज की भूमि निकाल कर अपना एक फार्म बना लिया है। इसलिये मैं हाथ जोड़ कर यह निवेदन करना चाहता हूं कि बजाय इसके कि आप आगे कोई और घोषणायें करें अच्छा हो कि आप पिछले कानूनों को लागू करायें और उससे छोटे लोगों को लाभ पहुंचायें और उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने की कोशिश करें। यही आपका बहुत बड़ा प्रगतिशील कदम होगा। जहां तक प्रगतिशील कदम और समाजवाद का ताल्लुक है मेरे जैसे लोगों को भी समाजवाद के नारे से ही शासन के साथ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और अच्छा ही होगा यदि हम भी आपके साथ आकर समाजवाद के द्वारा पीड़ित और दुखी लोगों की कुछ सेवा कर सकें।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

यह सौभाग्य उन का समझ में नहीं आया कि किस तरह से हुआ।

श्री महीलाल—

समय कम है नहीं तो मैं बता देता। मैं निवेदन कर रहा था कि अगर समाज में शोषण बाकी रहता है तो समाजवाद का नारा निरर्थक हो जायगा। शोषणविहीन समाज ही वास्तव में समाजवादी समाज कहलाया जा सकता है। इसीलिये शोषणविहीन समाज की स्थापना के लिये कदम उठाना जरूरी है और हम चाहते हैं कि यह सरकार शोषणविहीन समाज की रचना करती चले ताकि जिन लोगों का शोषण होता है, जो समाज के कमजोर और बलहीन लोग हैं उनकी रक्षा शासन करे। राज्यों के लिये जो निर्देश है उन पर अगर आप दृष्टिपात करें तो संविधान के 39 (च) में दिया है कि "शैशव और किशोर अवस्था का शोषण से तथा नैतिक और आर्थिक परित्याग से संरक्षण हो"। इस दृष्टि से यदि हम विचार करें और हम अबतक के अपने कामों का मूल्यांकन करें तो हमें देखने को मिलेगा कि गरीब परिवार के बच्चे आज भी बेचे जाते हैं, गिरवी रखे जाते है और उनसे काम लिया जाता है। वे कौन लोग काम उनसे लेते हैं? वे लोग जो अपने बच्चों की भलाई का नारा देकर सीलिंग का विरोध करते हैं। मजदूर के बच्चों से काम लेंगे उनका शोषण करेंगे उनको शिक्षा से दूर रखेंगे क्या यह सब अन्याय नहीं है? लेकिन अगर उनके बच्चों की शिक्षा की उचित व्यवस्था न हो तो अन्याय है।

मंत्री जी से मैं निवेदन करूंगा कि आप कानून कुछ भी बनायें लेकिन यह मान कर चलें कि जो कानून आप बनाने जा रहे हैं उसका लाभ वर्तमान परिस्थितियों में पैसे वाले ही उठाते हैं निर्धन नहीं उठाते। जो अपने बच्चों को गिरवी रखकर जीविका चलाते है क्या उसको भी कोई भूमि मिलने को है? नहीं। आज कल बड़ी चर्चा है सीलिंग के विरोधियों में कि छोटे लोग भूमि रखते ही नहीं वे उसे बेच देते हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि भूमि उसी के नाम अलाट करायी जाती है जिससे अगली तारीख में बयनामा लिखा कर पहले से रख लिया जाता है और कहा यह जाता है कि छोटे लोग भूमि रख ही नहीं पायेंगे। भूमि कोई खड़ नहीं है उसके लिये अगर आप इस तरह के सख्त कानून नहीं बनायेंगे जिससे शोषण रुके तो काम नहीं चलने वाला है। ऐसे शोषण को रोकने के लिये यह जरूरी है कि भूमि के मुकदमों के लिये अदालत में टिकट लगाकर प्रार्थना न करनी पड़े, वकील न करने पड़े, कोर्टफीस लगाना न पड़े। जिस तरह से चोरी और डकैती में पुलिस चालान करती है उसी तरह से शासन की तरफ से ऐसे शोषण करने वालों का चालान होना चाहिये। इसके लिये गरीबों को खर्च न करना पड़े। मैंने यह सुना है कि पूर्वी जिलों में आज भी एक लोटा सत्तू देकर दिन भर हल चलवाया जाता है। माननीय मैनेजर सिंह जी सिर हिलाकर इस बात से सहमति प्रकट कर रहे हैं। जिन गरीब लोगों को दोनों वक्त भोजन न मिले वह अदालत और मुकदमे व वकील का खर्चा कैसे उठा सकेंगे? उनके लिये यह नामुमकिन है। इसके लिये आपको मौलिक तरीके से क्रान्तिकारी परिवर्तन अपनी नीति में लाना पड़ेगा तब आप उन लोगों को शक्तिशाली बना सकेंगे जिनसे प्रधान मंत्री ने वादा किया है कि उन को ऊपर उठाया जायगा।

ग्रामीण क्षेत्रों में कितने 2 बड़े हाट और बाजार होते हैं इसके लिये आप एक कमिटि बैठाइये और उससे पता लगवाइये। जबकि आपकी ग्राम सभाओं को कोई आमदनी नहीं है अगर वे उनको दे दिये जायें तो गांव का फायदा होगा। और अगर वहां के विद्यालयों को दे देंगे तो सारे समाज को लाभ होगा और उसमें कोई दिक्कत भी नहीं होगी। क्योंकि शासन को संविधान में शक्ति भी दी है। आप सप्तम् सूची नं० 2 को देखें। इसमें बाजार और मेले दिये हुए हैं। आप इनका समाजीकरण करें और इनकी आमदनी को ग्राम सभाओं को दिलायें। मैंने यह भी सुना है और वास्तविकता भी है कि खेतिहर मजदूरों से पक्का लिखा

[श्री महीलाल]

लिया जाता है और कर्जे के नाम से दस्तावेजें लिखा कर उनसे हलवाही का काम कराया जाता है। शासन को यह अधिकार है अनुसूची में। इसी अनुसूची में आईटम 30 पर दिया हुआ है "साहूकारी और साहूकार कृषि श्रृणता का उद्धार"। यह उद्धार आप कर सकते है कानून बना कर कि जो इस तरह के लोग है गरीबों से रुक्के लिखा कर, तमस्सुक लिखा कर कर्जे के नाम पर उनका शोषण करते है यह क्रान्तिकारी कदम होगा यदि समाज के दलित लोगों को ऋण से आप मुक्ति दिलायें। आज उस ऋण के बल पर सूद ही नहीं लिया जाता है बल्कि उन गरीबों से हलवाही और उनका शोषण किया जाता है। यह ही नहीं जिन लोगों के पास में 1 या 1 1/2 एकड़ जमीन भी होती है, उनसे भी कर्जों के नाम पर वह छीन ली जाती है। तो आप जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी यह कानून लायें और जिससे ऋण से इन गरीब लोगों को मुक्ति मिल सके। मुझे एक उदाहरण बताया गया कि 1 हजार रुपया देकर 2 साल के अन्दर 13 हजार हो गया।

मान्यवर, मैंने हमेशा चकबन्दी का स्वागत किया है। जब इसका उधर से विरोध भी हुआ तो मैंने यही कहा कि यह बहुत अच्छी लाभप्रद योजना है। लेकिन जितना लाभ होना चाहिये था उतना नहीं हुआ विशेषकर उन तहसीलों को जिनमें मौलिक अधिनियम के द्वारा चकबन्दी हुयी थी। जिन तहसीलों में चकबन्दी में चक रोड्स और नालियों के लिये जमीन नहीं छोड़ी गयी मेरी प्रार्थना है कि उन तहसीलों में दुबारा चकबन्दी करायी जाय जिससे चक रोड्स और नालियों की व्यवस्था होती चले। अन्त में मेरी प्रार्थना है कि जिन लोगों ने आपके भूमि व्यवस्था कानून का दुरुपयोग किया है उन लोगों को ग्राम पंचायतों के इलैक्शन में खड़ा न होने दें।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय मैंने माननीय राज्यपाल के अभिभाषण पर और न बजट पर सामान्य चर्चा में भाग लिया है और न मैं कभी पुर्जी भेजता हूं और न ही कोई हाजरी देता हूं। तो मेरी प्रार्थना है कि आप मुझे कुछ समय दे दें?

अधिष्ठाता—

अभी काफी समय शेष है आप धीरज रखें।

*श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय रामधारी शास्त्री ने जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया है, उसका मैं समर्थन करना चाहता हूं।

श्रीमन्, ऐसा करने के कुछ कारण हैं और उन कारणों में अगर देखा जाय तो पूरे राजस्व विभाग को 2 हिस्सों में बांट दिया जाय तो ज्यादा उत्तम होगा। एक हिस्सा वह है जो भूमि अभिलेखों के आधार पर करते हैं उनकी रखवाली करते हैं और दूसरा हिस्सा वह है जो दुर्भिक्ष सहायता के आधार पर सरकार द्वारा मदद पहुंचाने का कार्यक्रम रहता है। श्रीमन्, आप देखें कि जो बातें कही गई सरकार की तरफ से सवाल इस बात का है कि जो कार्यक्रम आपने बताया क्या उसको भी पूरा करने का प्रयास किया या उनसे सीधे एक उत्तर निकलेगा कि उस कार्यक्रम को पूरा करने का भी प्रायास नहीं किया गया विभाग के द्वारा। श्रीमन्, जो प्रयास भी किया गया है वह भी आधे मन से और इसीलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आखिर जो अभी भूमि वितरण की बात कही जाती है इस भूमि वितरण के सम्बन्ध में कोई इस प्रकार के आंकड़े नहीं दिये गये हैं कि इतने परिवारों को इस अवधि के अन्दर जो 3 1/8 एकड़ भूमि प्रति परिवार के हिसाब से देनी है इसके लक्ष्य के अनुसार इन्होंने कितने परिवार को आवाद करने का प्रयास किया।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्रीमन्, अगर आप देखें तो आज भी उसी सरकारी आंकड़े के हिसाब से अगर देखा जायेगा तो अभी अधिकतम जोत सीमा के अन्तर्गत जो जमीन निकल गई वह 2,11,783 एकड़ हैं उसमें से केवल 1,69,270 एकड़ का ही इन्तजाम कर पाये। मैं यह जानना चाहता हूं कि कोई आंकड़े भी नहीं बनाये। आपकी विभाग की ही इस पुस्तिका में छपे हुए हैं आखिर कौन कारण है कि इतनी भूमि उपलब्ध रहने के बाद भी आप प्रबन्ध नहीं कर पाये। श्रीमन्, जिस सरकार ने उपलब्ध भूमि रहते हुए भी वितरण करने का समय नहीं मिला जो उसके साथ आगे नहीं बढ़ सके उस सरकार को यह कहां हक हासिल है कि वह कहे कि हमें अधिक भूमि लेकर बांटने वाले हैं। यह तो सिर्फ लोगों को धोखा देने का एकमात्र तरीका निकाला है। श्रीमन्, मैं इसलिये यह बात कहना चाहता हूं कि आखिर प्रदेश की जनता को सरकार ने एक सबक सिखाया है वह एक ही सबक है जिसमें प्रदेश की गरीब जनता इनकी तरफ ललचाई हुई आखों से दखती रहे और उस तरकी से चलती रहे कि उसको यह मालूम हो कि आगे खाना रक्खा हुआ है। इनका सिर्फ यह कह देना है धीरे से कि तुम्हारे सामने यह थाली पहुंच जायेगी वह दखता रहे और थाली ढकी हुई रक्खी रहे और ये कभीं नहीं कहेंगे कि थाली तुम्हारे सामने आने वाली है।

मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं और वह यह है कि आपने कहा कि 1971 में आबादी का सवाल बनाने के लिये भूमिहीन लोगों के लिये कृपा करके इस सदन में कानून बनवाया। मैं जानना चाहता हूं और मैं राजस्व मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि वे अपने विभाग में पूछें अपने एस० डी० एम से पूछे कि उन्होंने 222—ग के अन्दर अधिकार दे रक्खा है—तो किन-किन एस० डी० एम० लोगों ने अपने-अपने इलाकों में बिना मुकदमे वालों—लोगों की जरूरतें रफा कर दी हैं अथवा अगर नहीं रफा की हों तो एक कदम चलने का भी कोई सन्तोषप्रद प्रयास किया हो। मैं यह जानना चाहता हूं कि जितने एस० डी० ओ० हैं राजस्व विभाग के अन्दर उसमें से कितने ऐसे हैं जो प्रथम श्रेणी नहीं है, हिसाब से कितने तृतीय श्रेणी है, कितने पास हैं। मैं चाहता हूं कि उनका विभाग राजस्व मंत्री उत्तर देने लगें तो एक सूची मंगाकर इस सदन को उत्तर दे दें कि तृतीय श्रेणी कितने एस० डी० ओ० पास हो गये हैं। श्रीमन् मैं यह कहने के लिये मजबूर हूं कि आज वही हालत ज्यों की त्यों बनी हुई है। जो इस कानून के बनने के पहले थी और इतना ही नहीं लोगों को जानकारी यह है कि और बुरा न मानें राजस्व मंत्री जी तो मैं यह कहना चाहूंगा और उनके अधिकारी ऐसा काम नहीं करते हैं तो वह मुझको इस बात की इजाजत दें कि मैं इस बात का प्रदेश की जनता में अन्दोलन करूं और वह हमारा साथ दें। क्योंकि दोनों के इरादों में कोई अन्तर नहीं है। अन्तर है कहां, वह केवल एक्जीक्यूशन में है, अन्तर कार्यान्वयन का है। और अगर सही माइने में राजस्व मंत्री जी का पक्का इरादा है तो इस मामले में वह हमारा और हमारे दल का साथ देंगे ?

श्रीमन्, एक बात मैं और कहना चाहूंगा गांव सभा की भूमि के सीमा निर्धारण के सम्बन्ध में। आज भी सारे प्रयास के वावजूद भी गांव सभा की जमीन आज भी उन लोगों के कब्जे हैं जो उसके अधिकारी नहीं हैं। सरकार ने, श्रीमन्, अपनी रिपोर्ट में यह कहा कि प्रयास हुये बड़ी तेजी से प्रयास हुए और फिर कहा गया कि 1964 से 1967 तक के पट्टों की जांच की और उसमें से 1,88,709 पट्टे खारिज किये गये। यदि ऐसे पट्टे थे जो गलत तरीके से किये गये थे। अब श्रीमन्, एक बात देखें कि सरकार ने 1967 तक की बात बताई। मैं माननीय मंत्री जी से यह बात जानना चाहता हूं कि आज की क्या स्थिति है ? 1967 के बाद की क्या स्थिति है। 5 साल बीत जाने क बाद भी यह बताने का प्रयास विभाग की ओर से नहीं किया गया कि उसके बाद क्या स्थिति हुई। केवल धूल झोंकने का प्रयास किया गया कि 64 से 67 तक का समय दे दिया जायगा तो लोगों को सन्तोष हो जायगा कि इतन अवध पटट खारिज किये गये हैं।

[श्री कल्पनाथसिंह]

इसी प्रकार से पट्टों के बारे में और अवैध कब्जे के बारे में 115 बी के जरिये तहसीलदार रिपोर्ट करने लगा और मुकदमे चलने लगे। उन मुकदमों का क्या हुआ ? जिन लोगों ने तहसीलदार की पूजा की अथवा उससे जो बड़े अधिकारी हैं परगना अधिकारी, उसकी पूजा की और जिसने पूजा नहीं की उसके पट्टे खारिज। जिसने पूजा की तो उनको पट्टा कर दिया कि इनका कब्जा ज्यादा दिनों का मालूम होता है, न हम खारिज करते हैं और न बहाल करते हैं। यदाकदा यह भी कह दिया कि यह मामला दूसरी तरह से निपटना चाहिये। ऐसी स्थिति में मुकदमे लड़े लोगों ने और जुर्माना भी हुये। मान्यवर, जुर्माना होने के बावजूद भी लोग आज भी ज्यों के त्यों अपनी उसी जमीन पर उसी तरह से काबिज हैं जैसे उसके पूर्व थे। मैं माननीय मंत्री जी से अपने ही जिले में जांच करने के लिये कहूंगा। अगर दूसरे जिलों की कहूं जो शायद समझें कि गलत कह रहा हूंगा, वह जांच करवा ले और अपने कार्यवाही की रिपोर्ट यहां रख दें।

श्रीमन्, चकबन्दी की तरफ भी मैं सरकार का ध्यान ले जाना चाहूंगा आपके माध्यम से कि आज चकबन्दी की क्या स्थिति है। चकबन्दी में क्या किया ? आबादी के स्थल हरिजनों के गांव में होने चाहिये जहां, वहां आबादी का स्थल नहीं छोड़ा जाता। जहां पर हरगिज दूसरे आदमियों की आबादी नहीं हो सकेगी। ऐसे लोगों को चक के बीच में छोड़ा जाता है जो धीरे-धीरे उस चक को अपने कब्जे में कर ले। हरिजनों और गरीबों के नाम पर जो आबादी का प्रश्न आता है तो उसमें चन्द नेता लोगों का हाथ होता है। क्या हालत हो गई है ? गरीब बेचारा ज्यों का त्यों त्रसित है। चकबन्दी अधिकारियों द्वारा गांव वालों से यह नहीं पूछा जाता है कि उनको किस प्रकार से रास्ता मिलेगा अथवा रास्ता निकालने में कौन-कौन सी कठिनाइयां पड़ेगी। ट्यूबवेल्स, नाली आदि में कौन-सी कठिनाइयां आयेंगी। धोबी घाट, हाट बाजार के लिये कौन-सी कठिनाइयां आयेंगी, पहले से ही इसका कोई भी विचार नहीं रखा जाता है और अधिकारी मनमाने ढंग से काम करता चला जाता है।

चकबन्दी के समय सबसे पहल चीज यही होनी चाहिये कि सी० ओ० और ए० सी० ओ० को चाहिये कि वे आरम्भ से ही भूमि की और वहां की जरूरतों को देखें, लेकिन नहीं। देहात में कहा जाता है कि मामला टोपी टोपी का है। छोटी टोपी वाला अर्थात् तहसीलदार ने कुछ कहा उसी को कलेक्टर ने कर दिया। कलेक्टर के दस्तखत उसी पर होते चले गये। यही नहीं वही चीज सरकार ने भी मान ली और वही चीज हमारे सामने भी उसी रूप में आई। इस प्रकार से आपके प्रशासन में क्या सुधार हो सकता है। आप कितनी भी भली मंशा से कोई कानून बनायें लेकिन अगर उसका कार्यान्वयन सही नहीं होगा तो उस मात्रा में काम चलानेवाला नहीं है। मैं एक निवेदन करूंगा कि। मुकदमे के बारे में यह इत्तिला दी जाती है कि ए० सी० ओ० और सी० ओ० अपने-अपने इलाके में गिरोह पैदा कर लेते हैं और फिर गरीबों का कोई देखने वाला नहीं है। उसके अधिकारों का खुल कर हनन होता है। मेरा यह सुझाव कि आप विरोधी दल वालों की सारी गतिविधियों का पता लगा लेते हैं क्योंकि आप के पास सी० आई० डी० और सभी कर्मचारी हैं आप कृपा करके सी० ओ० और ए० सी० ओ० की रेपुटेशन का भी पता लगवायें। पब्लिक में उसकी प्रतिष्ठा बहुत गिरी हुई है, लोग उससे आतंकित हैं। आप यह मालूम करवायें कि क्या यह अधिकारी ईमानदार है ? अगर आपको यह मालूम हो कि वह भ्रष्ट है और उसकी रेपुटेशन जनता में ठीक नहीं है तो उसको सर्विस में नहीं रखना चाहिये। उसको रहने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसे ब्लैक लिस्टेड अधिकारियों को आप जनता के बीच में न रहने दें। जो सुनाम और अच्छे अधिकारी हैं जिनके कामों से जनता में सन्तोष है उनको ही आप रखें। अगर लोगों में पहले से ही यह विश्वास हो जाय कि यहां पर न्याय होता नहीं बल्कि बिकता है तो आप अन्दाजा कर सकते हैं कि उस प्रदेश और देश की जनता की क्या हालत होगी।

श्रीमन्, मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा । प्रशासन के मामले में किस आवश्यकता के लिये आज हाकिम परगना का ओहदा बना हुआ है? हाकिम परगना राजस्व मंत्री के कंट्रोल में तो है नहीं, वह तो है मुख्य मंत्री के कंट्रोल में और आपका जो तहसीलदार है, जिसके ऊपर आपका सीधा सीधा नियंत्रण है, वह हाकिम परगना के नियंत्रण में है । हाकिम परगना के लिये काम क्या है। 109 और 110 के मुकदमें देखता है और तहसील में जाकर तहसीलदार के उपर रोब रखता है। जो वह मुकदमें देखता है वह तहसीलदार देख सकता है। वह सेकिंड क्लास मैजिस्ट्रेट है । उसको अगर अधिकार दे दिये जायं तो वह हाकिम परगना का काम देख सकता है। वह तहसीलदार से जब हाकिम परगना बन जाता है तो वह काम देख लेता है लेकिन जब तक तहसीलदार है, उसको नहीं देख सकता है। तो मेरा कहना है कि इन सफेद हाथियों को क्यों जगह-जगह पर रक्खा गया है।

(लाल बत्ती होने पर)

श्रीमन्, दो, चार मिनट और मिल जायं। अभी मुझे दुर्भिक्ष के बारे में और कहना है।

श्री अधिष्ठाता—

आप दो मिनट और ले लीजिये ।

श्री कल्पनाथ सिंह—

तो मैं कह रहा था कि आप यह देख लें । बहुत से नायब तहसीलदार और कानूनगो एक ही सर्किल में बहुत दिनों से विराजमान हैं । असली काम है लेखपाल का जिसको आप ग्राम सेवक के बराबर भी तनख्वाह नहीं देते हैं और उसके ऊपर नायब तहसीलदार और कानूनगो रखकर उसको रोज डाली चढ़ाने के लिये विवश कर दिया है। आप मेरी इन बातों पर विचार करें । दुर्भिक्ष में सहायता के नाम पर क्या किया गया है इसको आप देखें । आपने केन्द्रीय सरकार से 116 करोड़ रुपया मांगा था और केन्द्र ने आपसे कहा कि 47 करोड़ 70 लाख रुपये के अन्तर्गत अपनी परिधि मान लो । क्या हालत है, क्यों केन्द्रीय सरकार आपको सहायता नहीं पहुंचाती है । जो आंकड़े दिये गये हैं, अव्वल तो मैं उनको मानता नहीं हूं । यह जो बात कही गई है कि केवल 51 जिले बाढ़ से प्रभावित हुये हैं और केवल २ करोड़ लोगों पर ही इसका प्रभाव पड़ा है यह गलत है । लेकिन अगर इसे मान भी लिया जाय तो आपने जो अनुदान दिये हैं उनकी स्थिति क्या है। प्रति व्यक्ति किस प्रकार से आपने अनुदान बांटा है । यदि आप आंकड़े देखेंगे तो यह बात साफ हो जावेगी कि किस प्रकार से लोगों की सहायता की गई है।

(इस समय 3 बजकर 25 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

अध्यक्ष जी, मैं यह कहना चाहता हूं कि यह कहा गया कि गांवों को ऊंचा करने की योजना है। मैं यह कहना चाहता हूं कि टेस्ट वर्क के जरिये गांव ऊंचा करने का काम कितने लोगों को दिया गया है। 15 जिलों के अन्तर्गत गोरखपुर भी है । गोरखपुर में कितने लोगों को काम दिया है। आजमगढ़, बस्ती और बलिया में कितने लोगों को काम दिया है । मैं यह जानना चाहता हूं और इसलिये जानना चाहता हूं कि यह जो बाढ़ से पीड़ित लोगों की टेस्ट वर्क से सहायता हो सकती थी, वह नहीं की गई है। कारण क्या है? कारण एक है? सीधा सीधा यह है कि आपकी सरकार का दृष्टिकोण उन बाढ़ पीड़ितों के प्रति उपेक्षापूर्ण रहा है और आज भी ज्यों का त्यों बना हुआ है । उसका एक कारण रहा है। श्रीमन्, आपने देखा गांव के गांव नदी के कटाव से पूरे के पूरे साफ हो गये। आप चाहते तो नई जमीन लेकर उनको नये सिलसिले से बसाया जा सकता था और उस गांव को बसाकर वह कल्पना साकार हो सकती थी जिससे कि मालूम होता कि इस नये हिन्दुस्तान में, इस समाजवादी

[श्री कल्पनाथसिंह]

हिन्दुस्तान में एक ऐसा गांव है, जिसको नये सिरे से सरकार ने बसाया है। लेकिन नहीं। आदर्श बनाना अलग, लोगों को झोपड़ियां बनाने के लिये जमीन आज तक मुहैय्या यह सरकार नहीं कर सकी। श्रीमन्,, जब पूरे के पूरे कटाव-पीड़ितों को नहीं मुहैय्या कर सके तो दूसरे लोगों की बात जाने दीजिये, जिलके आधे गिरे हैं पूरे गिरे हैं या एक गांव में 10 फीसदी गिरे है। इस सरकार ने क्या किया। यह जो रुपया बांटा गया, वह ऐसे लोगों के पाकेट में गया, जो उसक अधिकारी नहीं थे। श्रीमन्, मैं यह कहना चाहता हूं कि इस रुपये का खुला दुरुपयोग हुआ और ऐसे लोगों के जरिये दुरुपयोग हुआ जिनका जिक्र करना मुनासिब नहीं समझता।

श्रीमन्, एक बात मैं और निवेदन कर देना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश में जो पहाड़ी इलाके है वहां पटवारी को पुलिस के अधिकार दे रखे है। यह शायद क्राप कटिंग के लिये ऐसा है। लकिन कितनी क्राप कटिंग वहां होने वाली है। इस पूरी सरकार के नुमाइन्दा हैं एस० पी० और कलेक्टर एस० पी० की नुमाइन्दा है पुलिस और कलेक्टर का नुमाइन्दगा है पटवारी। जहां कलेक्टर और एस०पी० का नुमाइन्दा एक ही व्यक्ति हो जाय, तो वहां इसका क्या हश्र होगा, यह सोचने की बात है।

श्रीमन् जो भूमि संहिता बनाने की बात की कल्पना है, उसका मैं स्वागत करता हूं? भूमि के नियम जितने आसान हो जायं, उतना ही अच्छा है। लेकिन उसी के साथ-साथ मैं यह भी निवेदन कर देना चाहता हूं कि मेहरबानी करके इन आई०ए०एस० आफिसर या अन्य अफसरों के चंगुल में फंसकर उस संहिता को न बनायें नहीं तो कहीं आदमी बनाने की शक्ल को कहीं राक्षस की शक्ल न बना दें। इस चेतावनी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं और राजस्व मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि वह प्रशासन की मशीनरी पर पूरा कब्जा ले और प्रदेश की जनता का भला करें।

सदन के आगामी कार्यक्रम में परिवर्तन करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव

वित्त मंत्री (श्री नारायणदत्त तिवारी)—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से नियम 228 के अन्तर्गत समय के बंटवारे के संबंध में आग्रह करता हूं कि जो समय का बंटवारा किया गया था, उसमें निम्न प्रकार संशोधन कर दिया जाय—

(1) दिनांक 13 से 16 अप्रैल, 1972 को विधान सभा की बैठक नहीं होगी।

(2) दिनांक 13 अप्रैल, 1972 को लिये जाने वाले स्वायत्त शासन मंत्री से संबंधित अनुदान दिनांक 12 मई, 1972 को विचारार्थ लिया जायेगा और उसी दिन 4.30 बजे अपराह्न उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1972 पारित होगा।

(3) दिनांक 14 अप्रैल, 1972 को लिये जाने वाले अनुदानों में से

(क) आबकारी मंत्री जी से संबंधित अनुदान 20-4-72 को 5.00 बजे अपराह्न से ढाई घंटे बढ़ाकर, एवं

(ख) कारागार मंत्री जी से संबंधित अनुदान 26-4-72 को 5.00 बजे अपराह्न से ढ़ाई घंटे बढ़ाकर विचारार्थ लिये जायेंगे।

मान्यवर, जो यह प्रस्ताव मैंने सदन के समक्ष रखा है इस संबंध में आपके कक्ष में विचार विमर्श हुआ था और सभी पक्ष इसके लिये सहमत हो गये हैं। आशा है वह सदन इस प्रस्ताव को स्वीकार करेगा।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अभी माननीय नारायणदत्त तिवारी जी ने जो प्रस्ताव रखा है क्या वह सदन को स्वीकार है?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

1972-73 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या 1—बृहत् जोतकर, अनुदान संख्या 2—भू-राजस्व तथा अनुदान संख्या 38—दुर्भिक्ष सहायता—(क्रमागत)

श्री रामलाल राही (जिला सीतापुर)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने जो मुझे इस अनुदान पर बोलने के लिये समय दिया इसके लिये मैं आपका बड़ा आभारी हूं। मान्यवर, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण से लेकर आज तक जो चर्चा इस सदन में हुई है उसमें 2—3 बातों पर विशेष रूप से बल दिया गया है। एक तो हरिजनों की चर्चा हुयी कि उनको भूमि नहीं मिली, उनका शोषण होता है। दूसरे भ्रटाचार की बातें बहुत कही गयीं। मान्यवर, इन सारी बातों को यहां सुन कर ऐसा लगता है कि जब बाहर निकलेंगे तो सारा शोषण और भ्रष्टाचार आदि समाप्त हो जायेगा। मान्यवर, जो लोग यहां बैठक ऐसी बातें करते हैं वे जब गांव में पहुंचते हैं तो दूसरी ही बातें करते हैं। यह कहते हैं कि सीलिंग का बिल नहीं आया, शहरी सम्पत्ति की सीमा निश्चित होनी चाहिये, उसका बिल आना चाहिये मगर जब बाहर जाते हैं तो दूसरी बातें करते हैं। बाहर जाकर कहते हैं कि अगर सीलिंग का बिल आयेगा तो बड़े-बड़े फार्म हमारे हाथ से चले जायेंगे। वे छोटे-छोटे टुकड़ों में बट जायेंगे। अगर शहरी सम्पत्ति का बिल आयेगा तो उनकी लाखों रुपये सम्पत्ति चली जायेगी। इसलिये वहां से बाहर जाकर वे ऐसा प्रयत्न करते हैं जिससे इस तरह का बिल न आ पाये। तो इस तरह की उनकी दुर्मुही नीति मेरी समझ में बिलकुल नहीं आती।

यहां पर दर्शक बन्धु उनके भाषणों को सुनकर अवश्य यह कहते होंगे कि वाकई माननीय सदस्य प्रदेश की गरीबी मिटाने के लिये बड़ा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जिस दिन से माननीय मुख्य मंत्रीजी ने और हमारे राजस्व मंत्री जी ने यह घोषणा की है कि इसी सत्र में अधिकतम जोत सीमा आरोपण विधेयक आयेगा, लोगों में खलबली मची है। जो सैकड़ों एकड़ के फार्म रखे हुये हैं वे ऐसा वातावरण बना रहे हैं कि जिससे यह बिल न आने पाये। एक तरफ वे समाजवाद की बात करते हैं मगर जब कोई समाजवादी कदम उठाने की बात की जाती है तो उसका विरोध करते हैं।

(इस समय 3 बजकर 35 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री शिवराज सिंह पुनः पीठासीन हुए।)

यह बात केवल सरकारी पक्ष के ही लोगों की नहीं है। विरोधी पक्ष के लोग जिनके पास सैकड़ों बीघे भूमि है वह इसका विरोध कर रहे हैं। मैं समाजवादी विचाराधारा के लोगों से अपील करूंगा कि जो ऐसा वातावरण बनाया जा रहा है उसका खुल कर विरोध करें। अगर वह चाहते हैं कि देश में समाजवादी व्यवस्था लागू हो, अगर वह चाहते हैं कि जमीन की सीलिंग हो, अधिकतम जोत सीमा का बिल आये, अगर वह चाहते हैं कि शहरी सम्पत्ति का बिल आये तो उन्हें चाहिये कि ऐसा वातावरण बनायें। यह लोग जो यथास्थिति को बनाये रखना चाहते हैं जो समाज का शोषण करते हैं और समाजवाद की बड़ी बड़ी-बातें करते हैं इनका विरोध किया जा सके।

विरोध पक्ष के लोग कह रहे हैं कि गांव समाज की जमीनों का ठीक पट्टा नहीं हुआ है। हम भी इस बात को कह रहे हैं कि गांवों में जिस तरह से जमीन बटनी चाहिये नहीं बंटी है। शासन की तरफ से एक किताब मिली है। उसमें कुछ आंकड़े दिये गये हैं। उन आंकड़े को तो सरकारी अधिकारियों ने बनाया होगा। जमीन के वितरण की व्यवस्था तो सरकार

[श्री रामलाल राही]

ने कर दी इसका बरतना सरकारी कर्मचारियों के हाथ में है चाहे वह तहसीलदार हों नायब तहसीलदार हों, कानूनगो हों या प्रधान हों । ये जिम्मेदार लोग हैं जो जमीन का वितरण करते हैं । मैं जानना चाहूंगा कि जो जमीन चकबन्दी या सीलिंग से निकली है लगभग 8–9 से बराबर प्रयास हो रहा है आज भी कहा जा रहा है कि जमीन बटती नहीं । जमीन क्यों नहीं बटी इसका कौन जिम्मेदार हैं ? जो बिल ले आये हैं कि जमीन आसानी से बट जाय क्या सरकारी कर्मचारी या सरकारी मशीनरी इसमें बाधा नहीं पहुंचायेगी । क्या जमीन आसानी से बट जायगी। मुझे बिश्वास नहीं होता जब तक आप कड़ाई से कदम नहीं उठायेंगे कोई सीमा नहीं निर्धारित करेंगे कि अमुक समय के अन्दर अमुक गांव अमुक परगना की जमीन बट जानी चाहिये जब तक ऐसी व्यवस्था नहीं करेंगे कि अगर जमीन गलत लोगों के हाथ में गयी तो उसका दंड दिया जायेगा तब तक इसमें सफलता नहीं मिलेगी । मुझे चार मिनट का टाइम दे दें ।

श्री अधिष्ठाता—

आप दो मिनटमें समाप्त कर दें। बहुत बोलने वाले हैं ।

श्री रामलाल राही—

एक माननीय सदस्य ने कहा कि जमीन ऐसे लोगों को दे दी गई है लड़कों के नाम पट्टा कर दिया है नौकरों के नाम पट्टा कर दिया है । यह बात सही है लेकिन पट्टा करने वाले कौन हैं ? वही पट्टा करने वाले हैं और वही पट्टा कराने वाले । यह काम जिला हरिजन कल्याण अधिकारी को सौंपें । आप हरिजन कार्य-कर्ताओं और हरिजन विधायकों की एक समिति गठित करें जो देखे कि किस तरह से जमीन का वितरण नहीं होता है । मेरे जिले सीतापुर में सकरारा, भटपुरवा और बिजवार खुर्द गांव की जमीन बड़े-बड़े लोगों को दे दी गयी है। मैंने लिख कर दिया है । जब चौधरी साहब माननीय मुख्य मंत्री थे मैंने लिख कर दिया । जब टी0एन0 सिंह थे तब भी लिख कर दिया। आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई । इन शब्दों के साथ मैं राजस्व मंत्री द्वारा प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करता हूं ।

(श्री उमाकान्त बाजपेयी का नाम पुकारे जाने पर)

श्री मैनेजर सिंह—

व्यवस्था का प्रश्न है । मैं देखता हूं कि बराबर सूची से नाम पुकारे जाते हैं और यह पद्धति प्रक्रिया नियमावली तथा संसदीय परम्परा के विरुद्ध है । मैं सन् 62 से इस सदन में हूं । मैंने कभी भी उस कुर्सी तक अपना नाम नहीं भिजवाया । ऐसी हालत में मेरे जैसे सदस्य को कैसे अवसर मिलेगा ?

श्री अधिष्ठाता—

इस आसन की मजबूरी है । एक समय में एक ही नाम पुकारा जा सकता है । मैंने बाजपेयी जी का नाम पुकार लिया है ।

*श्री उमाकांत बाजपेयी (जिला फतेहपुर)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, बड़ी समाजवाद की चर्चा चली । कुछ लोग समाजवाद के नाम पर इधर से उधर चले गये और आज उनको यह महसूस हो रहा है कहीं उन्होंने गलती तो नहीं की । जिन आशाओं से वे उधर गये और विशेषकर हमारे हरिजन बन्धु यह सोच कर गये कि शायद समाजवाद आ जाय और जो पूंजी का एकत्रीकरण हो रहा है वह उनमें

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

वितरित हो जाय यह भ्रम अब उनका शायद दूर हो गया होगा । आज जो कांग्रेस दल है वह राजा महाराओं की पार्टी है और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सदन के अन्दर जितने राजा महाराजा हैं वे सब उधर ही बैठे हुये हैं और इन से अगर यह आशा की जाय कि वे भूमि सुधार करेंगे सीलिंग लायेंगे तो यह असंभव है । मेरा अनुमान है कि 80–85 विधायक उधर ऐसे होंगे जिन पर सीलिंग से प्रभाव पड़ सकता है उनके कारण सीलिंग नहीं होगी । चौधरी चरण सिंह के मुख्य मंत्रित्व काल में यह कहा गया था कि वह सीलिंग करेंगे और हमको सुनकर प्रसन्नता हुयी थी लेकिन हम यह भी समझते थे कि वह शासन कांग्रेस के साथ है जिसके साथ अधिकांश राजा महाराजा हैं इसलिये सीलिंग वह कभी नहीं कर सकेंगे । चरण सिंह का मुख्य मंत्रित्व समाप्त होने पर त्रिपाठी जी का मुख्य मंत्रित्व काल आया और राजस्व मंत्री जी जो हैं वह मेरे ही जिले के हैं मैं जानता हूं कि वे सीलिंग कभी नहीं ला सकते चाहना तो दूर रहा । केवल वोटों को इकट्ठा करने के लिये दिखावे की चीज है ताकि वोटर भुलावे में आ जाय।

गरीबी दूर करने के बजाय आज पूंजीवाद बढ़ रहा है, पूंजीपति बढ़ रहे-रहे हैं । फतेहपुर में एक जगह हरिजन जमा हुये वहां हमारे जिले के जिलाधिकारी गये थे और चूंकि मेरा क्षेत्र था इसलिए मैं भी गया था । वहां पर हरिजनों की यह मांग थी कि जो जमीनें दी गई हैं भूमि हीनों को और विशेष कर हरिजनों को वह सनद की जमीन है कृषि के योग्य वह भूमि नहीं है । यदि वहां पर वह भूमि हीन खेती करे तो क्या किसी नाले में करेगा ? मैंने उन अधिकारियों से अनुरोध किया कि अगर आप भूमिहीनों को भूमि देना चाहते हैं तो उन्हें आप कृषि योग्य भूमि दें ताकि वे उसमें खेती कर सकें ।

दूसरी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे जो हरिजन भाई जमीन पाते हैं उनमें अधिकांश वे ही लोग होते हैं जो किसी तहसीलदार या डिप्टी साहब के यहां ड्राइवर या अन्य चपरासी के पदों पर नियुक्त होते हैं उन्हीं को यह जमीन मिलती है । मैं इसके बारे में नहीं जानता हूं कि उन्होंने खेती के पेशे को छोड़कर नौकरी का पेशा शुरू कर लिया है । तो जिनको वास्तव में जमीन मिलनी चाहिये थी उनको नहीं मिली है या मिल रही है। इसके साथ ही साथ खेतिहर मजदूर भी हैं लेकिन यदि वे खेतिहर मजदूर नहीं हैं तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि जो जमीन आपने बांटी है उसमें से कितनी ही जमीन उन्होंने बेंच दी है । अधिकांश ऐसे हरिजन हैं जो खेतिहर नहीं हैं हजारों की भूमि उन्होंने बड़े आदमियों के हाथ बेची है । राजस्व विभाग का जो सबसे बड़ा मुर्गा होता है वह है लेखपाल । पटवारी को चौधरी साहब ने समाप्त कर दिया था । पहले तो 2 रुपये खसरे का लेते थे किन्तु अब 10 रुपये एक खसरे का लेते हैं कहीं-कहीं तो 50–50 और 100–100 रुपये तक लिया जाता है । इसी सदन में सन् 1970 में मैंने कहा था जिस समय की माननीय चतुर्भुज शर्मा जी मंत्री थे कि इसके लिये आप एक कानून बना दें कि प्रत्येक काश्तकार को प्रतिवर्ष उसके खाते का इन्तखाब मिलेगा चाहे आप उससे दस्तखात ले लें । किन्तु अभी तक उस विषय में कोई कार्यवाही नहीं हुयी है और अभी भी काश्तकार इस आशा पर है कि अभी भी उसे यह मिल जायेगा । खाते के इन्तखाब के लिये कहीं-कहीं पर उसे 100-50 रुपये देना पड़ता है तब उसे उसके खसरे का इन्तखाब मिलता है । अगर माननीय मंत्री जी अपने विभाग में संशोधन करना चाहते हैं तो वे इस तरह का एक प्रस्ताव लावें और तब हम सभी लोग उसका अनुमोदन करेंगे कि प्रत्येक वर्ष प्रत्येक काश्तकार को उसके खसरे का इन्तखाब अवश्य दिया जाय जिससे उसकी यह परेशानी दूर हो जाय ।

माननीय महोदय सबसे बड़ी समस्या गांवों में यह होती है कि जहां-जहां चकबन्दी हो गई वहां पर कुछ जमीन चेक रोड्स गांव के स्कूल या खेल के मैदान के लिये जमीन छोड़ी गई किन्तु यह सब जमीन बड़े-बड़े आदमियों के कब्जे में है । उसके बारे में कोई सुनवाई नहीं होती

[श्री उमाकान्त बाजपेयी]

है कि वह उन्हीं के कब्जे में रहेगी। अगर जहां-जहां चकबन्दी हुई है या नहीं हुई है वहां पर मूल भूत समस्या इस बात की है कि उसमें निकलने के लिये रास्ता, खेलने के लिये मैदान या स्कूल की जो जमीन है वह निश्चित रूप से छोड़ी जाय। मेरे फतेहपुर जिले में चकबन्दी हो गई है किन्तु बड़े दुर्भाग्य की बात है कि कहीं पर यह प्रिंसिपल की जमीन चक रोड्स नहीं छोड़े गये हैं। आज तक नहीं छोड़ा गया निकलने का रास्ता, खेत में जाने का रास्ता। अगर रास्ता नहीं है और बीच में कोई खेत पड़ता है, उसका मालिक मुझ से नाराज हो गया तो मैं अपने खेत पर नहीं पहुंच सकता। तो जो प्रिंसिपिल की जमीनें छोड़ी गयी हैं उन पर सब कब्जा हट जाय और अगर नहीं छोड़ी गयी हैं तो छोड़ी जायं। एक और बड़ी प्रमुख बात है कि आप सीलिंग लाने की बात कर रहे हैं बड़ी अच्छी बात है। लेकिन उसमें देहाती और शहरी नागरिक के बीच में इतना बड़ा अन्तर न लायें कि शहरी की 5 लाख की कर दें और देहाती की 15–20 हजार की कर दें। इसके माने यह हैं कि देहात में रहने वाले नागरिक दूसरे दर्जे के नागरिक हैं। यह तो सामाजिक अन्याय हो जायगा। देहातों से उन्हें 10 गुना बढ़ा देना उचित नहीं होगा। सीमा का निर्धारण अव्वल तो बराबर होना चाहिए। हो सकता है कुछ खर्चे ऐसे मान लें जिससे 19–20 का अन्तर कर दें, लेकिन 5 हजार और 5 लाख की सीमा देना यह सामाजिक अन्याय है।

बहुत से ऐसे गांव हैं, नदियों के बहाव से दूसरे प्रदेशों से उत्तर प्रदेश में आ गये लेकिन यह अभी तक तय नहीं हुआ कि किस प्रदेश में हैं। बुलन्दशहर सहारनपुर की तरफ ऐसे गांव हैं लेकिन आज तक तय नहीं हो सका वह हरियाणा में हैं या पंजाब में, बीच में पड़े हुए हैं।

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त।

श्री उमाकान्त बाजपेयी—

2 मिनट का समय मांगता हूं किसी विषय पर नहीं बोल पाया।

श्री अधिष्ठाता—

बहुत से लोग बोलने को हैं। ठीक है, दो मिनट बोल लें।

श्री उमाकान्त बाजपेयी—

कुछ जिले फतेहपुर जिले में बिन्दकी तहसील में हैं जहां से मंत्री जी विधायक हैं, जो झगड़े में पड़े हैं कि रायबरेली के हैं या फतेहपुर के। तो इस सम्बन्ध में निश्चित तय होना चाहिए। पूर्व वक्ता महोदय रामधारी जी ने कहा कि सीलिंग के साथ आप प्रदेश का बन्दोबस्त करा दें कि कौन जमीन किसके पास है। मैं भी सहमत हूं और परिवार की परिभाषा पर भी अच्छी तरह से विचार कर लिया जाय। हर जगह तरह-तरह खातों के बटवारे हो रहे हैं, फ्रेग मेंटेशन और बैनामे हो रहे हैं। जो 40 एकड़ जमीन थी वह 10 एकड़ पर आ गयी है। अगर रोक नहीं लगायेंगे और सीलिंग की बात करते रहेंगे पर करेंगे नहीं तो फायदा क्या होगा? जमीन बंट कर के टुकड़ों में हो जाय गी। इसलिए इस प्रकार के कामों के बारे में राज्यपाल महोदय से एक अध्यादेश करा दें कि बटवारे समाप्त हो जायं। इन बातों के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय मैनेजर सिंह माननीय सदस्य 10 मिनट में समाप्त कर दें काफी लोग बोलना चाहते हैं।

श्री मैनेजर सिंह---

बहुत रोना रोना है। 10 मिनट में कैसे काम चलेगा ?

अधिष्ठाता महोदय, मैं कटौती के प्रस्ताव का हृदय से समर्थन करता हूं। श्रीमन्, मेरा ऐसा विचार है कि यह हमारे राजस्व प्रशासन का एक अनावश्यक विभाग है यह एक अनावश्यक बोझ है। श्रीमन्, प्राक्कलन समिति की अध्यक्षा ने सदन में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते समय कहा कि राजस्व परिषद् को समाप्त कर देना चाहिये। यह एक लंगड़ा हाथी है और हमारे बजट के ऊपर एक बड़ा बोझ बना हुआ है। इसके सदर श्री जनार्दन दत्त शुक्ला जी महा ढोंगी हैं और एक इधर बड़ी कम्पनी यों खुल गई है उसका भी अध्यक्ष बने हैं कुछ दिन स्टेट ट्रांसपोर्ट एथे रीटी के अधिकारी के रूप में बसों के परमिट भी देते थे जिसमें लाखों का वारा न्यारा हुआ। ऐसे गलत आदमी को आपने एक राजस्व के सर्वोपरि तंत्र पर बिठा दिया है तो वह नष्ट नहीं हो जायेगा, निकम्मा नहीं हो जायेगा तो क्या होगा ? यह व्यर्थ का राजस्व परिषद् है।

श्रीमन्, सचिव महोदय, राजस्व परिषद् ने एक निर्देश पुस्तिका छाप कर वितरित की है। उसमें सारे निर्देश हैं कि एक तहसीलदार और नायब तहसीलदार को कैसे काम करना चाहिये। इसमें बड़ी अच्छी अच्छी बातें हैं। अगर इसका दस परसेंट भी पालन किया जाय तो जनता की जिन शिकायतों की यहां चर्चा की जाती है वह सुनने को न मिलें। लेकिन जैसा कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं। उसी तरह से इस विभाग के नियम देखने के लिये कुछ और हैं और व्यवहार उल्टा है। भाई कल्पनाथ जी ने कहा कि हमारे और मंत्री जी के इरादे में कोई अन्तर नहीं है और माननीय मंत्री जी ने उसे मौन स्वीकार किया। सत्ता कांग्रे स के साथी पुरानी कांग्रेस से यह कह कर अलग हुए कि इरादे का अन्तर है। उन्हों ने कहा कि हमारे और उनके इरादे में कोई अन्तर नहीं है। इसको मंत्री जी ने भी स्वीकार किया है और मैं भी स्वीकार करता हूं और कहना चाहता हूं कि केवल कुर्सी का अन्तर है। इसलिये चाहे वंशीधर जी बैठें चाहे शर्मा जी बैठें काम एक ही होगा। उसमें कोई रद्दोबदल नहीं होगा। जो कार्य विवरण है उसमें सारी अच्छी बातों की ही चर्चा है। यह सब ढोंग है उसके अनुसार कोई कार्य नहीं हुआ है और न होगा। इसमें गरीब किसानों का पैसा जाया किया गया है।

हमारे जिले में धूर धारा के कारण बिहार और उत्तर प्रदेश में सीमा का झगड़ा था स्थायी सीमा के कारण कुछ हमारे जिले के गांव बिहार में चले गये और कुछ गांव बिहार से यहां वापस लौटे। एक मोटी सी बात है जिसे हम कहते कहते थक गये कि जो गांव जिस नाम से मिलें है उसी नाम के मौजे उन कागजात में स्वीकार है। लेकिन न मंत्री जी के समझ में गया और न सचिव के समझ में गया। लेकिन मुझे खुशी है कि एक व्यक्ति जिसको मंत्री जी ने राजस्व सचिव पद पर बिठाया था उससे हमें मुक्ति दिला दी है। जिन दो नामों की चर्चा सचिव पद हेतु मैंने की थी उनमें से ही एक को सचिव पद पर बिठा दिया। इसके लिये मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं। गांव नौरंगा मुआलछपरा चक्की नौरंगा झगड़े में थे। चक नौरंगा बिहार में चला गया और बिहार से कागज बेईमानी से दूसरे नाम से आया। गवर्नमेंट को उस नाम से कागज लेना चाहिये जिस नाम का गांव आया। एक मोटी सी बात न आप सुनते हैं और न आप के अधिकारी सुनते हैं। यह कर्तव्य हीनता और बुद्धि के दिवालिया-पन का नमूना नहीं हो सकता है तो और क्या होगा। ऐसा गलत कार्य आप क्यों करते हैं ? इसलिये करते हैं कि बिहार के बड़े-बड़े लोग जो उन गांवों पर नाजायत कब्जा किये हुए हैं वे आकर हजारों रुपया रिश्वत का दे जाते हैं और भूमि के गलत कागजात की नकल लेकर बलिया के गरीब लोगों को न्यायालय में परेशान करते हैं। मैंने कई बार राजस्व विभाग के आफीसरों से कहा कि आप लोग बलिया चलिये वहां के लोगों की मौके पर चल कर दुख दर्द की बातें सुनिये। लेकिन किसी को फुरसत ही नहीं है और गलत बयानी करते हैं कि अगले माह चलेंगे

[श्री मैनेजर सिंह]

अगले माह चलेंगे। मैंने माननीय मंत्री जी से भी कहा कि आप स्वयं चल कर उन गांवों को देखिये उनकी जिन्दगी और मौत का सवाल है लेकिन न आप गये और न आपके अधिकारी ही गये और न आपको उनकी चिन्ता ही है।

मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं कि गत बाढ़ की भीषण आपत्ति में बाढ़ पीड़ितों को धन भी दिया है और मदद भी की है। अहेतुक सहायता 25 रुपया से 100 रुपया कर दी गयी और मकान के लिये 200 से 300 कर दी गयी। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि शासन के इस उदार आदेश का कहां तक पालन हुआ है। 200 रुपया कितने लोगों को दिया गया? या तो कुछ लोगों ने मिल कर उसको ले लिया है अथवा आफीसरों ने ही फर्जी नाम में लेकर अपनी जेबों में रखा है। किसी को भी 50 रुपया से अधिक नहीं दिया गया है। इससे बढ़ कर आपकी कथनी और करनी में अन्तर की और कोई बात नहीं हो सकती। रुपये के बटवारे में बड़ी भारी धांधली बलिया में हुई है। उसकी शिकायत भी की गयी। यह भी कहा गया कि 1–2 गांवों में नमूने के रूप में आप जांच करा लीजिये। मैं साबित कर सकता हूं कि बहुत से मकान वालों ने अधिकारियों से मिल कर रुपया ले लिया है और 50 रुपया भी गरीबों को मिला नहीं है। इस प्रकार की भयंकर शिकायतें मंत्री जी से की गयीं लेकिन उनके कान पर जूं तक नहीं रेंगी। विधायकों की शिकायत पर ध्यान नहीं दिया यहां से एक पत्र भेजा गया। आपके यहां कोई आफिसर हैं श्री सत्यप्रकाश उन्होंने जिलाधिकारियों को आदेश भेजा कि राहत कार्यों से संबंधित सभी अधिकारी गण जो भी सहायता बाढ़ पीड़ितों को बांटें उसकी सूची उक्त क्षेत्र के विधायक को पूर्ण विवरण के साथ भिजवा दें। वह शासनादेश तो चला गया लेकिन क्या किसी अधिकारी ने किसी विधायक को ऐसी सूचना भेजी? अगर नहीं भेजा गया तो आज्ञा न मानने वाले अधिकारी के विरुद्ध आपने क्या कार्यवाही की? आप मुझे 5 मिनट और दे दीजिये। अभी तो 10 मिनट भी नहीं हुए।

श्री अधिष्ठाता—

10 मिनट हो गये। आप 2 मिनट और बोल लीजिये। अभी काफी लोगों को और बोलना है।

श्री मैनेजर सिंह—

आप मुझे 5 मिनट और दे दीजिये। लेखपाल संघ ने एक प्रस्ताव पास किया कि लेखपालों से तरह-तरह के गलत कार्य कराये जाते हैं तो राजस्व मंत्री ने उत्तर दिया कि उनसे कोई गलत कार्य नहीं कराये जाते। मैं पूछना चाहता हूं कि इसकी आपने किसी अधिकारी से जांच करायी? 18–2–70 को लेखपाल संघ ने प्रस्ताव पास किया कि शिविर में जितने लोग नसबन्दी कराये हैं उन सभी लोगों को मकान मरम्मत हेतु अहेतुक सहायता का रुपया लेखपालों से जरबस्ती यह तस्दीक करा कर तथा क्षति ग्रस्त मकानों की सूची में नसबन्दी वाले लोगों का नाम कटवा कर अनुदान का रुपया दिया गया जब कि सही रूप से उनका मकान नहीं गिरा है। लेकिन इसका आपने गलत उत्तर दे दिया कि ऐसा नहीं हुआ है। उन्होंने दूसरा प्रस्ताव पास किया कि नसबन्दी के कार्य कम करने के लिये सामूहिक जुर्माने का प्रत्येक से अवैध रूप से 10–10 रुपया वेतन से काट लिया गया है।

इसके अलावा हमारे जिले के विधायक सर्वश्री निर्भय नारायण सिंह, जगरनाथ चौधरी, गौरीशंकर राय, जगरनाथ सिंह शास्त्री, शम्भूनाथ चौधरी, वब्बन सिंह, रामरतन प्रसाद और मैंने एक दरख्वास्त माननीय मुख्य मंत्री जी को देकर शिकायत किया था कि जिलाधिकारी की देखरेख में सहायता कार्य में भारी गड़बड़ी की गयी है। यह प्रार्थना-पत्र माननीय मुख्य मंत्री को दिया गया। किन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई। इस तरह से उस सहायता के रुपए के बटवारे में अधिकारियों ने तमाम गोलमाल किया। इस तरह से हर जगह भ्रष्टाचार व्याप्त है और पार्टीबाजी का बोलबाला है। मुख्य मंत्री जी ने कहा कि हम ने राजस्व मंत्री जी को दे दिया है

वे करेंगे। नीचे उनके अधिकारी कुछ करते नहीं तो फिर क्या किया जाय। एक और नमूना मैं आपके सामने रख दूं। एक पत्र श्री धूप नारायण दुबे ने संसद सदस्य बलिया को लिखा। उसमें लिखा है कि "निवेदन है कि एक गरीब ब्राह्मण अपने गुजर बसर की एक झोपड़ी दिवार ढाला के बगल में लगाये थे उस को लेकर आप के एलेक्शन के समय आफिस बना लिया गया और कहा गया कि एलेक्शन के बाद इसका जो वाजिब रकम होगा दे दिया जायगा लेकिन वह रकम आज तक हमें नहीं मिली। इसलिये प्रार्थना है कि जाड़े में परेशानी के कारण विवश होकर आप से कहना पड़ा है कि हमारे झोपड़ी को बनवा दिया जाय या उसकी जो वाजिब रकम हो उस को देने की कृपा किया जाय। जो झोपड़ी 350रु० की लागत से बनी थी।" इस पर जिलाधिकारी का आदेश तहसीलदार को हुआ कि तहसीलदार नियमानुसार कार्यवाही करें और तहसीलदार ने नायब तहसीलदार को लिखा कि इनको "गृह अनुदान अहेतुक सहायता दिया जाय।" लेकिन कुछ नहीं हुआ। मैंने चीफ सेक्रेटरी को लिखा लेकिन वह भी ऐसे हैं कि उनके न आंख है न कान, वह तो पत्र की प्राप्ति भी स्वीकार नहीं करते। किसी को भी लिखो लेकिन हर मामला पार्टीबाजी में खत्म हो जाता है।

श्री अधिष्ठाता—

आप का समय समाप्त हो गया आप आसन ग्रहण करें। श्री बच्चा पाठक अब बोलें।

श्री मैनेजर सिंह—

केवल एक मिनट। कई शिकायती प्रार्थना-पत्र आये, मैंने भी मुख्य सचिव को लिखा, कलेक्टर को लिखा, तहसीलदार को लिखा लेकिन कोई असर किसी पर कुछ नहीं होता। श्री चन्द्रिका प्रसाद जी आप के ही दलके संसद सदस्य हैं उन्होंने संसद में कहा कि है कि बाढ़ का अनुदान गरीबों तक नहीं पहुंचा और अधिकारी सब रुपया खा गये। इसके जिम्मेदार अफसरों के खिलाफ जांच होना चाहिये और आपकी पार्टी के श्री चन्द्र शेखर जी एम० पी० ने भी लिखा कि बलिया के सारे अधिकारी भ्रष्ट और बेईमान हैं लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गई। राजस्व मंत्री जी ने हम से कहा था कि जांच आप के साथ जिलाधिकारी करेंगे किन्तु जिलाधिकारी ने दो बार कार्यक्रम बनाया मुझे सूचना दी और अन्त में टाल दिया और आज तक माननीय राजस्व मंत्री के निर्देशों के अनुसार हमारे क्षेत्र के पूर्वी गांवों में मौके की जांच नहीं हुई और अब उपसचिव सत्यप्रकाश ने लिखा है कि मंत्री जी बात करना चाहते हैं। लेकिन सत्यप्रकाश जी बीच में आ गये। निकम्मे अधिकारी कुछ नहीं करेंगे और मैं कहूंगा कि आप यह सारा गरीबों की हमदर्दी का ढोंग छोड़कर उनको वास्तव में भूमि दीजिये जिससे उनको राहत पहुंचे और आप इन [***] अफसरों पर काबू कीजिये और पूंजीपतियों का साथ छोड़िये।

*श्री बच्चा पाठक (जिला बलिया)—

अधिष्ठाता महोदय, माननीय राजस्व मंत्री जी ने जो अनुदान पेश किये हैं उनका मैं हृदय से समर्थन करता हूं। मेरे समर्थन करने के कुछ कारण हैं, यह जो हमारी सरकार है वह एक ऐसा काम करने जा रही है जो कि हमारे राजस्व मंत्री जी के भाषण से मालूम हुआ। हमारी सरकार शहरी सम्पत्ति की सीमा और भूमि की सीलिंग के बिल इसी सत्र में लाने जा रही है जिससे हमारे प्रदेश की जनता का बहुत बड़ा लाभ होगा। इसके द्वारा जो जमीन निकलेगी वह गरीब हरिजन और भूमिहीन लोगों को मिलेगी। साथ ही हम ने इस बजट में यह भी देखा कि अभी हमारे देश की जो लड़ाई हुई उस अवसर पर जो देश के शहीद सैनिक वीरगति को प्राप्त हुये उनके परिवार और बच्चों के लिये काफी मात्रा में सहायता देने का श्रेय आपने लिया है। हमारे

नोट—यह अंश [***] श्री अधिष्ठाता की आज्ञानुसार निकाल दिया गया।

*वक्ता न भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री बच्चा पाठक]

प्रदेश में सन् 67 में भी बाढ़ आई थी जब यहां संविद सरकार थी और इस साल भी यहां इस सरकार के जमाने में बाढ़ आई लेकिन मैं पूरी आस्था के साथ कहना चाहता हूं कि उस समय जो अनुदान उस सरकार के द्वारा बाढ़ पीड़ितों को बांटा गया था उस के अनुपात में इस सरकार ने कहीं ज्यादा सहायता बाढ़ पीड़ितों को इस साल दी है और इस आधार पर हम कह सकते हैं कि यह समाजवाद की ओर बढ़ने का चिन्ह है। इस बात को जो हमारे विरोधी पक्ष के साथी हैं, देखेंगे हमारी सरकार ने इन बाढों के समय में जनता की जो कठिनाई थी, उनको दूर करने के लिए काफी प्रयत्न किया। इन सब कारणों से जो अनुदान सदन में पेश किया गया है, मैं उसका स्वागत एवं समर्थन करता हूं। कुछ ऐसी बातें जरूर हैं जिनकी ओर माननीय राजस्व मंत्री जी ने अपने भाषण में भी जिक्र किया है लेकिन उनकी ओर विशेष रूप से उनको ध्यान देने की आवश्यकता है।

हमारे प्रदेश के अन्दर जो टाउन एरियाज हैं, जो नगर पालिकाएं हैं और नोटिफाइड एरिया हैं, दुःख की बात है कि कृषि योग्य जो भूमि है, यद्यपि जमींदारी समाप्त कर दी गयी है लेकिन जो आबादी में रहने वाले जमींदार हैं उनकी जमींदारी समाप्त नहीं की गयी है। टाउन एरिया में रहने वाले जमींदार वहां के कृषकों का शोषण करते हैं। माननीय मंत्री जी ने कहा है कि वे इस पर सोच रहे हैं। मैं प्रार्थना करूंगा कि अगले सत्र में नगरपालिका आदि एरियाज में जो जमींदारी है, उसको भी समाप्त करने का विधेयक सदन में लायें। मेरे क्षेत्र में 3 ऐसे स्थान हैं जैसे रवादी, सहतवार और बांसी जहां पर जमींदारी समाप्त नहीं हुई है। मुझे आशा है कि जब हम अगले सत्र में यहां पर आयें तो इन टाउन एरियाज आदि की जमींदारी समाप्त करने के लिए विधेयक ले आयें ताकि जो गरीब किसानों से बेगार वगैरह ली जाती है वह समाप्त हो सके।

प्रदेश के अन्दर जो गांव समाज की भूमि गरीबों को देनी थी वह उनको नहीं मिली है। आज भी बड़े-बड़े लोग उन पर हावी हैं। सरकार इस ओर ध्यान दे और जो बड़े-बड़े लोग हैं उन को उन पट्टों से बेदखल करा कर गरीबों को वह भूमि दी जाय और जो विषमता पैदा हो गयी है उसको समाप्त किया जाय। माननीय राजस्व मंत्री जी के भाषण से मालूम हुआ कि इस बाढ़ के समय में हमारे जनपद में ऐसा क्षेत्र है जो बांध और नदी के बीच में आता है, उनके ऊपर लाखों रुपया खर्च किया गया है, लोगों को एक ओर से दूसरी ओर ले जाने में। अगर उस स्थान पर गांवों को ऊंचा करने के लिए, केवल कागज पर नहीं, कोई प्रबन्ध कर दिया जाय और इन गांवों को मिलाने वाली सड़कों को ऊंचा कर दिया जाय तो जो लाखों रुपया सरकार का खर्च होता है, उसको बचाया जा सकता है और जब बाढ़ आये तो लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है।

दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि हमारे राजस्व मंत्री जी पुनर्वास मंत्री भी हैं। हमारे क्षेत्र में महाराजपुर, कमालपुर आदि गांव जो घाघरा नदी के कटान में हैं, वहां के निवासियों को बसाने के लिए प्रबन्ध नहीं किया गया है। मैं, आपके माध्यम से, राजस्व मंत्री जी से यह कहूंगा कि उन गांवों के रहने वालों को जो नदी के कटान के कारण गृहविहीन हो गये हैं, उनको बसाने का प्रयत्न करें। अभी अभी यहां पर अनुदानों के बारे में बात आयी जो घर आदि के लिए दिए गये हैं, यह बात सच है कि 200 से 300 रुपये का देहातों में अनुदान केवल कागजों में ही रहा लेकिन वास्तव में उन्हें नहीं दिया गया। मैं चाहता हूं कि सरकार इस ओर ध्यान दे और जब इस प्रकार की विपदा आये तो सख्ती के साथ जो अधीनस्थ अधिकारी हैं, उनको आदेश दें कि सरकारी आदेशों का पालन किया जाय।

साथ ही साथ मैं देखता हूं कि बाढ़ के अवसर पर इस प्रकार के जो भ्रष्टाचार होते हैं उसका कारण क्या है। मामला यहां है कि जो अधिकारी होते हैं व अपने मनमाने ढंग से चीजों की खरीद करते हैं और जनता के अन्दर वितरण करते हैं और इसमें इस बात की जरूरत

है कि जिस प्रकार के गल्ले और वस्त्रों की कीमत निर्धारित की जाती है उसी प्रकार से बाजारों से खरीदा जाय और जनता के जो प्रतिनिधि हैं उनसे सहायता इसमें ली जाय और उनकी बैठकें बुलाई जाय और इसके आधार पर ही वितरण किया जाय। इसका नतीजा होगा कि जो धांधली की जाती है वह दूर हो जायगी। दूसरी बात यह है कि हम देखते हैं कि प्रदेश के अन्दर मार्च से लेकर जून तक गांव के गांवों में आग लग जाती है और सब कुछ नष्ट हो जाता है। मैं माननीय राजस्व मंत्री से कहना चाहता हूं कि विभाग में जो सबसे बड़ा हाकिम है लेखपाल और जिसके लिखने पर ही सारी कार्यवाही होती है। आज किसी किसान और गरीब की अगर झोंपड़ी जल गई और उसको फिर महीनों के बाद ही अनुदान दिया जाता है। इस प्रकार यह विषमता नहीं होनी चाहिये। इसके लिये यह होना चाहिये कि अगर किसी का मकान जल जाता है और उसके लिये सरकार की ओर से सहायता में जो अनुदान दिया जाता है उसके लिये आप अपने अधीनस्थ अधिकारियों को आदेश दें कि उसका जिस स्थान पर मकान जला उसकी सहायता करें। इसी से आपका समाजवाद का नारा बुलन्द होगा और जनता की आप में आस्था होगी। इन शब्दों के साथ मैं राजस्व मंत्री ने जो अनुदानपेश किया है उसका समर्थन करता हूं।

*श्री भानुप्रताप सिंह (जिला बस्ती)—

अधिष्ठाता महोदय, मै उस कटौती के प्रस्ताव का जो माननीय शास्त्री जी ने उपस्थित किया, समर्थन करने के लिये इसलिये खड़ा हुआ हूं मैं अपने कुछ विचार राजस्व मंत्री तथा इस सदन के समक्ष रखना चाहता हूं। श्रीमन, मैं माननीय महीलाल जी के भाषण के उस अंश से पूर्णतया सहमत हूं जहां उन्होंने यह कहा कि जब तक राजस्व विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार को कम नहीं किया जायेगा तब तक चाहे जितने भूमि सुधार के कानून बनें, चाहे जितने नियम बनें, चाहे जितने आदेश लखनऊ सचिवालय से जिले में जायं गरीबों को राहत नहीं मिल सकती। श्रीमन्, समाजवाद की किश्ती भ्रष्टाचार की चट्टान से टकराकर टूट रही है और जब तक यह स्थिति है तब तक गरीबों को राहत नहीं हो सकती। मैंने अभी कुछ दिन पूर्व एक पुस्तक पढ़ी थी और मैं चाहूंगा कि हमारे राजस्व मंत्री जी भी उसको सचिवालय की लाइब्रेरी से मंगाकर पढ़ें। उस पुस्तक का नाम है "दि साफ्ट स्टेट" मुझे यह शीर्षक बड़ा आकर्षक लगा। इसका अर्थ हुआ "मुलायम राज्य"।

मैंने पूरी पुस्तक पढ़ी। यह एक विदेशी ने लिखी है भारत के विषय में और उसने सारी पुस्तक में दिखाया है शासन शिथिल है, राजनैतिक दलों की अनुशासनहीनता है, आज की अनुशासनहीनता को नहीं दिखाया है। उन्होंने बताया है कि भारत में प्रगति की न कोई सुविधा है और वह यह कि न कोई कायदा कानून है। पालन होता है न ही सामाजिक नियमों का पालन होता है और हर प्रकार से शिथिलता है। अगर भारत को साफ्ट स्टेट कहा जा सकता है, और मैं ठीक समझता हूं उसने जो कुछ लिखा है तो मैं कहूंगा कि "रेवेन्यू डिपार्टमेंट इज दि साफ्टेस्ट डिपार्टमेंट इन दि स्टेट"। इससे मुलायम कोई महकमा है। उन्होंने इस महकमे में कोई ऐसे कर्मचारी को दण्ड दिया जिसने काम ठीक न किया हो। मैं राजस्व मन्त्री जी से पूछना चाहूंगा कि एक साल से वे राजस्व मन्त्री हैं क्या किसी लेखपाल की इस जुर्म में बरखास्तगी की है कि उसने इन्दराज गलत किये थे। क्या किसी लेखपाल, या कानून-गो या तहसीलदार को ऐसी कोई सजा हुई है कि उसने जोत बहियों को नहीं बटवाया? माननीय राजस्व मन्त्री जी कहते हैं कि वे भ्रष्टाचार को दूर करना चाहते है, चैलेंज देते हैं इधर के बैठने वालों को मैं उनके समक्ष एक उदाहरण प्रस्तुत करता हूं और पूछना चाहता हूं कि क्या उनको इस बात की जानकारी नहीं है कि आज

---

*वक्ता न भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री भानु प्रतापसिंह]
उत्तर प्रदेश में 99 प्रतिशत जो दाखिल खारिज के मुकदमे होते हैं वह बिला घूस लिये उन पर फैसला नहीं होता और अमल दरामद नहीं होता। मैं आशा करता हूं कि जब राजस्व मन्त्री जी उत्तर देंगे तो स्पष्ट रूप से इसका जवाब देंगे। मान्यवर, उनकी जानकारी में अगर यह बात है तो उन्होंने इस भ्रष्टाचार को दूर करने के लिये क्या किया है और कौन कौन से कदम उठाये हैं ?

श्रीमन, मैं प्राय: निजी बात की चर्चा नहीं करता, लेकिन मैं आज करना चाहता हूं। इसलिये नहीं कि मुझे किसी राहत की जरूरत है, बल्कि इसलिये कि मैं इसको पूरी जानकारी के साथ कह सकता हूं। आज जो कानून लागू है उसके अन्तर्गत भूमि की सब लेटिंग नहीं हो सकती और राजस्व मन्त्री जी को इसकी जानकारी होगी। मैं एक उदाहरण उनके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। पुरानी चकबन्दी मेरे गांव की सन् 44,45 या 46, मुझे ठीक से याद नहीं, करीब 32 वर्ष पूर्व हुई थी। उस समय मेरा चक 200 एकड़ का बना था। उसी समय मैंने यह महसूस कर लिया था कि 200 एकड़ की व्यवस्था मैं नहीं कर सकता और मेरे पास साधन नहीं है। अत: मैंने बिना एक पैसा किसी किसान से लिये हुये 100 एकड़ उस गांव में छोटे किसानों को भूमिहीनों को मुफ्त दे दी। उसकी कहानी सुन लीजिये। मैंने उन लोगों से कहा कि इसकी रजिस्ट्री करा लो, मैं चलकर दस्तखत कर दूंगा। उन लोगों के पास रजिस्ट्री कराने के लिये एक पैसा देने के लिये नहीं था। जिन लोगों के पास रजिस्ट्री का पैसा देने के लिये था, उन्होंने रजिस्ट्री कराई और जब अमलदरामद में गया तो उनको 40 बार जिले के हेडक्वाटर्स पर दौड़ना पड़ा इस अमल दरामद के लिये। केवल इसलिये दौड़ना पड़ा कि मैंने उन्हें मना कर दिया था कि जब मैंने एक पैसा नहीं लिया तो राजस्व विभाग के किसी कर्मचारी को पैसा मत देना। अन्त में वे आये मेरे पास और मुझे प्रतिबन्ध हटाने के लिये कहा। मैंने उनको कहा कि यह प्रतिबन्ध नहीं हटेगा, मैं दूसरा प्रयास करता हूं। तो मैंने एक समाचार पत्र में सम्पादक के नाम पत्र उन्हीं किसानों की ओर से प्रकाशित कराया। सौभाग्य से उस समय मन्त्री जी के सामने किसी प्रकार वह कटिंग के रूप में पहुंची और उन्होंने जिला मजिस्ट्रेट से पूछा कि क्या मामला है और तब जाकर उन पर अमलदरामद हुआ।

श्रीमन्, यह तो रही उन किसानों की बात जिनके पास कुछ पूंजी थी। बहुत से ऐसे निर्धन थे, जिनके पास रजिस्ट्री कराने के लिये पैसे नहीं थे और अपने नाम इन्दराज नहीं करा सके। इस बीच में मैंने उनसे फिर कहा कि वे अपने नाम इन्दराज करा लें। उन्होंने कहा कि पैसा नहीं है। इतना महंगा हो गया आज ट्रांसफर। तो मैंने कहा कि इस्तमुरारी का मुकदमा कर दो। उन्होंने दावा कर दिया। पहली ही पेशी में स्वीकार कर लिया कि 25 वर्ष से इनका अधिकार है। मुझे आश्चर्य है कि जिस हाकिम के यहां यह मुकदमा था उसने मुकदमा यह कहते हुये खारिज कर दिया कि मेरी समझ में नहीं आता कि कोई अपनी जमीन इस तरह से दे सकता है। यह जरूर स्टाम्प ड्यूटी बचाने के लिये इस तरह की कार्यवाही की गई। श्रीमन, अब मैं नहीं जानता वह ट्रान्सफर कैसे हो। क्या कोई लेखपाल, या तहसीलदार, हाकिम परगना, जिला मजिस्ट्रेट की हिम्मत नहीं है कि इस तरह की सब-लेटिंग को रोके और कार्यवाही करे। श्रीमन, 5 मिनट समय और दे दें।

मान्यवर, मैं सुझाव देना चाहता हूं अब। पहला सुझाव यह है कि अगर आप चाहते हैं वास्तव में भूमिहीनों को जमीन मिले तो आप प्रत्येक गांव में भूमिहीनों की एक लिस्ट तैयार रखें। जिस तरह से एलेक्टोरल रोल होता है उसी प्रकार से उसको भी मेन्टेन किया जाना चाहिये और उसकी एक प्रतिलिपि गांव सभा में और एक प्रतिलिपि हाकिम परगना के पास भी रहना चाहिये और उसी के हिसाब से वह जमीनों का बटवारा करें।

दूसरी बात यह है कि यदि आप यह समझते हैं कि भूमि वितरण से ही गरीबी दूर हो जायेगी तो यह सर्वथा असत्य सिद्ध होगा। आपने एक कमेटी नियुक्त की है यह देखने के लिये कि जो भूमि दी गई है उन पर वे भूमिहीन कब्जा कर सके अथवा नहीं। इसके लिये किसी कमेटी की आवश्यकता नहीं थी। आज खेती करने के लिये पूंजी की आवश्यकता है। एक एकड़ जमीन पर खेती करने के लिये कम से कम 1 हजार रु० की पूंजी की आवश्यकता है। इसके बिना वह खेती नहीं कर सकता है। इसी प्रकार से अगर आप 1 लाख एकड़ भूमि का बटवारा करना चाहते हैं तो आप को खेती करने के लिये 10 करोड़ रुपयों की व्यवस्था करनी होगी। बलिया में रमाल फार्मर्स इकोनामी का जो जलसा हुआ तो यह कहा गया कि जो किसान 5 एकड़ तक की खेती करते हैं उन काश्तकारों की बनिस्बत जो मजदूरी करते हैं उन काश्तकारों से कम आमदनी है।

श्री अधिष्ठाता—

अब आपका समय समाप्त हो गया।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अधिष्ठाता—

नियम 51 के अन्तर्गत 8 सूचनायें प्राप्त हुई है जिनको माननीय अध्यक्ष ने अस्वीकार कर दिया है।

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

मान्यवर मेरा प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है।

श्री अधिष्ठाता—

आप माननीय अध्यक्ष से उनके कक्ष में बात कर लें।

कुंवर चन्द्र प्रताप नारायण सिंह (जिला देवरिया)—

मान्यवर, मैं जब अल्पसूचित प्रश्न देता हूं तो वह भी अस्वीकार हो जाता है। माननीय मुख्य मन्त्री जी को भी दिया। मैंने पत्र की फोटो कापी भी संलग्न की थी न उसमें कहा गया था कि हमारी प्रधान मन्त्री एक चन्दा कोष इकट्ठा कर रही हैं और वे रूस से पैसा लेती हैं। (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

आप बैठें, मैंने आपको बोलने की आज्ञा नहीं दी है। अगर आपको इस सम्बन्ध में कुछ बात करना है तो माननीय अध्यक्ष से कर लें।

1972-73 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या 1—वृहत् जोतकर, अनुदान संख्या 2—भू-राजस्व तथा अनुदान संख्या 38—दुर्भिक्ष सहायता (क्रमागत)

श्री राजित राम पांडेय (जिला इलाहाबाद)—

मैं, माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपका आभारी हूं कि आपने इस बजट पर मुझको बोलने का अवसर दिया। मैं इस बजट का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। राजस्व विभाग का बजट पहली सरकार में श्री चतुर्भुज शर्मा जी लाये थे, उसके बाद श्री पन्त जी लाये, प्रभूनारायनजी लाये और उसके बाद शर्मा जी लाये हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि यह क्रान्तिकारी कदम उन्होंने उठाया है। बजट अच्छा है और अमल भी किया है लेकिन श्रीमन, इससे दिल को राहत नहीं मिलती है। आप बजट लाते हैं और इस सदन से पास कराकर चले

[श्री राजितराम पाण्डेय]

जाते हैं लेकिन अमल नहीं होता है। आज इधर के बैठने वाले और उधर के बैठने वाले सभी लोगों ने भ्रष्टाचार की बात कहीं है । श्रीमन, सही बात है । चक्कबन्दी का भी सवाल लाया गया। मेरे जिले में चकबन्दी हो रही है। 'यह चकबन्दी चकरबन्दी छीनत खेत हमारा' मेरे यहां तो यह गाना बन गया है । इससे किसान बड़ा परेशान है । कुछ भाइयों ने सीलिंग की बात की है वास्तविकता यह है कि इस सदन के बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास अधिक जमीन है। मही लाल जी ने सीलिंग की बात की है लेकिन 150 एकड़ उनके पास जमीन है। गिरधारी लाल जी के पास हजारों एकड़ जमीन होगी । ज्यादातर माननीय सदस्यों के पास अधिक जमीन है लेकिन यहां पर लच्छेदार बातें करते हैं। कानून की बातें करते हैं। जैसा इंदिराजी चाहती है समाजवाद लाना, अगर आप गरीबों की सहायता करना चाहते हैं, तो उसको लाइये, नहीं तो गरीबी हटने वाली नहीं है ।

मैं इस सदन में जो बुजुर्ग लोग हैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि 25, 30 साल पहले बरतानियां हुकूमत में लोगों को जमीन दी जाती थी लेकिन लोग लेते नहीं थे। आप भी जाल फरेब करना चाहते हैं कि किसान खेती न कर सके। तो मैं इस सदन से गुजारिश करूंगा कि इस तरफ के लोग हों या उधर के लोग हों, चाहे चतुर्भुज शर्मा जी हों, प्रभूनारायन जी हों या उदित नारायण शर्मा जी हो, जनता को गुमराह किया गया है । गरीबों का हक छीना गया है और उनको लूटा गया है। चकबन्दी की ही बात लीजिये। मेरे जिले में में डी० डी० सी० तक मुकदमा चलता है लेकिन फिर भी सुनवाई नहीं होती है । किसान राहत चाहता है लेकिन उसको मिलती नहीं है। किसान के पास दम नहीं है, खाने को दाना नहीं है। आज बड़े किसान हों या छोटे किसान हों उनको न्याय नहीं मिलता है। अगर उन्होंने रुपया दिया है तभी न्याय मिल सकता है। यहां चतुर्वेदी जी बैठे हैं, जब वह इलाहाबाद में कलेक्टर थे, तो नियन्त्रण था, उनके बाद से जिन्दा आदमी मुर्दा कहा जाता है। तो इतना अधिक भ्रष्टाचार है। मैं राजस्व मन्त्री जी से कहूंगा कि अगर वह इंकलाब लाना चाहते हैं और आप तो जन्मजात समाजवादी हैं, नरेन्द्र देवजी के साथी हैं, तो मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि जो आफिसर लोग हैं वह मिनिस्टर पर हावी हैं। मेरा ख्याल है कि आई०ए० एस० ने जैसा बनाकर रख दिया उस पर आपने दस्तखत कर दिये और यहां ले आये। डा० लोहिया ने समाजवाद की बात की है और इन्दिराजी ने भी की है। सारे देश को इस पर चलना पड़ेगा तभी इंक्लाब आयेगा। अगर आफिसरों का सरकार में नियन्त्रण रहेगा तो यह आने वाला नहीं है । वह तो अपनी हिफाजत चाहते हैं, उनकी कुर्सी बरकरार रहना चाहिये।

आपका बजट आया और कर्मचारियों का वेतन बढ़ा दिया गया । जिनकी ज्यादा तनख्वाह है उनको ज्यादा दिया गया और 100 रुपये वाले को 7 रुपये ही दिये गये हैं। कैसे समाजवाद आयेगा ? 100 रुपया पाने वाले कर्मचारी को केवल 7 रु० दिये। तो अमीरों को नहीं, गरीबों को आपको फायदा पहुंचाना है। मैं राजस्व मन्त्री जी से, श्रीमन, आपके माध्यम से, निवेदन करना चाहता हूं कि आज इस देश में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। आज यहां जिन्दा आदमी को मरा साबित किया जाता है। आपने सीलिंग की बात कही। लेकिन श्रीमन, मेरा निवेदन है कि सारी जमीन पहले से ही लिख उठी है। माली के नाम लिख उठी है, नौकर के नाम लिख उठी है, उनके जो नुमाइन्दे हैं, उनके जो कुत्ते हैं, उनके नाम सारी जमीन लिख उठी है। आज यहां बेईमानों की संख्या अधिक है।

श्रीमन, मैं अपने जमाने की बात बताना चाहता हूं। जब मैं पहली बार गांव सभापति के चुनाव के लिये खड़ा हुआ तो मेरे विरोध में एक कलेक्टर साहब के बाप थे, वह खड़े हुये, लेकिन गांव की जनता ने ईमानदारी का साथ दिया। उनको केवल तीन वोट मिले और मैं बहुमत से जीत गया। हमारे बंशीधर पांडे जी ने, जब वे पंचायतराज मन्त्री थे, तो कई कानून बनाये थे। लेकिन वहां गांवों में कर्मचारियों ने अनुदान ठीक से नहीं बांटा और

बदनाम कर दिया सभापतियों को। मेरी यही इस सदन से बेईमानी की शिकायत है। अगर सदन के लोग यह प्रतिज्ञा कर लें तो श्रीमन, बेईमानी दूर हो सकती है, अन्यथा यह जाने वाली नहीं है। यह बात मैं यहां स्पष्ट कर देना चाहता हूं, वह चाहे इधर के लोग हों या उधर के।

श्रीमन, बाढ़ का रुपया बटा। लोग खद्दर की टोपी देकर पहुंच गये तहसीलदार और एस०डी०ओ० के यहां। दलाली की और 25 रुपये इधर से खाये और 25 रुपये उधर से खाये। किसान को, गरीब को एक पैसा न मिला। तो अगर समाजवाद को आप लाना चाहते हैं, तो भ्रष्टाचार को मिटाना होगा और इन दलालों को खत्म करना होगा। हमारे पुराने कांग्रेस के नेता जानते हैं इस बात को गांधी जी के जमाने में जो 4 आने की मेम्बर-शिप में गड़बड़ी करता था, महात्मा गांधी जी उसको निकाल बाहर करते थे। तो जब आप इस तरह की सख्ती करेंगे, इस तरह का बलिदान करेंगे, तभी समाजवाद आ पावेगा इस देश में, अन्यथा वही जमाना आयेगा, जैसा कि बंगलादेश पूर्वी पाकिस्तान को खत्म करके बन गया और उसी तरह से यहां का भी खात्मा हो जायगा।

*श्री रामाधारी शास्त्री—

मान्यवर, मेरे कटौती के प्रस्ताव के पक्ष में और विपक्ष में बोलने वाले माननीय सदस्यों ने जो विचार व्यक्त किये, उनका मैं बहुत आभारी हूं। मैंने खासतौर से सरकारी पक्ष की बात को गौर से सुना और जहां तक मैं निष्कर्ष पर पहुंच सका हूं, जिन बातों को मैंने अपने कटौती के प्रस्ताव में रखा है, उसको उन्होंने स्वीकार किया है। वे स्वीकार करते हैं कि भ्रष्टाचार इस विभाग में चरम सीमा पर है। वे स्वीकार करते हैं कि लेखपाल से बोर्ड आफ रेवेन्यू की जो बनावट है, उसमें आधारभूत परिवर्तन की आवश्यकता है। वे स्वीकार करते हैं हरिजनों को जमीन देने में धांधली है। उन्हें यह बात स्वीकार्य है कि तमाम मुकदमों में रिश्वतखोरी चल रही है और सस्ता न्याय पाना दुर्लभ हो रहा है। माननीय मन्त्री जी को स्वयं यह बात स्वीकार्य है कि जोत कर से आमदनी जो होती है, वह कम हो रही है।

मान्यवर, इस सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जमींदारी के टूटने के बाद अब तक आपने उनको इतना मौका दिया है कि जितने बड़े-बड़े जमीन वाले थे, उन्होंने अपनी जमीन फर्जी नाम से ट्रान्सफर कर दी है, अपने कुत्ते और बिल्ली के नाम ट्रान्सफर कर दिया है, जिसकी वजह से आमदनी कम होती जा रही है। मैं व्यक्तिगत कोई बात नहीं कहना चाहता हूं। जो अदालतों में दाखिल-खारिज में गड़बड़ियां होती हैं, उस सम्बन्ध में मैं माननीय मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि नियम में यह निश्चित कर दें कि एस० डी० ओ० या तहसीलदार की अदालत में जिसकी जमीन बिके और जो खरीदे, दोनों की जोत बही में एन्ट्री हो। ऐसा होने से काफी आसानी होगी। मान्यवर, चकबन्दी के लिये बड़े कार्य किए गये लेकिन उससे फायदा नहीं हुआ। अगर उनको बन्धन न होता तो वे मेरे इस कटौती के प्रस्ताव को अवश्य स्वीकार कर लेते। इन शब्दों के साथ मैं सदन से अनुरोध करूंगा कि वह मेरे इस कटौती के प्रस्ताव को स्वीकार करे।

श्री उदित नारायण शर्मा—

अधिष्ठाता महोदय, इस माननीय सदन में मेरे पक्ष और विपक्ष के सम्मानित सदस्यों ने जो राजस्व विभाग के बारे में तथा राजस्व बजट के बारे में अपने सुझाव दिये हैं तथा आलोचना की है उसे मैंने बड़े ध्यान से सुना है। मान्यवर, इसमें सन्देह नहीं कि अभी बहुत से काम होना शेष है और हम उन्हें करने के लिये दृढ़ संकल्प हैं। लेकिन मुझे अफसोस इस

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री उदित नारायण शर्मा]

बात का है कि माननीय सदस्यों ने कहीं पर इस बात को समझने की कोशिश नहीं की कि हमने क्या किया है। माननीय भानुप्रताप सिंह जी ने कहा कि 99 परसेन्ट मुकदमें रिश्वत लेकर तय किये जाते हैं। मैंने शुरू में ही यह कहा कि ऐसी बात नहीं है कि भ्रष्टाचार बिलकुल समाप्त हो गया, मगर यह कहना कि 99 फीसदी मुकदमें रिश्वत लेकर तय होते हैं यह मैं नहीं मानता। कुछ फीसदी के लिये अगर वे कहते तो मैं मान लेता। आपके इस कथन को सुन कर ऐसा लगता है कि मानों आप केवल आलोचना के लिये ही अपनी ऐसी बात को कहना चाहते हैं और सुपरलेटिव डिग्री को इस्तेमाल करते हैं। (व्यवधान)

मान्यवर, राजस्व परिषद् की बात कही गयी। उस पर हम विचार कर रहे हैं और वह हमारे सामने विचाराधीन है। बहुत दिनों से राजस्व परिषद् के बारे में दो राय चली आ रही है। बहुत से काम ऐसे हैं जिन्हें दूसरे और अच्छे ढंग किये जा सकते हैं। लेकिन बहुत से काम ऐसे भी हैं जिनके बारे में हमें देखना पड़ेगा कि दूसरे ढंग से यदि उनको करते हैं तो वे किये जा सकते हैं अथवा नहीं। आखिर राजस्व परिषद् को आप कितने अधिक अधिकार अब तक दिये हुये हैं। उनकी कहीं तो आपको दूसरी जगह रखना होगा।

मैं, मान्यवर, यहां पर यह भी बताना चाहता हूं कि हमारा किसी कर्मचारी से वैमनस्य नहीं है। न ही कोई कार्यवाही यदि किसी के विरुद्ध की जाती है तो वह राजनीतिक कारणों से की जाती है। अगर कोई आदमी कसूर करता है तो उसको सजा दी जायेगी। अब मेरी समझ में यह नहीं आता कि आप यह कैसे साबित करेंगे कि वह राजनैतिक द्वेष के कारण दी गई है। यदि माननीय सदस्य चाहेंगे तो इस विभाग में कब और कहां किस कर्मचारी के खिलाफ क्या कार्यवाही हुई है, किसे दंडित किया गया है। गलत काम करने के लिये दंडित किया गया है, उसका योरा इस सदन के सामने कभी भी प्रस्तुत कर सकता हूं। यह ठीक है, भ्रष्टचार की बात कही जा रही है, भ्रष्टाचार तो तभी समाप्त होगा जब सब मिलकर कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि फलां जगह पर यह हुआ। मैं बड़ी नम्रतापूर्वक बताना चाहता हूं कि उन्होंने कभी आ कर यह नहीं कहा कि यह सूचना दे रहा हूं जांच करके बताइये या उन्होंने कहा तो जांच नहीं कराई या जांच करा दी तो बताया नहीं कि देखिये इस तरह से जांच हुई। इसके आगे आप कुछ कहना चाहते हैं या नहीं। केवल यहां बैठ कर तर्क, और आलोचना के लिये इसका उपयोग करना चाहते हैं तो बात दूसरी है। हम आपकी सेवा करने के लिये हमेशा तैयार हैं। मैं यहां पर सब मित्रों का सहयोग चाहता हूं।

हम जनतन्त्र के माध्यम से चलते हैं। हमारे पास ला कोर्टस हैं, जुडीशियरी है, लोगों को न्याय मांगने के अधिकार दिये गये हैं। उनके प्रयोग में देरी होती है, कहीं-कहीं खामियां भी होती हैं लेकिन हम नहीं कह सकते कि वह अदालत में नहीं जा सकेंगे। अगर हम समझते हैं कि गलत काम किया है, तो जितने कायदे कानून हैं उनको ताक में रख दें और मनमानी सजा दे दें? यह हो सकता है कि इस प्रक्रिया जो वास्तव में दोषी हैं वह बच जाते हैं लेकिन इसलिये नहीं कि हमारी उनसे कोई हमदर्दी है या हम भ्रष्टाचार को पनपाना चाहते हैं। बल्कि इसलिये कि जनतन्त्र की जो मान्यतायें हैं, जो कायदे कानून बने हुये हैं, जो प्रक्रिया दी हुई है, उसके अन्दर कभी-कभी यह होता है कि जिन लोगों को सजा मिलनी चाहिए उनको नहीं मिलती। बड़े लाभ के लिये छोटा नुकसान बरदाश्त किया जाता है। छोटे लाभ के लिए बड़ा नुकसान बरदाश्त नहीं किया जाता। मैं बड़ा मशकूर होता आपमें से हर एक का, अगर ऐसे आपने मुझे यहां पर या मेरे कमरे में, या अपने घर बुला कर यह कहा होता, यह शिकायत की गयी, इस तरह से जांच नहीं हुई। मैं आज भी यहां पर दावत देता हूं कि वह आएं, देखें, मैं उनकी सेवा करता हूं या नहीं।

श्री सजीवन लाल (जिला उन्नाव)—
मैं, श्रीमन्, एक जानकारी चाहता हूं ।

श्री अधिष्ठाता—
माननीय मंत्री बैठ नहीं रहे हैं । इसलिये माननीय सदस्य कृपया बैठ जायं ।

श्री सजीवन लाल—
अधिष्ठाता महोदय, मैं राजस्व मंत्री से मिलने इसी बिषय में गया, भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में । और बात तो दूर रही, डांटना शुरू कर दिया उन्होंने ।

श्री उदितनारायण शर्मा—
क्या कहा?

श्री सजीवन लाल—
चकबन्दी में व्यापक भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में एक सी0ओ0, ए सी0ओ0 के खिलाफ बात करने के लिये गया था । और सब बात दूर रही । आपने डांटना शुरू कर दिया, ऐसी बातें मेरे साथ नहीं होनी चाहिए ।

श्री उदितनारायण शर्मा—
मान्यवर, इससे ज्यादा असत्य और कुछ नहीं हो सकता है कि मैंने किसी को डांटना शुरू कर दिया ।

श्री सजीवन लाल—
सबूत में, जो आदमी थे, उनको पेश कर दूं ?

श्री उदितनारायण शर्मा—
श्रीमन्, मैं यह निवेदन कर रहा था ।

श्री सजीवन लाल—
मैं उनको भी पेश कर सकता हूं जो आदमी वहां पर मौजूद थे । इस तरह से "असत्य" कहते हैं, यह झूठ बात है ।

श्री अधिष्ठाता—
मंत्री जी बैठ नहीं रहे हैं ।

श्री जगन्नाथ राव (जिला जौनपुर)—
व्यवस्था का प्रश्न है । मैं जानना चाहता हूं, अभी मन्त्री जी ने कहा कि असत्य है, और माननीय सदस्यगण प्रमाण देने के लिये तैयार हैं, आप व्यवस्था दें कि क्या विधान सभा में वह कह सकते हैं कि यह 'असत्य" है ?

श्री अधिष्ठाता—
वह अपनी याददाश्त से काम ले रहे हैं, आप अपनी याददाश्त से काम ले रहे हैं । दोनों याददाश्तें अपने स्थान पर सही हो सकती हैं ।

एक सदस्य—
मैं यह व्यवस्था चाहता हूं कि क्या माननीय मन्त्री जी कह सकते हैं कि फलां सदस्य असत्य कह रहा है ?

श्री सजीवन लाल—
मन्त्री जी मेरे सम्बन्ध में कह कर गलतबयानी कर रहे हैं ।

श्री मैनेजर सिंह--

व्यवस्था का प्रश्न है । माननीय मन्त्री जी ने अपने भाषण में कहा कि माननीय सदस्य उनके कक्ष में उनसे मिलने आ सकते हैं और जब एक माननीय सदस्य उनके कक्ष में चकबन्दी के भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में कुछ कहने गये तो वह कहते हैं कि माननीय सदस्य असत्य कह रहे हैं। तो क्या माननीय मन्त्री का सदन में इस प्रकार का कथन संसदीय है ?

श्री अधिष्ठाता--

मैंने निवेदन किया कि माननीय मन्त्री तथा माननीय सदस्य दोनों अपनी याददाश्त के आधार पर बात कह रहे हैं। अच्छा होता कि यदि माननीय मन्त्री जी यह कहते कि जो माननीय सदस्य ने कहा है वह सत्य नहीं है बजाय इसके कि माननीय सदस्य असत्य कह रहे हैं।

श्री रामबिलास पांडेय (जिला आजमगढ़)--

अधिष्ठाता महोदय, माननीय राजस्व मन्त्री ने यह कहा कि भानु प्रताप सिंह ने कहा कि 99 फीसदी पट्टे बगैर पैसा दिये नहीं होते। उनका कहना है कि यह सरासर असत्य है। लेकिन राजस्व मन्त्री ने यह नहीं बताया कि कितने परसेन्ट पट्टे बगैर पैसा दिये नहीं होते । यह जानकारी मन्त्री जी को अवश्य होगी कि सेन्ट परसेंट नहीं होते तो कै परसेन्ट होते है, उस परसेंटेज को वह बतला दें । माननीय मन्त्री ने जो यह कहा कि माननीय सदस्य असत्य बोल रहे हैं तो इसमें आप व्यवस्था दें कि जो वह कहते हैं वह तो सत्य है लेकिन जो माननीय सदस्य कहते हों वह सब असत्य है ।

श्री अधिष्ठाता--

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। आप मजबूर नहीं कर सकते उनको कि वह आपके हर प्रश्न का उत्तर दें ।

श्री जगवीर सिंह (जिला बुलन्दशहर)--

आप इसमें सहायता कर दें . . .

श्री अधिष्ठाता--

आप कृपा कर बैठें। अगर माननीय मन्त्री जी नहीं बैठ रहे हैं तो कोई माननीय सदस्य खड़े नहीं हो सकते।

श्री सजीवन लाल--

मैं मन्त्री जी के विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न उठाता हूं।

श्री अधिष्ठाता--

आप लिख कर दे दें। माननीय मन्त्री यह भी बतला दें कि अब वह कितना समय और लेंगे ?

श्री उदित नारायण शर्मा--

5 मिनट लूंगा ।

श्री अधिष्ठाता--

मैं सदन का समय 15 मिनट के लिये बढ़ाता हूं।

श्री उदितनारायण शर्मा--

मैंने शम्भूनाथ जी का भाषण सुना। उन्होंने कहा कि जब तक जमीन पर से लगान नहीं हटेगा तब तक किसान को स्वामित्व नहीं मिलेगा और उन्हीं के दल के नेता का यह कहना है कि जब लगान समाप्त हो जायगा तो उसका स्वामित्व समाप्त हो जायगा। जिस समय सवा 6 एकड़ पर से लगान माफ किया जा रहा था तब उनका यह कहना था . . .

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

चौधरी चरण सिंह का कहना था कि अलाभकर जोत पर से अगर लगान समाप्त कर दिया जायगा तो उससे किसान का कोई लाभ नहीं होगा। लगान की एवज में किसान को खाद पानी तथा बिजली सस्ते दर पर उपलब्ध कराई जाय तो उसको लाभ होगा।

श्री उदितनारायण शर्मा—

यह कहा गया कि अगर आप लगान माफ कर देंगे तो उन बेचारों के साथ एक मात्र प्रमाण है जमीन के स्वामित्व का वह नष्ट हो जायगा और दूसरी तरफ यह बात कही जाती है कि अगर लगान माफ नहीं करेंगे तो उनको स्वामित्व प्राप्त नहीं हो सकता। ये दोनों बातें परस्पर विरोधी हैं। यह बात जरूर है कि एग्रीकल्चर पर इनकम टैक्स लगाने की बात कही गई। सम्भव है वह लगे तो उस समय एग्रीकल्चर पर इनकम टैक्स लगाने के क्या परिणाम होंगे, कितनी राहत होगी अथवा कितनी दुर्दशा होगी कुछ कहा नहीं जा सकता।

मैं समझता हूं कि किसानों के साथ अच्छे से अच्छे तरीका हम उनकी उन्नति के लिये कर रहे हैं। ओले पड़ते हैं सूखा पड़ता है तो किसान को छूट भी दी जाती है। सही माने में वास्तविक आदमी को राहत नहीं पहुंचाई जाती, मान्यवर, यह बात सही नहीं है।

जहां तक माननीय सदस्यों की इन्दिरा गांधी के बाबत सवाल है कि अगर लगान लगा तो जमीन इन्दिरा गांधी की होगी तो यह एक ऐसा प्रश्न है जिस पर जवाब देने की जरूरत नहीं है। ज्यादा अच्छा यही है कि उनकी इस बात का जवाब न दिया जाय। मैं बिन्दकी क्षेत्र से आता हूं और वहां के एक तहसीलदार बी० सी० माथुर का जिक्र किया गया। श्रीमन्, चाहे कोई भी हो आज तक कोई ऐसी शिकायत नहीं जिसकी कि जांच न करा ली गई हो . .

श्री रूपनाथ सिंह यादव (जिला इलाहाबाद)—

मान्यवर, अपने भाषण के दौरान माननीय मन्त्री जी बार-बार यह जोर दे रहे हैं कि भ्रष्टाचार की सभी शिकायतों पर उन्होंने ऐक्शन लिया है। मैं पूछना चाहता हूं कि उन्होंने किस-किस अधिकारी से जांच कराई। दूसरे आज तक कितने लोगों को सस्पेंड कराया और तीसरे कितने ऐसे केसेज कोर्ट में हैं . . .

श्री अधिष्ठाता—

माननीय मन्त्री जी, यदि आप स्पष्टीकरण का उत्तर देने के लिये तैयार हों तो आप उस समय बैठ जाया करें अन्यथा किसी सदस्य की बात नहीं सुनी जायेगी . . .

श्री रूपनाथ सिंह यादव—

यह सरकार का रवैया है। यह सरकार गरीबों को धोखा दे रही है। क्या यही समाजवाद आ रहा है ?

श्री उदितनारायण शर्मा—

मैं उस समय बैठा नहीं था।

(घोर व्यवधान)

श्री जगवीर सिंह—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। अभी आपने सदन में यह रूलिंग दी कि अगर मन्त्री जी को सुनना हो तो वे बैठ जाया करें और नहीं तो कोई कुछ नहीं कह सकता। इस सम्बन्ध में मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या हमारा राइट आफ इन्टरप्शन आपने खत्म कर दिया है ? वह अधिकार तो हमारा है।

श्री अधिष्ठाता--

नियम इस प्रकार है कि यदि माननीय मन्त्री बोल रहे हों और वे बैठ नहीं रहे हों तो कोई माननीय सदस्य इन्टरप्ट नहीं कर सकते ।

श्री उदितनारायण शर्मा--

मान्यवर, मैं अधिक समय न लेकर केवल 1-2 बातों की ओर आपका ध्यान दिलाऊंगा । अभी श्रीमन्, यह बात कही गई कि पहले जो सीलिंग का ऐक्ट लाया गया था उसमें लोगों ने जमीनों को दबा लिया और उससे कुछ लोग जमीन का बंटवारा करते चले जा रहे हैं। मैं सदन के सामने यह बात कहना चाहता हूं कि जो सीलिंग का ऐक्ट आपके सामने आयेगा उसमें आप देखेंगे कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं बच पायेगा जिसको यह सब चीज करने का मौका मिले। जो नियम हम उसमें बना रहे हैं जो दाखिल खारिज और दूसरे मुकदमें होते हैं उसमें हमने यह कोशिश की है कि जितने भी लूप होल्स थे और जितनी प्रतिक्रियायें थीं देर लगने की, उन सब को दूर करने की कोशिश की गई है।

श्री राजितराम पांडेय--

मान्यवर, और जो रुपया बड़े-बड़े लोगों से लिया गया है. . .

श्री उदित नारायण शर्मा--

मान्यवर, माननीय राजित राम पांडे जी ने इलाहाबाद में मुझ से कहा था कि जितना ईमानदार एस० ओ०सी० इलाहाबाद में है उतना और कहीं नहीं है। अब श्रीमन्, कुछ अच्छाइयां भी हैं और कुछ बुराइयां भी हैं। और इनमें से किसी एक चीज को लेकर हम ढिंढोरा पीटे तो यह ठीक नहीं है। मैं समझता हूं कि अगर एस०ओ०सी० अच्छा है तो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि जो मांगें मैंने प्रस्तुत की हैं, उनको माननीय सदस्य कृपा करके पास करें।

श्री अधिष्ठाता--

अब मैं सदन के समक्ष प्रश्न प्रस्तुत करता हूं। विधि यह होगी कि पहले अनुदान से सम्बन्धित कटौती के प्रस्ताव पर मतदान लिया जायगा और उसके पश्चात् अनुदान के ऊपर।

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 1 के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1973 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 1-- वृहत जोत कर, के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 3,73,800 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 2 के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1973 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 2—भू-राजस्व, के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 14,95 87,100 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 38 के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1973 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 38—दुर्भिक्ष सहायता, के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,05,03,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता—

अब हम उठते हैं और 17 अप्रैल, 1972 को 11 बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 3 मिनट पर सोमवार 17 अप्रैल, 1972 के 11 बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया ।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ :
12 अप्रैल, 1972 ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न 19 का उत्तर पीछे पृष्ठ 588 पर)

बदायूं जिले की असिंचित तथा सिंचित भूमि

क्रम-सं०	नाम विधान सभा क्षेत्र	कृषि योग्य भूमि (एकड़ में)	क्षेत्रफल सिंचाई			असिंचित क्षेत्रफल (एकड़ में)
			राजकीय नलकूपों द्वारा अधिकृत क्षेत्रफल (एकड़ में)	नहरों द्वारा	निजी नलकूपों तथा अन्य साधनों द्वारा (एकड़ में)	
1	2	3	4	5	6	7
1.	43. अम्बियापुर	1,29,526	54,767	0	47,562	27,197
2.	44. बदायूं	1,14,835	15,709	0	29,340	69,784
3.	45. उसहत	1,02,001	15,703	0	32,268	54,030
4.	46. दातागंज	1,15,944	10,764	0	46,019	59,071
5.	47. बिनावर	1,46,015	42,734	0	53,450	49,831
6.	41. गुन्नौर ..	1,17,342	1,776	0	35,412	80,154
7.	42. सहसवान	1,34,632	5,866	0	36,717	92,049
8.	40. बिसौली	1,31,068	55,308	0	49,825	25,935
	योग ..	9,91,361	2,02,627	0	3,30,683	4,58,051

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिये अतारांकित प्रश्न 9 का उत्तर पीछे पृष्ठ 597 पर)

पद नाम		जिला तथा नियुक्त किये गये व्यक्तियों की संख्या					
		वाराणसी	आजमगढ़	गाजीपुर	बलिया	फैजाबाद	योग
जूनियर बुकिंग क्लर्क	..	4	1	1	1	..	7
परिचालक	..	22	24	8	4	2	60
चालक	..	30	29	21	14	4	98
योग	..	56	54	30	19	6	165

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ग'

(देखिये अतारांकित प्रश्न 12 का उत्तर पीछे पृष्ठ 598 पर)

जुलाई, 1970 से 31 जनवरी, 1972 तक प्रधान प्रबन्धक के यहां की अपील का विवरण

क्रम-संख्या	नाम कर्मचारी	पद नाम	दण्ड जिसके विरुद्ध अपील की गयी	अपील पर की गयी कार्यवाही का विवरण	अन्य विवरण (अनुपूरक सूचना)
1	सर्वश्री राम वरन ..	परिचालक	सेवा मुक्ति के विरुद्ध प्रत्यावेदन ..	सहायक प्रधान प्रबन्धक बस्ती के आदेश को असंवैधानिक होने के कारण निरस्त किया गया।	
2	,, अहमद वशीर	चालक	,,	,,	
3	,, बृज नारायण मल ..	परिचालक	सेवा से हटाये जाने के विरुद्ध अपील	सेवा करने का एक अवसर प्रदान किया गया।	
4	,, राम हजूर राम ..	परिचालक	प्रारम्भिक वेतन पर प्रत्यावर्तित किए जाने के विरुद्ध अपील।	स० प्र० प्र० बस्ती की आख्या अपेक्षित है।	
5	,, फजल अली ..	,,	वार्षिक वेतन वृद्धि रोके जाने के विरुद्ध प्रत्यावेदन।	उपरोक्त	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

6	सर्वश्री नरसिंह शुक्ला ..	परिचालक	वार्षिक वेतन वृद्धि रोके जाने के विरुद्ध प्रत्यावेदन	स० प्र० प० (गो०) की आख्या अपेक्षित है।
7	,, राम दरस ..	,,	सेवा समाप्ति के विरुद्ध प्रत्यावेदन	प्रत्यावेदन सारहीन होने के कारण अस्वीकृत किया गया। उ० प० आ० (रो० सं०) द्वारा सेवा का नवीन अवसर दिया गया।
8	,, रवीन्द्र लाल ..	,,	,,	,, ,,
9	,, पुरुषोत्तम राय ..	,,	,,	,, ,,
10	,, राम जनम सिंह ..	,,	,,	सेवा करने का एक मौका दिया गया
11	,, ईश मोहम्मद ..	,,	,,	प्रत्यावेदन अस्वीकृत किया गया उ० प० आ० (रो० सं०) द्वारा सेवा का नवीन अवसर दिया गया।
12	,, केदार राम ..	,,	प्रतीक्षा सूची से नाम हटाए जाने के विरुद्ध प्रत्यावेदन।	सेवा करने का एक अवसर दिया गया।
13	,, अरुणधर दूबे ..	,,	,,	,,
14	,, हंसनाथ गुप्ता ..	,,	वेतन वृद्धि रोके जाने के विरुद्ध प्रत्यावेदन	अस्वीकृत किया गया
15	,, विद्यासागर सिंह ..	,,	,,	,,
16	,, रमेश चन्द्र मिश्रा ..	,,	प्रतीक्षा सूची के नाम हटाए जाने के विरुद्ध प्रत्यावेदन।	सेवा करने का एक अवसर दिया गया।
17	,, बृजभूषण यादव ..	,,	,,	,,
18	,, सरजू प्रसाद ..	,,	सेवा मुक्ति के विरुद्ध प्रत्यावेदन ..	,,
19	,, बेचू पाण्डे ..	चालक	,,	,,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम-सं०	नाम कर्मचारी	पद नाम	दण्ड जिसके विरुद्ध अपील पर की गयी	अपील पर की गयी कार्यवाही का विवरण	अन्य विवरण (अनुपूरक सूचना)
20	सर्वश्री साहेब सिंह ..	परिचालक	सेवा मुक्ति के विरुद्ध प्रत्यावेदन	सेवा करने का अवसर दिया गया	
21	,, अवधेश चन्द्र श्री० ..	,,	,,	अस्वीकृत किया गया।	
22	,, लक्ष्मी निवास पाण्डे ..	,,	,,	,,	
23	,, जगदीश लाल ..	,,	,,	,,	उ० प० आ० (रो० सं०) द्वारा सेवा का एक नवीन अवसर दिया गया।
24	,, अहमद अली ..	,,	,,	,,	
25	,, ब्रह्मानन्द दूबे ..	,,	,,	एक रु० टोकन पे पर बहाल किया गया।	
26	,, इन्दर प्रसाद ..	,,	प्रारम्भिक वेतन पर प्रत्यावर्तित करने के विरुद्ध अपीले।	स० प्र० प्र० (बस्ती की आख्या) अपेक्षित है।	
27	,, गया प्रसाद वर्मा ..	,,	निलम्बन काल का वेतन रोके जाने के विरुद्ध अपील।	उपरोक्त	
28	,, अम्बिका सिंह ..	चालक	सेवा मुक्ति आदेश के विरुद्ध	अस्वीकृत किया गया।	
29	,, राम कृपाल तिवारी	परिचालक	,,	,,	क्षमा याचिका पर सेवा करने का एक अवसर मुख्यावास द्वारा दिया गया।
30	,, कैलाश प्रसाद गुप्ता	,,	,,	,,	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

31	सर्वश्री छांगुर यादव ..	चालक	निलम्बन काल के वेतन न दिये जाने के विरुद्ध अपील।	अस्वीकृत किया गया।
32	,, राजवंशी पाण्डे ..	परिचालक	सेवा समाप्ति के विरुद्ध प्रत्यावेदन	सेवा करने का एक अवसर दिया गया
33	,, जगर नाथ तिवारी ..	,,	,,	,,
34	,, जगदीश नरायन मिश्रा	,,	प्रारम्भिक वेतन पर प्रत्यावर्तित किए जाने के विरुद्ध अपील।	अस्वीकृत किया गया।
35	,, रामजी गुप्ता ..	,,	,,	,,
36	,, रमाकान्त मल ..	,,	सेवा समाप्ति के विरुद्ध प्रत्यावेदन	सेवा करने का अवसर दिया गया
37	,, ढुनमून मिश्रा ..	,,	,,	,,
38	,, रामनगीना तिवारी ..	,,	,,	अस्वीकृत किया गया।
39	,, मनोहर प्रसाद ..	,,	,,	स०प्र०प्र०(गो०)के आदेश को निरस्त किया गया।
40	,, नागेन्द्र सिंह ..	,,	,,	,,
41	,, कृष्ण मुरारी ..	परिचालक	प्रतीक्षा सूची से नाम हटाये जाने के विरुद्ध प्रत्यावेदन।	सेवा करने का एक अवसर दिया गया।
42	,, ओम प्रकाश ..	,,	सेवा समाप्ति के विरुद्ध प्रत्यावेदन	,,
43	,, मोहरत सिंह ..	चालक	निलम्बन काल का वेतन न दिये जाने के विरुद्ध अपील।	स० प्र० प्र० बस्ती की आख्या अपेक्षित।
44	,, अब्दुल जमील ..	परिचालक	वेतन वृद्धि रोके जाने के विरुद्ध अपील	,,
45	,, आर० बी० यादव ..	,,	निलम्बन काल का वेतन न दिए जाने के विरुद्ध अपील।	,,
46	,, रामलौट ..	,,	,,	,,
47	,, चन्द्रभान मिश्रा ..	चालक	,,	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम-संख्या	नाम कर्मचारी	पद नाम	दण्ड जिसके विरुद्ध अपील पर की गई	अपील पर की गयी कार्यवाही का विवरण	अन्य विवरण (अनुपूरक सूचना)
48	सर्वश्री ऐनूलहक अंसारी ..	परिचालक	प्रारम्भिक वेतन पर प्रत्यावर्तित किए जाने के विरुद्ध अपील।	स० प्र० प्र० बस्ती की आख्या अपेक्षित हैं।	
49	,, कृपाराम सिंह ..	चालक	निलम्बन काल का वेतन न दिए जाने के विरुद्ध अपील।	,,	
50	,, मो० उसमान ..	परिचालक	निलम्बन काल का 3/4 वेतन रोके जाने के विरुद्ध अपील।	विचाराधीन	
51	,, झिनकान प्रसाद ..	चालक	सेवा समाप्ति के विरुद्ध अपील	स० प्र० प्र० बस्ती की आख्या अपेक्षित।	
52	,, राम उजागिर पाल ..	परिचालक	,,	,,	
53	,, राज नारायण तिवारी	चालक	,,	,,	
54	,, राजेन्द्र प्रसाद चौधरी ..	परिचालक	,,	,,	
55	,, सैयद इबबार हसन ..	चालक	पदच्युत किये जाने के विरुद्ध अपील	विचाराधीन	
56	,, चन्द्रशेषर तिवारी ..	,,	प्रारम्भिक वेतन पर प्रत्यावर्तित किए जाने के विरुद्ध अपील।	स० प्र० प्र० बस्ती की आख्या अपेक्षित	
57	,, वैदेही सरण श्रीवास्तव	परिचालक	,,	,,	
58	,, भागवत पांडेय द्वितीय	,,	सेवा समाप्ति के विरुद्ध प्रत्यावेदन।	अस्वीकृत किया गया	
59	, विन्देश्वरी सिंह ..	,,	प्रतीक्षा सूची से नाम काटे जाने के विरुद्ध अपील।	सेवा का एक अवसर दिया गया	
60	,, ऋषिकेशमनी त्रिपाठी	,,	प्रतीक्षा सूची से नाम हटाये जाने के विरुद्ध प्रत्यावेदन।	सेवा करने का एक अवसर दिया गया	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

61	सर्वश्री गोपालजी श्रीवास्तव	परिचालक	सेवा समाप्ति के विरुद्ध प्रत्यावेदन	अस्वीकृत किया गया	उ० प० आ० (रो० सं०) द्वारा सेवा का नवीन अवसर दिया गया।
62	,, गया प्रसाद यादव ..	,,	,,	सेवा करने का एक अवसर दिया गया।	
63	,, चन्द्रभान सिंह ..	,,	,,	स० प्र० प्र० के आदेश को निरस्त किया गया।	
64	,, रामरेखा सिंह ..	,,	,,	अस्वीकृत किया गया।	उ० प्र० आ० (रो० सं०) द्वारा सेवा का नवीन अवसर दिया गया।
65	,, रामरूप ..	,,	सेवा से हटाये जाने के विरुद्ध अपील	,,	
66	,, चन्द्रबली यादव ..	,,	सेवा समाप्ति आदेश के विरुद्ध प्रत्यावेदन।	सेवा के लिए एक अवसर दिया गया।	
67	,, व्यासमनि त्रिपाठी ..	,,	,,	,,	
68	,, भानूप्रताप सिंह ..	,,	प्रतीक्षा सूची से नाम हटाने जाने के विरुद्ध तथा सेवा समाप्ति के विरुद्ध प्रत्यावेदन।	,,	
69	,, ओम प्रकाश गुप्ता ..	,,	सेवा समाप्ति के विरुद्ध प्रत्यावेदन	,,	
70	,, सीताराम गौड़ ..	,,	,,	,,	
71	,, लल्लन तिवारी ..	,,	,,	अस्वीकृत।	
72	,, अब्दुल साजिद ..	चालक	,,	सेवा का एक अवसर दिया गया।	
73	,, लल्लन सिंह ..	परिचालक	,,	स० प्र० प्र० बस्ती की आख्या अपेक्षित।	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम-संख्या	नाम कर्मचारी	पद नाम	दण्ड जिसके विरुद्ध अपील की गयी	अपील पर की गयी कार्यवाही का विवरण	अन्य विवरण (अनुपूरक सूचना)
74	सर्वश्री जयपाल ..	परिचालक	वेतन वृद्धि रोके जाने तथा निलम्बन काल का वेतन न दिए जाने के विरुद्ध अपील	स०प्र०प्र०	बस्ती की आख्या अपेक्षित
75	,, छोटक प्रसाद गुप्ता	,,	सेवा समाप्ति के विरुद्ध प्रत्यावेदन	,,	
76	,, बेकारू प्रसाद	,,	,,	,,	
77	,, गिरधारी मिश्रा ..	,,	,,	,,	
78	,, सत्येन्द्र प्रसाद गुप्ता..	,,	वेतन वृद्धि रोके जाने तथा निलम्बन काल का वेतन न दिए जाने के विरुद्ध अपील।	स० प्र० प्र० बस्ती की आख्या अपेक्षित।	
79	,, राम उग्रह चौधरी ..	,,	सेवा से मुक्ति के विरुद्ध प्रत्यावेदन	,,	
80	,, राम कृपाल ..	,,	,,	प्रत्यावेदन स्वीकृत किया गया।	
81	,, प्रभूनाथ ..	,,	,,	सेवा का एक अवसर दिया गया।	
82	,, राधाकृष्ण सिंह ..	,,	,,	उपरोक्त।	
83	,, ऊदल प्रसाद ..	,,	,,	अस्वीकृत।	
84	,, रामबचन ..	,,	,,	सेवा का एक अवसर दिया गया।	
85	,, शंकर प्रसाद ..	,,	,,	विचाराधीन।	
86	,, महातम प्रसाद ..	,,	,,	सेवा का एक अवसर दिया गया।	
87	,, माधव प्रसाद ..	चालक	,,	विचाराधीन।	
88	,, अब्दुल करीम ..	,,	,,	,,	
89	,, परमानन्द ओझा ..	परिचालक	,,	,,	
90	,, झिंगुरी प्रसाद ..	,,	,,	,,	
91	,, श्रीराम तिवारी ..	,,	,,	,,	
92	,, सुरेन्द्र कुमार पांडेय	,,	,,	,,	
93	,, जसवन्त सिंह ..	चालक	निलम्बन काल का वेतन न दिए जाने के विरुद्ध अपील।	स० प्र० प्र० बस्ती की आख्या अपेक्षित।	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

94	सर्व श्री पटेश्वरी प्रसाद ..	परिचालक	सेवा समाप्ति के विरुद्ध प्रत्यावेदन	स० प्र० (बस्ती) की आख्या अपेक्षित।
95	,, रामदयाल ..	,,	,,	,,
96	,, अंशूमान सिंह ..	,,	प्रतीक्षा सूची से नाम हटाये जाने के विरुद्ध प्रत्यावेदन।	विचाराधीन
97	,, अवध बिहारी पांडे ..	,,	सेवा समाप्ति के विरुद्ध प्रत्यावेदन	,,
98	,, निजामुद्दीन ..	,,	,,	,,
99	,, साहेब सिंह ..	,,	,,	,,
100	,, चन्द्रभान शुक्ला ..	,,	,,	स० प्र० प्र० (गो०) की आख्या अपेक्षित।
101	,, निजामुद्दीन ..	,,	,,	,,
102	,, जगरनाथ सिंह ..	चालक	निलम्बन काल के वेतन के लिए प्रत्यावेदन	,,
103	,, जब्बाद अली ..	,,	,,	,,
104	,, के० यम० सिद्दीकी ..	,,	,,	,,
105	,, विश्वनाथ मिश्रा ..	,,	,,	,,
106	,, रामधनी प्रसाद ..	,,	,,	,,
107	,, भगवती सिंह ..	परिचालक	सेवा मुक्ति के विरुद्ध प्रत्यावेदन	स० प्र० प्र० बस्ती की आख्या अपेक्षित।
108	,, निरंकार प्रसाद ..	,,	,,	अस्वीकृत किया गया।
109	,, अवध किशोर यादव ..	चालक	,,	स० प्र० प्र० (गो०) की आख्या अपेक्षित।
110	,, राज बहादुर ..	,,	,,	अस्वीकृत किया गया।

रा०द०बर्त स०प०प०
कृते प्रधान प्रबन्धक।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'घ'

(देखिये पीछे पृष्ठ 598 पर)

इलेक्ट्रिसिटी (सप्लाई) (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1972

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के संबंध में इलेक्ट्रिसिटी (सप्लाई) ऐक्ट, 1948 का संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के तेइसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है—

संक्षिप्त नाम तथा प्रसार

1—(1) यह अधिनियम इलेक्ट्रिसिटी (सप्लाई) (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1972 कहलायेगा।

(2) इसका प्रसार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

ऐक्ट संख्या 54, 1948 में नयी धारा 47—ए का बढ़ाया जाना

2—इलेक्ट्रिसिटी (सप्लाई) ऐक्ट, 1948 की धारा 47 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्—

"47-ए—इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी और इस बात के होते हुए भी कि धारा 47 के अधीन परस्पर समझौते द्वारा कोई व्यवस्था नहीं की गयी है अथवा तदर्थ कोई विनियम नहीं बनाये गये हैं,—

प्रतिभूति

(ए) बोर्ड किसी लाइसेंसी को विद्युत सम्भारित करने के किसी अधियाचन का अनुपालन करने के लिए तब तक बाध्य न होगा जब तक कि लाइसेंसी बोर्ड द्वारा उस पर तदर्थ लिखित नोटिस तामील किये जाने के पश्चात् चौदह दिन के भीतर बोर्ड को ऐसी प्रतिभूति, जिसे बोर्ड पर्याप्त समझे, न दें;

(बी) यदि लाइसेंसी ने पहले ही प्रतिभूति न दे दी हो, अथवा यदि उसके द्वारा दी गई कोई प्रतिभूति अवैध या अपर्याप्त हो गयी हो, और ऐसा लाइसेंसी बोर्ड द्वारा उस पर उससे ऐसा अपेक्षित किये जाने का नोटिस तामील किये जाने के पश्चात् सात दिन के भीतर यथापेक्षित प्रतिभूति न दे सके अथवा मूल प्रतिभूति को पर्याप्त धनराशि देकर पूरा न करे, जैसी भी दशा हो, तो बोर्ड ऐसे सम्भरण को बन्द करने का हक़दार होगा।"

उद्देश्य तथा कारण

प्रदेश में इस समय 16 निजी बिजली सप्लाई कम्पनियां और 13 नगरपालिका इलेक्ट्रिक सप्लाई अन्डरटेकिंग्स हैं। प्रदेश की उपर्युक्त दोनों श्रेणी की लगभग सब अन्डरटेकिंग्स इस समय राज्य विद्युत् परिषद् से बल्क सप्लाई लेकर अपने-अपने विद्युत् क्षेत्र के उपभोक्ताओं को सप्लाई करती हैं। इनमें काफी अन्डरटेकिंगों पर बल्क सप्लाई की बकाया धनराशि वाजिब है। परिषद् के हितों की रक्षा के उद्देश्य से यह आवश्यक समझा गया कि बोर्ड को यह अधिकार दिया जाय कि इन लाइसेंसियों से उनको बल्क सप्लाई देने के लिये इस तरह की सिक्योरिटी ले सके, ताकि अगर कोई लाइसेंसी बल्क सप्लाई का बकाया नहीं देता है तो उससे ली गई सिक्योरिटी से उसका समायोजन किया जा सके। तद्नुसार यह प्रस्ताव है कि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई ऐक्ट, 1948 में नई धारा 47–ए बढ़ा दी जाय और उसमें स्पष्ट रूप से प्राविधान कर दिया जाय कि राज्य विद्युत् परिषद् लाइसेन्सियों से बल्क सप्लाई लेने के लिये सिक्योरिटी जमा करने पर बाध्य कर सके। इसके उद्देश्य से इलेक्ट्रिसिटी (सप्लाई) (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1972 पुरःस्थापित किया जाता है।

नारायण दत्त तिवारी,
विद्युत् मंत्री

विधान सभा उत्तर प्रदेश

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० 43 एल० ए०—1973—845 (मैग०)